खण्ड-323, अंक-1
सोमवार, 10 कार्तिक, शक संवत् 1898
(1 नवम्बर, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
प्रश्नोत्तर	5–48
भूतपूर्व सदस्य, श्री चतुर्भुज शर्मा, डाक्टर सीताराम, डाक्टर के0 एन0 गैरोला, तथा वर्तमान सदस्य, श्री दया किशन पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार	48–50
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	50
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	50
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	51
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	52

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया) 52

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं हिन्दू धार्मिक संस्था तथा निबन्ध अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया) 52

अलीगढ़ नगर में 2 मार्च, 1971 को हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) 52

बसया, देवरिया में दिनांक 4 अक्टूबर, 1974 को हुई घटनाओं की जांच आयोग द्वारा आख्या रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 52

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1974–75) (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 52

उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति, 1974 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 52

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) 53

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) 53

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) 53

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी) 53

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी) 53

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) 54

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ के वर्ष 1973–74 तथा वर्ष 1974–75 के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये) 54

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) 54

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1974-75 (सदन के पटल पर रखी गयी) 54

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, 1976 के शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखे गये) 54

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया) 55

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) .. 55

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) 55

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया) 55

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) .. 55

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) संशोधन विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 56

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 56

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 56

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 56

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 56

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) 57

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. 57

उत्तर प्रदेश ब्रिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) 57

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) 57

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) 57

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) 58

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) 58

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) 58

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) 58

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध में सूचनाएं .. 58–59

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 59

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 60

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1976–77) का विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. 60–61

कतिपय सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर सदन की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव (स्वीकृत) 61–64

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंधमें सूचना 64

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 64
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग .. 64–65
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल की वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 65–66
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 66
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) 66
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया) .. 66
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) 66–67
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) 67
उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः-स्थापित किया गया) 67
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरः-स्थापित किया गया) 67–68
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन [विधि (संशोधन)] विधेयक, 1976 (पुरः-स्थापित किया गया) 68
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) 68
उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) 68
परिवार नियोजन के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना 69
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) .. 69–72
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) 72–75
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) 76–93
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 98
नत्थियां 99–207

उदय प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 1 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–277

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री

जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री

रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि, दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री

सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—राज्य सूचना मंत्री, श्री रमेन्द्र वर्मा एवं राज्य कारागार मंत्री श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 1 नवम्बर, 1976

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के वाटर मीटर्स में खराबी और उनके फर्जी बिल

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

1—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि महानगर सचिवालय कालोनी, लखनऊ में बने 70 प्रतिशत क्वार्टर्स में वाटर मीटर्स लगे हैं और शेष में नहीं हैं और जिन क्वार्टर्स में ये लगे हैं वे अधिकांशतः पिछले अनेक वर्षों से (1970 की बाढ़ के समय से) वर्किंग आर्डर में नहीं हैं फिर भी फरवरी, 76 में नगर महापालिका, लखनऊ ने कालोनी में रहने वाले अनेक लोगों को अलग-अलग सैकड़ों रुपये के फर्जी रीडिंग के बिल भुगतान हेतु प्रेषित किये हैं और नल काटने की नोटिस दी है जिसके फलस्वरूप लोगों में घोर असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इन बिलों के भुगतान एवं दण्ड स्वरूप पानी सप्लाई बन्द करने सम्बन्धी आदेश को स्थगित करते हुये इसकी जांच नगर महापालिका, लखनऊ के अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

महानगर सचिवालय कालोनी, लखनऊ में 205 क्वार्टरों में से 155 में वाटर मीटर लगे हैं शेष 50 क्वार्टर बिना वाटर मीटर के हैं। वर्ष 1960 की बाढ़ के फलस्वरूप इस कालोनी के बहुत से वाटर मीटर खराब हो गये थे। इसमें से अभी 120 मीटर खराब हैं। लखनऊ नगर महापालिका द्वारा खराब मीटरों के उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग के आधार पर नहीं वरन् औसत जल व्यय के आधार पर बिल भेजे गये हैं। फरवरी, 1976 में इस कालोनी के निवासियों को नल काटने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। फिर भी पूरे मामले की छानबीन के लिये जांच के आदेश दे दिये गये है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशी नाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 60 से मीटर खराब हैं और यह शहर के प्रसिद्ध लोगों की बस्ती है, जिनके घरों में मीटर लगे हैं, उनके यहां बिल नहीं जा रहे हैं और कुछ के यहां जिनके यहां मीटर काम नहीं कर रहे हैं, स्थिति एक सी है? मंत्री जी ने कहा कि नल काटने का कोई नोटिस नहीं दिया है जब कि मेरी जानकारी है कि

एच0 एल0 शुक्ला के नाम से नगरमहापालिका का नोटिस जारी हुआ है और उस के नाम 880 रुपये का बिल है, अदा न करने पर नल काट दिया जायगा। जब कि 17 वर्ष से पानी के मीटर वहां बेकार हैं, तो फिर गलत रीडिंग के आधार पर हजारों रुपये के एरियर बिल क्यों भेज दिये जाते हैं और मीटर न बदले जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

चूंकि मीटर्स खराब हैं इसी कारण उनके ठीक न करने के लिये इंक्वायरी का आर्डर दिया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ये जो बिल भेजे गये हैं एवरेज रीडिंग के आधार पर भेजे गये हैं, इन सब को रद्द करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

ये जो बिल एवरेज रीडिंग पर भेजे गये हैं, हो सकता है कि उनमें पानी ज्यादा भी खर्च हुआ हो और एवरेज के हिसाब से बिल कम के गये हों।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब 17 साल से मीटर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर औसत निकालने का आधार क्या है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

ऐसी बात नहीं है कि कोई मीटर काम नहीं कर रहा है। कुल 120 मीटर खराब हैं जब कि काफी लोगों के यहां मीटर लगे हुये हैं। समय-समय पर उनको ठीक भी किया जाता है। जिनके मीटर ठीक नहीं हुए हैं, उनके औसत वाटर चार्जेज पर बिल बना दिये जाते हैं। इसमें कोई अनियमितता की बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई पर्टिकुलर केस लायेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी ताकि किसी व्यक्ति को ऐसा न लगे कि उसके साथ ज्यादती की जा रही है। वैसे सब बड़े शहरों में यही व्यवस्था है कि मीटर खराब होने पर औसत टैक्स ले लिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर जगह मीटर लगे हों। एक औसत के उपर चार्ज किया जाता है। माननीय सदस्य ने एक पर्टिकुलर नोटिस की बात कही, मि0 शुक्ला की कि पिछले 4–5 सालों से या उससे पहले कितना वाटर का देते थे, इन सारी चीजों की इनक्वायरी करा ली जा सकती है।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मंत्री जी ने माना है कि 120 मीटर खराब हैं तो उनको बिल किस आधार पर भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हुकम सिंह—

जब 17-18 साल से मीटर खराब हैं, तो औसत किस आधार पर निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा एवरेज से अब कैसे निकाला ? आप यह उनके पास जाकर पूछ लें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

जब 120 मीटर खराब पड़े हैं और औसत निकाल कर बिल देना पड़ रहा है तो उनको बदलने में क्या कठिनाई हो रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोई कठिनाई की बात नहीं है, बदल देना चाहिये, लेकिन अगर अभी तक नहीं बदले गये, तो उसके बदले में मुफ्त में पानी दे दिया जाय, ऐसा नहीं है, विभाग तो पानी का लेगा ही।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि बहुत से मीटर खराब हैं और बहुत जगहों पर नहीं लगे हैं, तो उससे महापालिका को नुकसान हो रहा है। क्या वह इसकी जांच करायेगी कि क्यों अभी तक नहीं लगे, जिससे महापालिका को नुकसान हो रहा है? इसके लिये कौन दोषी है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर घर में मीटर लगे हों या सारे लखनऊ में मीटर लगे हों या सारे सूबे में मीटर लगे हैं। महापालिका तो वाटर का चार्ज लेती ही हैं। एक रेशियो बना हुआ है, उसका नियम है, कैसे निकाला जायेगा। छः महीने या साल भर का एवरेज निकाला जाता है। जहां मीटर लगे हैं वहां मीटर रिप्लेस भी किये जाते हैं, और करते रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था एक ही बस्ती में एक ही नियम से, एक ही कानून से लोग संचालित होते हैं। किन्तु यहां पर कुछ लोगों के यहां तो मीटर लगे हैं और कुछ के यहां नहीं लगे हैं, कुछ के यहां बिल जाय और कुछ के यहां बिल न जाय, यह कहां तक उचित है? क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगी कि सब के यहां से मीटर हटा दिये जायं और सबसे एक जैसा लिया जाय 25 रु0 या जो भी हो, कोई धोबीघाट तो है नहीं। एक लम्पसम में लिया जाय, मैं समझता हूं यह ठीक रहेगा। क्या वह इसके लिए व्यवस्था करने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो कहना चाहते थे, वह बात अब सामने आई। कुछ लोग मीटर लगवाना नहीं चाहते हैं, जब विभाग के लोग जाते हैं, तो उनको किसी न किसी बहाने से लौटा देते हैं। हम जोर जबरदस्ती कर लगवाते हैं। अभी 120 में से 70 मीटर रिप्लेस भी किये जा चुके हैं। सबके लिये एक जैसा कर दें, यह उचित नहीं, कोई गार्डन की सिंचाई करे या धोबीघाट हो या किसी का डोमेस्टिक कंजम्प्शसन ज्यादा हो, माननीय सदस्य चाहते हैं कि सब के लिये एक जैसा हो, यह संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

* 1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[5 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बाराबंकी के ग्राम आलमपुर में हत्या

* 2—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-75 को सुबह ग्राम आलमपुर, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें दो व्यक्ति मर गये व दोनों पक्षों में लोगों को चोटें आईं और उसी दिन थाने में दोनों ओर से रिपोर्ट लिखाई गई जिन पर इल्जाम नं0 37, थाना कोठी व 37-ए पर मुकदमें कायम हुये? यदि हां, तो उन मुकदमों में अब तक क्या प्रगति हुई?

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

प्रश्न में उल्लिखित, दिनांक 24-2-75 को ग्राम आलमपुर में घटित घटना के सम्बन्ध में थाना कोठी बाराबंकी पर 2 मुकदमें एक अपराध संख्या 37 अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान तथा दूसरा अपराध संख्या 37-ए अन्तर्गत धारा 147/323/307 भारतीय दंड विधान कायम हुये। विवेचना के बाद अपराध संख्या 37 में 7 अभियुक्तों का चालान धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत तथा अपराध संख्या 37-ए में तीन अभियुक्तों

का चालान धारा 147/323/325 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत किया गया। दोनों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या यह सही है कि जो दरोगा साहब इस केस में तफतीश कर रहे थे, उन्होंने पहले धारा 3?-ए में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी किन्तु जब बाद में दरख्वास्त दी गई या यहां प्रश्न किया गया, तो बाद में उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई ?

श्री धर्मवीर—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जैसा बक्श जी ने कहा, क्या उसकी सच्चाई की जांच करा कर मंत्री जी उक्त दरोगा के खिलाफ कार्यवाई करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

जांच के परिणाम स्वरूप आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया और उसके आधार पर यहां सूचना दी गयी, लेकिन नीचे के अधिकारी ने पहले क्या किया, यह यहां देखने की चीज नहीं है। इसका पुनरीक्षण करना, न्याय के हित में ठीक नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या यह दोनों चार्जशीट्स एक तारीख में लगाई गई ? और यदि साथ-साथ नहीं लगाई गयी, तो इनको अलग-अलग लगाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो यह ब्यौरे का प्रश्न कर रहे हैं।

श्री ऊदल—

यह न्यायालय का कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है और एक में चार्जशीट लगाया है, तो जिसमें दरोगा ने फाइनल रिपोर्ट लगायी थी और बाद में दरख्वास्त देने पर, चार्जशीट लगाया है, तो क्या मंत्री जी उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री धर्मवीर—

जहां तक न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की बात है, क्षेत्राधिकारी ने उसे पूरी जांच के बाद दाखिल किया है। यदि नीचे के किसी अधिकारी ने कोई चीज की है, तो उसे वह लोग देखेंगे।

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर हटाया गया।]

शाहजहांपुर के रघुराज सिंह इन्टर कालेज के छात्र पर बन्दूक से हमला

*4—श्री दया किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 14-4-76 को शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में कुछ बन्दूकधारी गुन्डों द्वारा परीक्षा केन्द्र से परीक्षा देकर आते हुये विद्यार्थियों को बन्दूक से फायर करके गम्भीर रूप से घायल किया गया और ड्यूटी पर तैनात कई सिपाहियों के भी छर्रे लगे ? यदि हां, तो पुलिस ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-4-76 को जब वादी नरेन्द्र पाल सिंह, छात्र रघुराज सिंह इन्टर कालेज, खेड़ा बझेड़ा, कस्बा तिलहर, जिला शाहजहांपुर में एल0 बी0 जे0 पी0 इन्टर कालेज परीक्षा केन्द्र से परीक्षा देकर लौट रहा था तो सरकारी अस्पताल के सामने कृष्ण गोपाल मिश्रा ने उसे रोका तथा सात ज्ञात व तीन अज्ञात अभियुक्तों ने, जो बन्दूक व लाठी

से लैस थे, उसे घेर लिया। इतने पर ही ड्यूटी पर तैनात कांसटेबिल वहां पर आ गये। पुलिस को देखकर अभियुक्तगण अस्पताल में घुस गये। एक अभियुक्त ने वादी पर फायर किया जिससे वादी, दो पुलिस कांसटेबिलों तथा 5 राह चलने वाले व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं। इस घटना के सम्बन्ध में थाना तिलहर पर धारा 147/148/149/307 भा0 द0वि0 का मुकदमा कायम किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से सात नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त तीन और अभियुक्त प्रकाश में आये। सातों नामजद अभियुक्तों का चालान अदालत में किया जा चुका है। विवेचना से प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों में से एक गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दो फरार हैं, जिनके विरुद्ध धारा 82/83 द0प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गयी है।

*5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

थानाध्यक्ष, हाफिजगंज, बरेली के विरुद्ध बार एसोसिएशन का प्रस्ताव

*6—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि 14 मई, 76 को बरेली बार एसोसियेशन द्वारा कोई प्रस्ताव पास करके मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है जिसमें किसी थाना इन्चार्ज को चीफ जुडीशयल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में घुस कर मुल्जिमान को जबरदस्ती पकड़ने की भर्त्सना की गई है और उपरोक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। मामले की जांच ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, द्वारा की गई। उनकी जांच से यह ज्ञात हुआ है कि थानाध्यक्ष हाफिजगंज जिला बरेली, द्वारा धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अभियोग के दो अभियुक्तों को न्यायालय चीफ् जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बरेली के बरामदे में पकड़ा गया था। अभियुक्तगण खींचातानी करके उक्त न्यायालय में घुस गए। अभियुक्तों द्वारा यह बतलाए जाने पर कि वे न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं उन्हें छोड़ दिया गया। थानाध्यक्ष को न्यायालय की मानहानि का दोषी नहीं पाया गया तथा न्यायालय ने स्वयं मामला समाप्त कर दिया है। थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो गया है तथा उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि वे भविष्य में सावधानी से अपना कार्य करें।

लखनऊ, जिला कारागार बाल-सुधार विद्यालय तथा आदर्श कारागार के अगवानी भवन का निरीक्षण

*7—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, लखनऊ के बाल सुधार विद्यालय में तथा आदर्श कारागार, लखनऊ में अगवानी भवन में बन्द राजनैतिक बन्दियों की बैरेकों में 26 जून, 1975 से 7 अप्रैल, 76 के मध्य कितनी बार जिलाधिकारी, लखनऊ ने जाकर निरीक्षण किया? यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

26 जून, 1975 से 7 अप्रैल, 1976 के मध्य जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, जिला कारागार, लखनऊ के बाल सुधार विद्यालय तथा आदर्श कारागार, लखनऊ के अगवानी भवन का कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्र श्री चन्द्र मोहन मेहता द्वारा आत्म हत्या

*8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि मई, 76 के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ मेडिकल कालेज के छात्रावास में किसी छात्र की रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-5-76 को मेडिकल कालेज, लखनऊ के चक्रवर्ती छात्रावास के कमरा नं0 126 में, उस कमरे में रहने वाले छात्र चन्द्र मोहन मेहता की लाश पाई गई जिसकी तहरीरी सूचना छात्रावास के सहायक वार्डन ने थाना चौक पर भेजी। सूचना मिलने पर तुरन्त एक उप निरीक्षक ने घटना स्थल पर जाकर लाश कमरे से बरामद की और पंचायत नामा लेने के बाद लाश का पोस्ट मार्टम परीक्षण कराया। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण नहीं ज्ञात हो सका। अतः विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया।

इस सम्बन्ध में विवेचना से ज्ञात हुआ है कि मृतक वर्ष 1969 में मेडिकल कालेज में दाखिल हुआ था और चार बार सोशल ऐंड प्रिवेन्टिव मेडिसिन में और फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा में एनाटमी तथा फिजियालोजी विषयों में फेल हुए थे जिससे वे परेशान रहते थे और कुछ समय के लिये उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था जिसके लिये सायकियेट्रिक विभाग में उनका उपचार भी हुआ था। विवेचना से मामला आत्महत्या का पाया गया। मृतक के विसरा में कोई विष नहीं पाया गया। अतः दरयाफ्तहाल विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

सचिवालय प्रशासन (विविध) द्वारा सोफासेट, मेजें और दीवान की खरीद तथा फर्मों को दी गयी अग्रिम धनराशि

*9—श्री मु म्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1976 में सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग द्वारा सोफा सेट, मेजें और दीवान क्रय किये गये, यदि हां तो किन-किन फर्म्स ने अपने कोटेशन में क्या रेट दिये ? क्या यह सही है कि कम रेट देने वाली फर्म को आर्डर न देकर अधिक रेट देने वाली फर्म को सप्लाई आर्डर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी —

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 99 पर।)

*10—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उक्त फर्नीचर को क्रय करने हेतु पिछले 5 वर्षों में किसी फर्म को अग्रिम धनराशि भी दी गई? यदि हां, तो उक्त फर्म को अग्रिम धनराशि देने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 100 पर।)

लखनऊ आदर्श कारागार के बन्दियों के उपचार संबंधी व्यय का मेडिकल कालेज, लखनऊ को भुगतान

*11—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि लखनऊ आदर्श कारागार से दिसम्बर, 75 से मार्च, 1976 के बीच उपचार हेतु मेडिकल कालेज में बन्दी भर्ती किये गये ? क्या इन

भर्ती बदिन्यों में से कोई ऐसा भी बन्दी था जिसका मेडिकल कालेज में हुये उपचार का व्यय भार आदर्श कारागार, लखनऊ के अधिकारियों ने मेडिकल कालेज, लखनऊ में जमा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां, पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन बन्दियों के उपचार सम्बन्धी व्यय के भार का भुगतान शेष नहीं है।

अर्थ एवं संख्या कार्यालय, फैजाबाद के कार्यालयाध्यक्ष पर हमला

*12--श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौढ़ी गढ़वाल)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अर्थ एवं संख्या कार्यालय, फैजाबाद के कार्यालयाध्यक्ष पर दिनांक 13-4-1976 को अर्थ अधिकारी द्वारा कार्यालय के अन्दर घातक हमला किया गया था जिसकी शिकायत जिला नियोजन अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी, फैजाबाद को की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच किसके द्वारा की गई और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

अर्थ एवं संख्या कार्यालय, फजाबाद के कार्यालयाध्यक्ष ने 13-4-1976 को यह शिकायत की कि उन पर अर्थ संख्या अधिकारी द्वारा कार्यालय के अन्दर घातक हमला किया गया। इस शिकायत पर थाने में रिपोर्ट न होने पर भी जिलाधिकारी, फैजाबाद के आदेशानुसार नगर मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी परन्तु सिवाय इसके कि उपरोक्त अधिकारियों में गहरी वैमनस्यता थी और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं था, मारपीट की घटना साबित नहीं हुई। प्रशासनिक दृष्टिकोण से दोनों सम्बन्धित अधिकारियों को फैजाबाद से अन्यत्र भेज दिया गया।

श्री रामलाल राही--

मैं जानना चाहता हूं कि शिकायत क्या थी, जिसके आधार पर मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी हुई ?

श्री अध्यक्ष--

घातक हमले की शिकायत थी।

श्री रामलाल राही--

शिकायती पत्र क्या है, वह पढ़ दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

शिकायती-पत्र सतगुर प्रसाद सक्सेना ने जिला नियोजन अधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से जिला अधिकारी, फैजाबाद को लिखा था कि 'महोदय, आज लगभग 11 बजे मैं--

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह मामला ठीक हो गया है, अब इसमें इस सब की क्या आवश्यकता है ? क्या कुछ और झगड़ा लगवाना चाहते हैं ?

श्री रामलाल राही--

मेरी और कोई मंशा नहीं है, यही कि जो दोषी अधिकारी हैं, उनको कोई सजा दी गयी या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

जो अनौपचारिक जांच की गयी उससे ज्ञात हुआ कि दोनों में बड़ें लम्बे समय से रंजिश चली आ रही थी। मारपीट नहीं हुई।

श्री रामलाल राही—

वैमनस्यता हो सकती है लेकिन क्या उनके पारिवारिक झगड़े थे या कार्यालय में काम करते थे, उस कार्य को ले कर वैमनस्यता हो सकती है, कोई अच्छा कार्य करता होगा कोई बुरा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का आधार होना चाहिये वास्तविकता। आप कल्पना कर रहे हैं।

श्री रामलाल राही—

कल्पना नहीं है। दोनों में वैमनस्यता इस आधार पर थी कि कार्यालय के कामों में रुकावट डालते थे। जो व्यक्ति दोषी था, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप मानते हैं कि वैमनस्यता थी। आप कारण में जाना चाहते हैं कि कारण यह है। शिकायत सही नहीं मालूम हुई। दोनों में रंजिश थी, इस लिए स्थानान्तरण कर दिया गया ताकि शिकायत का मौका न रहे। क्या चाहते हैं आप ?

श्री रामलाल राही—

मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह शिकायत थी, लिखित हुई या जबानी, किसी अधिकारी के द्वारा ? कलेक्टर साहब ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी तत्काल बैठा दी। बगैर गम्भीर मसले को देखते हुए कलेक्टर साहब ने मामूली वैमनस्यता के आधार पर मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी बैठा दी, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या कार्यालय में, जो काम में एक दूसरे के रुकावट डालते थे, यह वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी बैठाई ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई और फिर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई। उससे ज्ञात होता है कि आपस में व्यक्तिगत रंजिश थी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह दो अफसरों का झगड़ा है। जनहित से मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप किस हैसियत से जवाब दे रहे हैं ?

इटावा सूती मिल की बन्दी

*13—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा सूती मिल के बन्द होने का कारण क्या है और कब तक चालू हो जाने वाली है ? मिल बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेकार हुये हैं और कितने की हानि हुई है ?

भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रमिकों द्वारा अवैधानिक हड़ताल व संस्थान के अधिकारियों के प्रति अनुशासनहीन व्यवहार, उनका घेराव एवं मिल सम्पत्ति की तोड़-फोड़ किये जाने के कारण मिल को बन्द करना पड़ा था। इसे अब मध्य नवम्बर तक पुनः चालू करने का प्रस्ताव है।

मिल बन्द होने के कारण 1452 श्रमिक प्रभावित हुये और 7 जुलाई, 1975 से प्रति मास 2,34,164 किलोग्राम सूत के उत्पादन की हानि हुई।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तोड़फोड़ में मिल का कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, कोई ऐसी तोड़फोड़ होने का मौका नहीं आया, जिसमें जिक्र के लायक नुकसान होता। लेकिन श्रमिक हड़ताल पर चले गये। उन्होंने मिल की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की बार-बार कोशिश की। मिल के मालिकों ने उसको महफूज रखा, हानि नहीं होने दी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, आप मेरी मदद करें। मैंने निश्चित सवाल किया कि कितने रुपये की हानि हुई। उसका उत्तर तो दे नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि श्रमिकों ने हड़ताल किया, नुकसान हो रहा था। इस लिए मिल बन्द कर दिया। दोनों में सही बात क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मिल-सम्पत्ति की तोड़फोड़ के कारण बन्द हुई।

श्री ऊदल—

उन्होंने गलत बयान दिया, तोड़फोड़ नहीं हुई।

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया कोई ऐसी तोड़फोड़ नहीं हुई जिसका अन्दाजा फौरन किया जाय। लेकिन इलेक्ट्रिक इन्सटालेशन को नुकसान पहुंचाया गया था। उसका अन्दाज करा लिया जायेगा।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

तीन प्रश्न पहले प्रश्नकर्त्ता को करने को मिलते हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मिल कब बन्द हुई। नवम्बर में आपने खोलने का प्रस्ताव रखा है। इतने विलम्ब का क्या कारण है। बन्द हुई कब और इतनी देर से चलाने का क्या कारण है।

श्री अजीजुर्रहमान—

उसके बन्द होने के जो कारण थे वह लेबर में हलचल थी। उस पर काबू पाने की जरूरत महसूस की गयी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखा लाल....

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह मिल कोआपरेटिव सेक्टर में चल रही है। मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसी वहज से मिल बन्द करनी पड़ी और यह बहाना किया जा रहा है कि श्रमिक हलचल थी।

श्री अजीजुर्रहमान—

जी, सही यही है कि श्रमिकों में गलत रुझान और उनमें हलचल थी। मिल की प्रापरटी और संस्थान की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि उसको बन्द कर दिया जाये।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल में कितने कर्मचारी हैं और उनको तनख्वाह दी जा रही है अथवा नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह जो स्पिनिंग मिल जो बन्द हुई, उस के सम्बन्ध में पहले भी इस सदन में विवाद हो चुका है और इसके बन्द होने के कारणों पर चर्चा हो चुकी है। यह मिल 7 जुलाई, 1975 को 2 बजे अधिकारियों की सुरक्षा और संस्थान की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये बन्द करनी पड़ी। इसमें लगभग 1452 श्रमिक कार्य करते हैं। इस बात की चेष्टा शासन द्वारा की गयी कि यह मिल चलती रहे। रूई की खरीद के सम्बन्ध में जो कठिनाई होती है उससे हम सब अवगत हैं। रूई का सीजन अभी शुरू होता है। इसके लिये 66 लाख रुपया स्वीकार हुआ है। जहां तक इसके चलाने का सम्बन्ध है, मध्य नवम्बर के पहले चल जायेगी और हो सकता है कि पहले सप्ताह में भी चल जाये और आजकल में भी चल सकती है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

यह जो मिल है, उसमें काफी करप्शन है, क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो दूसरा प्रश्न है। इससे अलग है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

उनके ऊपर चार्जेज हैं। वर्कर्स ने चार्जेज लगाये हैं और पब्लिक ने भी लगाये हैं। आप क्या उसकी जांच करा लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो भी कार्यवाही होनी थी, हो रही है। करप्शन की जो बात कही गयी, तो वह सुनाई देती है लेकिन सब सही नहीं होती है। माननीय सदस्य जानते हैं, उनको अनुभव है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

मजबूती से जमे रहो भैया, कोई हिला नहीं सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य के रहते कमजोरी कैसे आ सकती है।

(हंसी)

श्री ऊदल--

जब रूई खरीदने में कठिनाई होती है, तो उसको सम्बन्धित अधिकारियों ने या जो वहां पर बोर्ड है उसने उसको टाइम से क्यों नहीं खरीदा ? आपने उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सरकार ने जो प्रबन्ध किया था, उसको प्रशासक के हाथ में दे दिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था, इस कारण मिल को बन्द करना पड़ा और माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि चूंकि प्रबन्धक और एस्टैब्लिशमेन्ट को खतरा था, तो क्या यह निश्चित बात है कि जिस दिन मिल बंद हुई, उस दिन मजदूरों की तनख्वाह का पैसा उनके ऊपर बकाया था और अगर था, तो कितना था ?

श्री अध्यक्ष--

यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती, लेकिन अगर जानकारी हो तो दे दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, सदन में 2 प्रकार के बयानात हुए हैं। मंत्री जी ने तो कहा है कि एक तो प्रबन्धक और एस्टैब्लिसमेंट को खतरा था और दूसरे रूई नहीं थी, इसलिये मिल को बन्द करना

पड़ा लेकिन माननीय सदस्यों का यह कहना है कि चूंकि मजदूरों का 3 महीनों का पैसा बकाया था, इस कारण मिल को बन्द करना पड़ा। तो स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वास्तव में स्थिति क्या है। मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि जो श्रमिक बेकार हुए हैं, उनका कितना पैसा बकाया था, जिस दिन यह मिल बन्द हुई ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से आप प्रश्न कर सकते हैं। यह ब्योरे का प्रश्न हुआ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा प्रश्न केवल यह है कि अगर है, तो कितना ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई रुकावट थोड़े ही हूं। आपने प्रश्न किया और फिर दोहराया और मैंने कहा था कि अगर उनके पास सूचना उपलब्ध है, तो दे दें। अगर यह सूचना उनके पास होती तो दे देते।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी लिमिटेड, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ का उत्पादन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

*14--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की सूती मिल कब से और कितना मासिक सूत तैयार कर रही है और कितने कर्मचारी मिल में लगे हैं ?

श्री अजीजुर्रहमान--

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (नं01) लिमिटेड, मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में परीक्षण उत्पादन का कार्य माह जुलाई, 1976 से आरम्भ हो गया है तथा अब तक विभिन्न काउन्ट्स के 22021 किलोग्राम सूत का उत्पादन हो चुका है। कुल उत्पादित सूत का ब्योरा निम्न प्रकार है :--

	किलोग्राम
1--जुलाई, 76	1,450
2--अगस्त, 76	1,975
3--सितम्बर, 76	6,519
4--अक्तूबर, 76	12,077
योग ..	22,021

वर्तमान समय में मिल में कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों की संख्या 211 है (अधिकारी 18, तृतीय श्रेणी 11, चतुर्थ श्रेणी 19, फिटर स्टाफ 30, मजदूर 98 तथा ट्रेनीज 35 हैं)।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जब यह मिल खोली गयी थी, उस समय प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि गरीबी को दूर करने के लिये यह मिल खोली जा रही है और जो वहां के आस-पास के लोग होंगे, उनको उसमें रखा जायगा लेकिन हमें जानकारी हुई है कि बाहर से लोगों को लाकर उसमें रखा गया है। आजमगढ़ के बहुत कम लोग रखे गये हैं जिसके कारण वहां की जनता में बड़ा असंतोष व्याप्त है। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी इसकी जानकारी करा कर इस शिकायत को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का, कहीं का, नागरिक हो वह किसी भी जिले में नौकरी पाने का मुस्तहक है। इस तरह की आवाज उठाना राष्ट्रीयता के विरुद्ध है कि आजमगढ़ में मिल रहे तो उसमें आजमगढ़ जिले के ही आदमी नौकरी करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अध्यक्ष जी, रसड़ा, बलिया में इनकी शुगर मिल है। जांच करा लीजिये कि कितने लोग बाहर के काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय काशीनाथ मिश्र ने प्रश्न उठाया है यह व्यवस्था से संबंधित नहीं है, कार्यप्रणाली और व्यवहार से संबंधित है। कहीं-कहीं मिलों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिये जमीनें इत्यादि ली जाती हैं तो जमीन वालों को जिनकी जमीन ली जाती हैं। दूसरों से तरजीह दी जाती है और जहां जो चीज होती है, वहां शासन कभी-कभी वहां के लोगों को, यह तो नहीं कि दूसरों के साथ अन्याय हो, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी रिआयत करता है। परन्तु इस प्रश्न की प्रक्रिया भिन्न है और असम्बद्ध है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

वह तो अध्यक्ष जी, गलत कहे हैं। हमारा कहना यह था कि जो टेक्निकल पद हैं, उसके लिये तो यदि वहां के लोग सक्षम हों तो रखे जायं, लेकिन मजदूर और चतुर्थ श्रणी के कर्मचारी, क्लर्क अगर वहां के सक्षम हों और बाहर से लोग जांय, इसकी शिकायत वहां के लोगों को है और सरकार के पास शिकायत आयी है और वह दूर हुई नहीं हुई? और न जांच हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह ब्योरे का प्रश्न है कि कितने आजमगढ़ के और कितने बाहर के हैं और कितनों की जमीन ली गयी। इसमें अवश्य समय चाहिये, लेकिन माननीय सदस्य बलिया, श्री काशीनाथ मिश्र, ने जो बात कही और माननीय सदस्य आजमगढ़, ने जो बात कही उन दोनों का सामन्जस्य स्थापित हो, ऐसा हमारा इरादा है। एक तरफ तो हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि हम इतने संकुचित हो जांय कि हम स्थान विशेष के इन्टेरेस्ट में ही लोगों को लें और दूसरी तरफ यह भी जरूरी है जो स्थानीय बेरोजगारी है, यथासंभव अगर कम हो सके तो 400 रुपये तक के जो रोजगार हैं, वह स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहिये और जिनकी जमीन ली गयी है, उनको तरजीह का अवसर दिया जाना चाहिये। लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से अगर टेक्निकल लोग बाहर के जिलों के हों और प्रदेश के बाहर के लोगों की भी आव-श्यकता पड़े तो फिर उनको भी दिया जा सकता है।

मिर्जापुर के ग्राम गोधना निवासी श्री राम चन्द्र सिंह के रिवाल्वर के लाइसेन्स का निलम्बन

*15--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने पिस्टल संख्या सी0 एम0 पी0 बी0 3666, लाइसेन्स संख्या 78, को निरस्त करने हेतु ता0 10-11-75 को नोटिस राम चन्दर सिंह, गांव गोधना, थाना कछवां, जिला मिर्जापुर को दिया था और उक्त लाइसेन्सी ने ता0 28-11-75 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचित किया कि यदि हमारा लाइसेन्स निरस्त किया गया तो हमें जान से मार दिया जायेगा और लाइसेन्स निरस्त होते ही उसे जान से मार दिया गया? यदि हां, तो लाइसेन्स निरस्त किये जाने का क्या कारण था और उक्त पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं?

श्री धर्मवीर—

श्री राम चन्द्र सिंह के पास लाइसेन्स संख्या 78 पर रिवाल्वर संख्या 8666 अंकित था न कि पिस्टल संख्या 3666। इस लाइसेंस को इस आधार पर कि लाइसेंसी मुकदमा अपराध संख्या 161, अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड विधान व मुकदमा अपराध संख्या 150-ए,अन्तर्गत धारा 325/342, 323 भारतीय दण्ड विधान में नामजद अभियुक्त है और उसके विरुद्ध 101/116, जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है, जिला मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने अपने आदेश दिनांक 10-11-75 द्वारा उसके शस्त्र का लाइसेन्स तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये उसे कारण बताओ नोटिस दिया कि क्यों न उसके शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। श्री राम चन्द्र सिंह ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर दिनांक 28-11-75 को दिया और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि यदि उसका लाइसेंस निरस्त किया गया तो उसके विरोधी उसे अवश्य जान से मार डालेंगे। लाइसेंस केवल निलम्बित हुआ था, निरस्त नहीं किया गया था। इस मामले पर कार्यवाही चल ही रही थी कि दिनांक 28-1-76 को श्री राम चन्द्र सिंह की हत्या हो गई। कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर श्री रामचन्द्र सिंह ने दिनांक 28-11-75 को दिया था उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 101 पर)

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

सस्पेन्शन की नोटिस दी गयी और जबाव में मृतक ने यह कहा कि अगर हमारा लाइसेन्स निरस्त किया गया, यानी अगर हमारा रिवाल्वर रख लिया गया तो हमारी हत्या हो जायगी और रिवाल्वर रखाया भी गया और हत्या भी हो गयी। तो क्या यह बात सही है कि सस्पेन्शन आदेश के तुरन्त बाद पिस्टल रखवा लिया गया जबकि जवाब में यह बात खासतौर से थी कि थानाध्यक्ष सम्बन्धित दूसरी पार्टी के रिश्तेदार हैं और उन्होंने ही यह कार्यवाही करायी और थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के ऊपर ही जिलाधीश ने नोटिस इश्यू की और जब यह लिख कर दिया गया कि हत्या का खतरा है, तो उसके बाद जिलाधीश या थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री धर्मवीर—

जहां तक उनके प्रार्थना-पत्र का सवाल है कि अगर यह लाइसेन्स निरस्त किया गया, तो उनकी हत्या हो जायगी, तो इसके पूर्व 116/117 की कार्यवाही उन पर चल रही थी और वह 302 में स्वत: नामजद मुल्जिम थे। तो जिनकी हत्या उन्होने की थी, उनकी तरफ से भी इस प्रकार का पत्र आया था कि यदि इनका लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया तो वह सम्भवत: दूसरी हत्या भी कर देंगे। इसी कारण से वहां के पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट के आदेश से 116/117 की कार्यवाही उनके खिलाफ की गयी। यह सही है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र देने से पूर्व ही स्वेच्छा से वाराणसी में अपना पिस्टल जमा कर दिया था। उसके बाद ही 28-11-75 को उनकी हत्या हो गयी।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

निलम्बन आदेश के तत्काल बाद रिवाल्वर का जमा करना आवश्यक नहीं था और उन्होंने स्वेच्छा से जमा कर दिया था उसमें यह आवश्यक शर्त थी।

श्री धर्मवीर—

निलम्बन का आदेश मिलते ही पुलिस अधिकारी या किसी लाइसेन्सी दकान पर जमा कर देना आवश्यक होता है।

श्री ऊदल—

जो प्रार्थना-पत्र मृतक ने 28-11-75 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिया नोटिस के जवाब में जिसमें दो बातें मुख्य थीं, एक तो हमारी हत्या हो जायेगी, हमारा लाइसेन्स न र किया जाय और दूसरे जो यह थानेदार है, यह विरोधी पार्टी का रिश्तेदार है। तो जब

उसने सही बात लिख दी और हत्या हो भी गयी, तो क्या सरकार ने उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? क्या यह सत्य है कि उसके दरख्वास्त देने के बाद और हत्या होने के बाद भी कई महीने तक वह थाने दार उस थाने पर बना रहा ?

श्री धर्मवीर—

जब उनका लाइसेन्स निलम्बित करने का आदेश हुआ था और कारण बताओ नोटिस दी गयी कि क्यों न उनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाय क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ से जिनकी हत्या में वह नामजद थे, उनको अन्देशा था कि उनकी हत्या हो जायगी तो निरस्त का जवाब देने के पूर्व ही उन्होंने अपना पिस्टल वाराणसी में जमा कर दिया था। अब प्रश्न यह रहा कि वह थानेदार उनका रिश्तेदार है और उस कारण यह कार्यवाही करायी। तो मुझे इसकी सूचना नहीं है कि वह उनका रिश्तेदार है । लेकिन यदि वह उनका रिश्तेदार है और उसने नियमानुसार कार्यवाही की तो रिश्ते की बात बीच में नहीं आती ।

श्री ऊदल—

इस दरख्वास्त में एक तीसरा प्वाइट यह है कि उक्त चाचा के कत्ल में श्री सत्यनारायण सिंह अभियुक्त रहे और उसकी जमानत के उपरान्त उसका कत्ल किसी व्यक्ति ने कर दिया। प्रार्थी के चाचा के कत्ल में सत्य नारायण सिंह अभियुक्त रहे और कछवा के थानेदार श्री ब्रज-भूषण सिंह के रिश्तेदार हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में तुरन्त छानबीन क्यों नहीं की गयी ?

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, दिवंगत श्री रामचन्दर सिंह 302 का मुलजिम था, इसलिये कोई अस्त्र वह अपने पास नहीं रख सकता था। इसलिये उसको यह नोटिस दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, थानेदार दूसरी पार्टी से मिला हुआ था और उससे उसका झगड़ा था और उसने यह लिख कर दिया था कि उसकी जान को खतरा है। तो जब उसने लिख कर दिया था कि उसकी जान को खतरा है, तो उसकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, वह स्वयं 302 का मुलजिम था और इस तरह के मुकदमों में इस तरह की पेशबन्दियां की जाती हैं।

श्री ऊदल—

इसमें कोई पेशबन्दी नहीं है ।

श्री धर्मवीर—

मैंनें नहीं कहा कि इसमें पेशबन्दी की गयी है, मैंने कहा कि इस प्रकार के मुकदमों में इस प्रकार की पेशबन्दी की जाती है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

इस केस में मामले को पेन्डिग रख कर जो कत्ल कराया गया है, इसकी जिम्मेदारी जिलाधीश पर आती है। आखिर इस पर तुरन्त फैसला क्यों नहीं लिया गया ?

श्री धर्मवीर—

निलम्बन के बाद श्रीमन्, उन्होंने स्वेच्छा से स्वयं अस्त्र जमा कर दिया। उनको जब कारण बताओ नोटिस दिया गया उस बीच उनका यह कत्ल हो गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी कह रहे हैं कि उसने स्वेच्छा से पिस्टल जमाकर दिया। जब भी निलम्बन का आदेश होता है तो श्रीमन्, आदेश में नीचे यह लिखा रहता है एस० ओ० के लिये कि वह संबंधित व्यक्ति के अस्त्रों पर कब्जा कर लें। यह भी आदेश उसमें दिया होता है। तो वह तो स्वतः जमा हो जाता है । तो क्या उस प्रति में इस तरह के आदेश भी थे और क्या मंत्री जी ने उस आदेश की प्रति को देखा है ?

श्री धर्मवीर—

वह लिखा रहता है मगर मैंने बताया कि उसने तो स्वेच्छा से जमा कर दिया था।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या निलम्बन आदेश के पहले उसने उसे जमा किया था ?

श्री धर्मवीर—

निलम्बन आदेश के बाद किया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उस थानेदार के खिलाफ यह आरोप है कि वह दूसरी पार्टी से मिला हुआ था और उसने स्वयं यह दरखास्त भी दी कि उसकी जान को खतरा है, तो इन बातों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवायेंगे ?

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, यह प्रश्न इस लिये नहीं उठता कि जिस मुलजिम का कत्ल हुआ वह स्वयं 302 का मुलजिम था और जांच पड़ताल का ही परिणाम है कि आरोप-पत्र न्यायालय में अभियुक्त पर किया जा चुका है। इसलिये इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी बार-बार कहते जा रहे हैं कि वह 302 का मुलजिम था और इसलिये प्रश्न नहीं उठता कि उसकी दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही की जाती । तो मैं जानना चाहता हूं कि 302 का मुलजिम अगर कोई है तो पुलिस मे एफ0 आई0 आर0 लिख जाने पर भी कोर्ट से सजा मिलने पर ही उसे सही मुलजिम करार दिया जाता है। और अगर कोई 302 का मुलजिम है और वह कहता है कि उसकी जान को खतरा है तो किसके अनुसार उसके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं है ?

श्री धर्मवीर—

मैंने यह नहीं कहा कि 302 का मुलजिम होने की वजह से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। मैंने यह कहा है कि वह स्वतः 302 का मुलजिम था और 302 का मुलजिम होने से धारा 116/117 के अन्तर्गत उसके शस्त्र के लाइसेंस का निरस्त करने की नोटिस दी गयी और इसी बीच में उनकी हत्या हो गयी।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मेरी दरख्वास्त यह है कि जिसका मर्डर हुआ उसने स्वयं इस तरह की शिकायत की थी कि उसकी जान को खतरा है, तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करावें जैसा कि नेगी जी ने प्रस्ताव किया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि वे ही गृह मंत्री भी हैं और जैसा कि वे जानते हैं, यह मामला बड़ा गम्भीर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सी0 आई0 डी0 द्वारा इसकी जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे इस बात का दुख है कि इस तरह की हत्या हुई और इस सम्बन्ध में प्रश्न किया गया। लेकिन आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि प्रदेश में इस तरह की वारदातें होती रही हैं। अगर नियमानुकूल ढंग से उनके शस्त्र को निरस्त करने की कार्यवाही की गयी, तब तो कोई बात नहीं है लेकिन यह हो सकता है कि मेलाफाइडी तरीके से कोई कार्यवाही की गयी हो, तो इसकी जांच करा ली जायेगी, लेकिन सी0 आई0 डी0 द्वारा नहीं ।

श हजहांपुर के थ ना परोर के पुलिस उपनिरीक्षक, श्री गंगाराम तोमर की हत्या

*16—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

1976 के प्रथम सत्र के 1ले सोमवार के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना परोर के कुख्यात यादवों के गिरोह ने अप्रैल, 1976 में दरोगा की नृशंस हत्या कर दी उसमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और थाना परोर के रक्षपाल यादव आदि तथा थाना जैतीपुर के ग्राम मडई के गंगा सहाय यादव आदि व ग्राम नगरिया के लखपत सिंह यादव आदि के गिरोंहों ने पिछले 1 वर्ष से घनघोर गुन्डा गर्दी मचा रखी है और इन गुन्डों के विरुद्ध पीड़ित जनता ने अनेक तार, प्रार्थना-पत्र व नामजद रिपोर्टें भी दर्ज कराई फिर भी क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-4-76 को ग्राम गनेशपुर, थाना परौर में थाना परौर के उप निरीक्षक पुलिस श्री गंगाराम तोमर की ग्राम गनेशपुर के अमुक 16 अहीरों तथा एक फकीर द्वारा हत्या किये जाने की घटना की सूचना श्री दुलार सिंह, निवासी गनेशपुर, द्वारा थाना परौर पर अंकित करायी गयी। उक्त सूचना के आधार पर धारा 147/148/149 302/323/332/436 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया। उक्त अभियोग से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और शेष 15 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना के उपरांत सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

2—प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों का कोई गिरोह नहीं है। उनके द्वारा क्षेत्र में गुण्डागर्दी मचाये जाने की शिकायत सही नहीं पायी गयी। थाना परौर के रक्षपाल यादव आदि के विरूद्ध थाने पर कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है न ही कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। ग्राम मढ़ई, थाना जैतीपुर के गंगा सहाय यादव आदि 6 अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध एक हस्तक्षेपीय अपराध थाना जैतीपुर पर धारा 395/398 भा0 द0वि0के अन्तर्गत कायम कराया गया। विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी। ग्राम नगरिया के लखपत सिंह यादव आदि के विरुद्ध हस्तक्षेपीय मुकदमें अंकित कराये गये। एक मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा एक मुकदमें में अभियुक्त का चालान धारा 323 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत किया गया। उक्त लखपत सिंह यादव के विरुद्ध एक तार श्री नत्थू लाल खटिक, निवासी मरूआ झाला, ने भेजा था जिसमें बदमाशों को मदद देने व हरिजनों को सताने का आरोप लगाया गया था। जांच से आरोप निराधार पाये गये।

*17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[प्रथम सत्र 1976 के 4 थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत उत्तरित।]

प्रदेश में बढ़े हुये गन्ना मूल्य का भुगतान

*18—श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1975-76 में सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गन्ने की दर को किसानों को सीजन के प्रारम्भ से ही दिलाने की व्यवस्था पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शासन, सत्र 1975-76 हेतु चीनी मिल मालिकान एवं गन्ना उत्पादकों के मध्य तय हुई बढ़ी हुई गन्ना मूल्य की दर किसानों को सीजन प्रारम्भ से ही दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। 23 चीनी मिलों ने इसका पूर्णरूप से भुगतान भी कर दिया है और शेष चीनी मिलें आर्थिक दशा हीन होने के कारण किस्तों में भुगतान कर रही हैं।

*19—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 41 पर स्थानान्तरित।]

राज्य प्रेस मान्यता समिति का गठन

*20—श्री ऊदल—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य प्रेस मान्यता समिति के गठन में हो रहे विलम्ब का क्या कारण है और इस समिति का गठन कब तक हो जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य प्रेस मान्यता समिति के गठन के संबंध में पत्रकार वर्ग में मतैक्य न हो सकने के कारण विलम्ब हो रहा है। इस समिति के गठन का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय सम्भव हो पायेगा।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी ने जो अभी बतलाया कि मतैक्य नहीं है, तो यह क्यों ? इसके मुख्य कारण क्या थे ? उनकी तरफ से कोई स्मृति-पत्र दिया गया या उन्होंने कोई शिकायत की ? उसका आधार क्या है जो आपने कह दिया कि उनमें मतैक्य नहीं है ?

विद्युत् राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

1965 में राज्य प्रेस जर्नलिस्ट यूनियन का जन्म हुआ। अखिल भारती श्रम जीवी पत्रकार संघ की उत्तर प्रदेश की शाखा से कुछ लोग अलग हो गये जिसे एसोसिएशन का जन्म हुआ। उसके बाद वहां की दोनों संस्थाओं में मान्यता समिति के गठन के प्रश्न पर आपस में मतैक्य नहीं हो सका।

श्री ऊदल—

1965 में फूट पड़ गयी। उसके बाद बदलकर दूसरे नाम दे दिये गये। तो मतैक्य न होने का क्या कारण है ? बहुत समय हो गया है, अब तो 1976 है। अब क्या कारण है कि मतैक्य नहीं हो रहा है ?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

आपस में पूर्व उल्लिखित दो संगठन हैं, स्थिति ऐसी है। 1965 में जब मुख्य मंत्री श्री गुप्त जी थे, उस वक्त एक समिति 8 सदस्यों की बनी थी। मान्यता समिति का यही प्राविधान था। उसमें 4 होते थे, अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के और 4 होते थे, अखिल भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ के। उसके बाद उसमें विघटन की घटना हो गयी जैसा मैंने कहा है। उसका कारण है, इसमें पहले 4 जो पत्रकार सम्पादक सम्मेलन के लोगों ने ही 4 सदस्य मनोनीत कर दिये। लेकिन इसके बाद जब इन दोनों का आपस में मतैक्य नहीं हुआ तो उस वक्त एसोशिएसन के पहले 1 और फिर 2 सदस्यों और 6 सदस्यों की समिति चलने लगी। आपस मे विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार ने सन् 71 में इस की मान्यता समिति को भंग कर दिया। उसके बाद अखिल भारतीय पत्रकार सम्पादक सम्मेलन के लोग तैयार हुये। लेकिन श्रम जीवी पत्रकार संघ की उत्तर प्रदेश के शाखा के लोग तैयार नहीं हुये। मतैक्य न होने की स्थिति आज भी बनी हुयी है। प्रयास किया गया है किन्तु सफलता नहीं मिली है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न यह है कि मान्यता समिति अभी गठित नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि पत्रकारों में फूट है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्रमजीवी पत्रकार संघ अभी तक है। यदि है तो उसकी राय लेकर क्यों नहीं समिति गठित की जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जिस शब्द का प्रयोग उत्तर में किया गया है वह फूट नहीं है, वह मतैक्य है। श्रीमन्, पत्रकार प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे इन्टेलेक्चुअल क्लास जो देश और प्रदेश

के जनमत को बनाता है, सरकार बहुत सावधानी से निर्णय लेना चाहती है। पत्रकारों का व्यक्तिगत रूप से आदर होता है और सामूहिक रूप मे भी उनका आदर होता है। तो शासन का प्रयास रहा है कि यथा संभव मतैव्य हो और बुद्धिजीवी पत्रकारों का सहयोग, जनमत को बनाने में, प्रदेश की जनता को, समाज को और शासन को सामान्यत: प्राप्त होता रहे। इसीलिये इस प्रश्न में कोई शीघ्रता करने का इरादा नहीं है और मतैक्य लादने का इरादा भी नहीं है। मान्यता का कार्य जारी है और मान्यता दी जा रही है। लेकिन इस संबंध में शासन पत्रकार वर्ग महत्व को देखते हुये और व्यक्तिगत पत्रकार के महत्व को देखते हुये, इसमें कोई फैसला लादना नहीं चाहता है ।

श्री ऊदले--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि फूट नहीं है, मतैक्य नहीं है। मतैक्य कराने के लिये अब तक कुछ प्रयास किया है ? अगर नहीं तो जो कहा गया है कि विचाराधीन है तो क्या आगे कुछ इस तरह का प्रयत्न करेंगे कि इनमें मतैक्य हो जाय और उनको मान्यता दे दी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चहता हूं कि इस संबंध में कोहली कमेटी बनी थी और कुछ सदस्य पत्रकारों के मनोनीत हुये थे। क्या उसके अनुसार इसको गठित नहीं किया जा सकता ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस समिति, जिसका उल्लेख किया गया है, इस समिति में विचार हुआ कि कैसा संगठन हो, कितने सदस्य हों। लेकिन उसका सीधा संबंध मान्यता के प्रश्न से नहीं है ।

रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ में राष्ट्रीय झंण्डे का कथित अपमान

*21--श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 75 व 26 जनवरी, 1976 को रिफारमेटरी जेल के गेट पर लगे हुये राष्ट्रीय झन्डे का कोई भी सम्मान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार उसे राष्ट्र का अपमान मानकर दोषी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

15 अगस्त, 1975 को रिफारमेटरी स्कूल, लखनऊ, पर दैनिकचर्या में झण्डा प्रात: चढ़ाया गया। चूंकि उस दिन आदर्श कारागार, जिला कारागार तथा रिफारमेटरी स्कूल का कार्य एक ही अधीक्षक देख रहे थे, अत: उनके आदेशानुसार रिफारमेटरी स्कूल के स्टाफ ने जिला कारागार पर ही झंडे कं सलामी दी। 26 जनवरी, 1976 को रिफारमेटरी स्कूल पर झंडे की सलामी विधिपूर्वक उप कारापाल तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा दी गयी । अत: राष्ट्र का अपमान करने तथा किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा के ग्राम खटौरा तथा बल्लान में डकैती

*22--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या पुलिस मंत्री को पता है कि जनपद बांदा के थाना अतर्रा के अन्तर्गत माह मार्च तथा अप्रैल, 76 में ग्राम खटौरा में जागेश्वर प्रसाद के घर तथा ग्राम बल्लान में दीन दयाल के घर में डकैतियां हुईं ? यदि हां, तो क्या इन डकैतियों में कत्ल भी हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जागेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम खटौरा, थाना अतर्रा, जिला बांदा के भाई शिव बालक ने दिनांक 26-4-76 की सुबह थाना अतर्रा में अपने यहां 25/26 अप्रैल 76, की रात में डकैती पड़ने के संबंध में धारा 396/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार एक अभियुक्त के फायर से राम सजीवन नामक एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामांकित नहीं था। संबंधित मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

ग्राम दीनदयाल का पुरवा मजरा बल्लान थाना अतर्रा जिला बांदा में 18/19-4-76 की रात में श्री मलखान सिंह के यहां डकैती पड़ने के संबंध में उन्होंने 19-4-76 को 4 नामांकित तथा 6-7 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना अतर्रा पर रिपोर्ट लिखाई थी। इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। संबंधित मुकदमें में विवेचना के बाद छः अभियुक्तों के विरुद्ध 22-7-76 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। यह मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

थाना बारादरी (बरेली) के अन्तर्गत श्री जयदीप कुमार की हत्या

*23—श्री श्यामलाल रावत (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 2 अप्रैल, 1976 को बरेली शहर के मोहल्ला गंगापुर के नजदीक 14 वर्षीय हाई स्कूल छात्र जयदीप कुमार उर्फ तल्ली की हत्या रहस्यमय ढंग से की गई जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना बारादरी, शहर बरेली में मृतक के भाई द्वारा लिखाई गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या थी और किन-किन व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में अब तक गिरफ्तार किया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 2-4-1976 को थाना बारादरी, जिला बरेली पर श्री संदीप कुमार द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसके भाई जयदीप कुमार उर्फ तल्ली की दो नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंगापुर तेल कम्पनी के पास मारपीट की गई, उसके पेट में घूसे मारकर गिराया गया तथा अस्पताल ले जाते समय उसके भाई की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गई। जांच से यह ज्ञात हुआ कि मृतक हाई स्कूल का विद्यार्थी था तथा अचानक झगड़ा होजाने के कारण उक्त अपराध हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के ठुड्डी तथा दाहिने सीने पर मामूली चोटें पाई गईं परन्तु मृत्यु के कारण की पुष्टि नहीं हुई। विवेचना के उपरान्त दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 9-5-1976 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। तीसरे अज्ञात अभियुक्त का नाम व पता न चलने के कारण विवेचना समाप्त कर दी गई है।

प्रदेश के कारागारों में फ्लश शौचालय की व्यवस्था की मांग

*24—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी केन्द्रीय तथा जिला कारागारों में पुराने जमाने की ही टटिट्यां बनी हुई हैं जिसको हाथ से उठाकर बाल्टी में भर कर ले जाने का कार्य कुछ जातियों के लोगों से, चाहे हवालाती बन्दी हों या सजायाफ्ता (श्रम), उनसे लिया जाता है? यदि हां, तो इस पुरानी प्रथा को समाप्त करने और फ्लश सिस्टम पाखाने का निर्माण कराने में अब तक कोई कदम उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्य मंत्री को 17 मई, 76 को अपने व्यापक सुझाव के साथ पत्र लिखा है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 102 पर।)

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं सूचना पढ़े दे रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने नहीं पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—

आपको प्रति इसकी मिल गयी होगी ?

श्री ऊदल—

जी हां। श्रीमन्, यह सूचना ठीक नहीं है, गलत है। श्रीमन्, आपको भी जेलों का अनुभव है और जितने माननीय सदस्य हैं सभी को ज्यादातर अनुभव है। सूचना यह दी गयी है कि बहुत से कारागारों में फ्लश सिस्टम लैट्रिन की व्यवस्था की जा रही है और बहुत जगह व्यवस्था है लेकिन पानी न मिलने से उनका सदुपयोग नहीं होता है। आज भी प्रदेश के कारागारों में खुली टट्टियां हैं और मुशहर तथा मंगी जाति के लोगों को पकड़ कर 109, 110 में चालान किया जाता है और इस काम को कराया जाता है। वह कैदी होते हुये भी टट्टी को हाथ से साफ करके कंधे पर लादकर बाहर ले जाते हैं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है। इसलिये यह सूचना बिल्कुल गलत और निराधार है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कमेटी इसके लिये बनाने को तैयार हैं कि सभी कारागारों का ठीक से निरीक्षण करके कोई इस तरह का प्लान बनाया जाय कि सभी जगह फ्लश लैट्रिन की व्यवस्था हो सके और पूरा सुधार हो सके ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्रीमन्, शासन का यह निश्चित मत है कि जहां ओपिन लैट्रिन हैं वहां जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जाय बैसे-बैसे पी० आर० ए० टाइप व फ्लश टाइप लैट्रिन बनायी जायं। जो सूचना संलग्न है वह सही है और माननीय सदस्य का जो पत्र मुख्य मंत्री जी को मिला उसके अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है। शासन को अभी तक यह शिकायत नहीं मिली है कि बंदियों से उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम लिया जाता है। जिन कारागारों के बारे में कहा गया है वहां टेम्पोरेरी या परमानेन्ट स्वीपर लगे हुये हैं और किसी बंदी से यह काम नहीं लिया जा रहा है।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आपको सूचना दी है कि कारागार में मुशहर और मेहतर लोग 109 और 110 में जेल भेज दिये जाते हैं वह सूचना सही है और सरकारी सूचना सही नहीं है। खैर साहब ने एक बार रूलिंग दी है कि माननीय सदस्य की सूचना सही होती है पटवारी और जेलर की सूचना से। इसलिये यह सूचना सही है और वह सूचना गलत है। रूलिंग को आप देख लें उनकी सूचना सही है और गवर्नमेन्ट की सूचना गलत है।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, पटवारी और लेखपाल जेलों में होते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसका तो सामान्यीकरण श्री आगा जैदी ने कर दिया है। यह तो एक विशिष्ट प्रश्न है। हम किसी बड़ी पृष्ठभूमि में विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। यह तो सीमित दायरा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आगाजैदी जी ने इस सवाल को हल्का कर दिया है।

श्री ऊदल—

आपकी आज्ञा से मैंने जो प्रश्न किया था कि क्या सरकार कोई इस तरह की कमेटी निर्धारित करेगी जो जेलों में और सुधार के साथ-साथ इस प्रश्न पर जो एक पर्टीक्यूलर प्रश्न है उसके उत्तर पर विचार करेगी ताकि शासन उसके अनुरूप काम करे। फ्लश लैट्रीन

की सफाई के बारे में जबाव तो मंत्री जी ने दिया नहीं । यह मानवीय प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी क्या इस मानवीय प्रश्न पर विचार कर इस तरह के सुझाव को स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति थोड़े है। मुख्य मंत्री जी आश्वस्त करना चाहें कि यह जो शौचालय का प्रश्न है जेलों में सफाई का आप कहते हैं कि यह मानवीय प्रश्न है तो वहां अच्छे शौचालय बनने चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस बजट में हमने हाल में जो आदेश दिये हैं उनके अनुसार बीस कारागारों के शौचालयों की व्यवस्था और विशेष मरम्मत के लिये पांच लाख 79 हजार तीन सौ रुपया मंजूर किया जा चुका है। बीस कारागारों में शौचालय बनाये जायेंगे और कार्य और तेजी से किया जायगा।

होमगार्ड के सदस्यों का दैनिक भत्ता

*25—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 76 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अपने मुख्यालय से 8 कि0 मी0 की सीमा के अन्दर ड्यूटी पर जाने पर होमगार्ड्स को जो 4 रु0 प्रति दिन प्रति होमगार्ड ड्यटी भत्ता दिया जाता है वह शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है ? यदि हां, तो क्या शासन इनकी सेवाओं को देखते हुये भत्ते को बढ़ाने पर बिचार कर रहा है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर—

होमगार्ड के सदस्य जनसेवा की भावना से रखे जाते हैं। इस कारण उनकी तुलना मजदूरी करने वाले श्रमिकों से करना उचित न होगा।

होमगार्ड्स की देय ड्यूटी भत्ते की दर 4 रु0 प्रतिदिन से बढ़ा कर 5 रु0 प्रतिदिन करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह चार रुपया प्रतिदिन से बढ़ा कर पांच रुपया प्रतिदिन करने का निर्णय कब से लिया गया और इस पर कितना. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह व्योरेवार प्रश्न है। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*26—श्री भीखा लाल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

सरकारी अधिकारियों एवं ठेकेदारों को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध करने का निर्णय

*27—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल ने सरकारी अधिकारियों एवं ठेकेदारों (सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के) को गलत काम करने के अपराध में मीसा में बन्द करने का निर्णय 1976 में लिया है ? यदि हां, तो जिस दिन से निर्णय लिया गया है उस दिन से कितने अधिकारी व ठेकेदार मीसा में बन्द किये गये ? बन्द किये

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गये अधिकारियों में कौन–कौन से अधिकारी किस–किस विभाग के हैं? ठेकेदारों की कितनी संख्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है।

लार, जिला देवरिया में डकैती की जांच रिपोर्ट

*28––श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी हैं कि 27–2–75 को प्रश्नकर्ता विधायक ने लार, जिला देवरिया में घटित एक डकैती के सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री को कोई शिकायती पत्र दिया था जिसकी जांच डी0 आई0 जी0 पुलिस, गोरखपुर ने की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुख्य मंत्री पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

प्रश्नकर्ता महोदय ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को एक शिकायती पत्र इस आशय का दिया था कि 1/2–12–74 की रात में लार देवरिया में श्री रियाज के कपड़े की दूकान पर डकैती पड़ी थी परन्तु अधिकारियों ने गलत सूचना देकर गुमराह किया है। इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र से रिपोर्ट मांगी गई थी। उनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले के बारे में जांच कराई गई। जांच मे कस्बा लार, देवरिया में 1/2–12–74 की रात में डकैती पड़ने की घटना की पुष्टि नहीं हुई। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री रियाज अहमद जो कस्बा लार के कपड़े के व्यापारी हैं ने अपनी दूकान का ताला तोड़कर सामान चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाना लार पर लिखाई थी।

श्री रियाज अहमद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 457/380 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया था। विवेचना के बाद मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

शाहजहांपुर के ग्राम शिवराजपुर में विद्यार्थियों के लूटे जाने की घटना संबंधी प्रार्थना-पत्र

*29––श्री राजेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के 2रे सोम0 के तारा0 प्रश्न सं0 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री ओम प्रकाश यादव, विद्यार्थी, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना फतेहगंज, पूर्वी, जिला बरेली ने 11-11-75 को एक प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में सीनियर पुलिस कप्तान, बरेली को खुद मिलकर दिया जिसकी तहकीकात सर्किल आफिसर, फरीदपुर ने की और घटना की जगह थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर में निकली ? इस कारण आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस कप्तान, शाहजहांपुर को 25–11–75 में उपरोक्त प्रार्थना–पत्र भेज दिया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11–11–75 को श्री ओम प्रकाश यादव छात्र, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली ने एक प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को दिया था जो उसी दिन थानाध्यक्ष फतेहगंज (पूर्वी) बरेली को भेज दिया गया था। थाना फतेहगंज (पूर्वी) के अधिकारी व कर्मचारीगण का कहना है कि उन्होंने उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 16–11–75 को थाना मीरानपुर कटरा के दो कांसटेबिलों को दे दिया था क्योंकि घटनास्थल थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत था। इस

प्रार्थना-पत्र की आमद थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के अभिलेखों में नहीं पाई गई। जनपद बरेली के किसी अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच नहीं की गई थी। उक्त प्रार्थना-पत्र का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश यादव ने उपरोक्त प्रार्थना-पत्र उल्लिखित घटना के संबंध में एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-8-75 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिया था जिसके आधार पर थाना मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर पर धारा 394/398/506 भा0 द0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से मामले में कोई सत्यता नहीं पाई गई। अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई। साथ ही अपराध निरस्त करने की रिपोर्ट दी गई।

बुढ़वल चीनी मिल, बाराबंकी द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

*30—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975-76 में चीनी मिल, बुढ़वल, जिला बाराबंकी द्वारा कितने बोरा चीनी उत्पादित की गई और इस वर्ष प्रति बोरा चीनी में कितने रुपये गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निश्चित किये गये थे? क्या यह सही है कि इस वर्ष गन्ना मूल्य की मद से किसानों का लगभग 3 लाख रुपया चीनी मिल को दिया गया ह? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सीजन 1975-76 में बुढ़वल शुगर मिल द्वारा 31592 बोरे चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र के शुरू में जिलाधिकारी बाराबंकी ने गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रु0 138.84 प्रति बोरा आरक्षित किया जो बैंक से मिलने वाले अग्रिम धन का 76 प्रतिशत था परन्तु फरवरी, 1976 में गन्ना मूल्य बढ़ जाने के कारण इसे बढ़ाकर रु0 146.15 प्रति बोरा शुरू सीजन से ही कर दिया जो कि बैंक से मिलने वाल अग्रिम का 80 प्रतिशत था तथा गन्ना मूल्य भुगतान हेतु पर्याप्त था। बाद में लेवी चीनी का दाम रु0 200 से बढ़कर रु0 205 हो गया और फ्री सेल की चीनी पर अग्रिम धनराशि 75 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई जिसके कारण मिल को रु0 3.13 लाख और अग्रिम धनराशि के रूप में मिला जिसको बैंक ने बिना मिल की अनुमति के गन्ना मूल्य भुगतान के खाते में डाल दिया। इसी धनराशि को वेतन आदि देने के लिये रिसीवर ने जिलाधिकारी बाराबंकी से अपील करके गन्ना मूल्य के खाते में निकलवा लिया क्योंकि सीजन 1975-76 में खरीदे गये गन्ने के सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान किया जा चुका था।

शाहजहांपुर, थाना कलान के अन्तर्गत हरिजनों का अपहरण एवं हत्या

*31—श्री तेज सिंह—(जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना कलान के अन्तर्गत मई, 1976 के आखिरी सप्ताह में कुख्यात अहीरों के गिरोह ने 4 हरिजनों का अपहरण कर लिया जिसमें तीन की लाशें सोत नदी के किनारे कई दिन बाद मिली और इस घटना से समस्त जनपद में घोर रोष, असंतोष व्याप्त है? क्या यह भी सही है कि कुछ महीने पहले थाना परोर के दरोगा की नृशंस हत्या भी अहीरों के गिरोह द्वारा की गई और थाना जैतीपुर में भी अहीरों के गिरोहों ने गरीब हरिजनों की जिन्दगी नर्क कर रखी है जिसकी अनेक रिपोर्ट भी दर्ज हैं? यदि हां, तो उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-5-76 को समय 21.15 बजे श्री बालकराम निवासी धोवियान नगला, मजरा छिदपुरी, थाना कलान, जिला शाहजहांपुर ने थाना कला न

पर सूचना अंकित करायी कि उसके गांव के निवासीगण सर्वश्री पुत्तू, बाबूराम किसान, सुखलाल तथा मकरन्द जाटव नामक 4 व्यक्तियों को 20 नामांकित अभियुक्तों द्वारा रंजिश के कारण जबरदस्ती पकड़कर गंगा नदी की ओर जान से मार डालने की नीयत से ले जाया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना कलान पर धारा 147/148/149/364 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया और थानाध्यक्ष कलांन मय फोर्स के उसी रात घटनास्थल पर गये। विवेचना के दौरान दिनांक 31–5–76 को श्री पुत्तू की लाश गंगा नदी के किनारे से बरामद की गयी। अतः उपर्युक्त धाराओं में धारा 302 भा0 द0वि0 और जोड़ी गयी। श्री सुखलाल जाटव की लाश दिनांक 1–6–76 को गंगा नदी से बरामद हुई। शेष दो व्यक्तियों की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। विवेचना के उपरान्त सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है। इस घटना से कोई रोष व असंतोष अब व्याप्त नहीं है।

2—दिनांक 25–4–76 को थाना परौर, जिला शाहजहांपुर, के उपनिरीक्षक पुलिस, श्री गंगाराम तोमर, को ग्राम गनेशपुर, थाना परौर, के 16 अहीरों तथा एक फकीर द्वारा हत्या किए जाने की घटना के संबंध में उसी दिन थाना परौर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/302/323/332/436 भा0 दि0 वि0 अंकित कराया गया। विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों का चालान अदालत किया जा चुका है और अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

3—यह बात सत्य नहीं है कि थाना जैतीपुर में अहीरों के गिरोहों ने गरीब हरिजनों की जिन्दगी नर्क कर रक्खी है। दिनांक 1–1–76 से 30–6–76 तक थाना जैतीपुर में दो जाटवों तथा एक धोबी द्वारा अहीरों के विरुद्ध एक हस्तक्षेपीय तथा दो अहस्तक्षेपीय अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करायी गयीं। उक्त तीनों अपराधों की विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्त हस्तक्षेपीय अपराध अन्तर्गत धारा 395/398 भा0 द0 वि0 में अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी। अहस्तक्षेपीय अपराधों में से एक में विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी और दूसरे अपराध में अन्तर्गत धारा 352/504/506 भा0 द0 वि0 में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियोग न्यायालय के विचारधीन है।

थाना हसनगंज (उन्नाव) की पुलिस और हरिजनों में मुठभेड़

*32—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती ग्वागा, निवासी ताला सराय, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 17–2–75, जिसमें थाना ओरास, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा दो हरिजनों को गोली मार कर फर्जी गिरोहबन्दी दिखाई है, तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था, क्या यह सही है कि उस पर उन्होंने सी0 आई0 डी0 द्वारा छान–बीन करने के आदेश दिये थे और तदुपरान्त प्रश्नकर्ता का दूसरा पत्र दिनांक 19-7-75 जिसमें उपरोक्त पत्र की याद दिहानी कराई गई थी प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा छान–बीन कराई गई? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और यदि नहीं कराई गई तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 17–2–75 तथा 19–7–75 के पत्र शासन को प्राप्त हुए थे जिनमें की गई शिकायत के बारे में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के लिये आदेश दिये गए थे किन्तु बाद में पुनर्विचार किए जाने पर सी0आई0डी0द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई। इस मामले के बारे में मेजिस्टीरियल जांच हुई थी जिससे मुठभेड़ की घटना सही पाई गई थी।

जिला कारागार, फर्रुखाबाद के बन्दी का गलत नाम व पता

*33—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद की जेल में कोई ऐसा व्यक्ति ग्राम रंका इमलिया, जिला भिन्ड का सजा काट रहा है, जो उसी नाम के दूसरे अभियुक्त के नाम से बन्द किया गया था। यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसकी रिहाई के आदेश देगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला कारागार, फर्रुखाबाद में निरुद्ध एक बन्दी ने यह बताया है कि उसका वास्तविक नाम व पता अभिलेखों में इन्द्राज से भिन्न है। इस मामले में अभिसूचना विभाग की जांच जारी है और शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

समाचार-पत्र दैनिक "बंबार्ड" बांदा को शासकीय विज्ञापन तथा झांसी मंडल के सम्पादकों एवं संवाददाताओं को प्रदान की गयी शासकीय सुविधाएं

*34—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतावेंगे कि दैनिक समाचार पत्रों को शासकीय विज्ञापन देने के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति व नियम हैं ? क्या बांदा जनपद के किसी दैनिक समाचार पत्र को वर्ष 1975–76 में शासकीय विज्ञापन दिये गये ? यदि हां तो किस पत्र को ? क्या यह सत्य है कि उक्त दैनिक पत्र शासन से विज्ञापनों को पाने के लिये अधिकृत नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शासकीय विज्ञापनों के लिये सुपात्र होने के लिये दैनिक समाचार पत्र को—

(1) 50 × 38 से0 मी0 के आकार के कम से कम 4 पृष्ठों में प्रकाशित होना चाहिए।
(2) उसका प्रकाशन 6 माह तक नियमित होना चाहिये,
(3) उसकी सशुल्क प्रसार संख्या कम से कम 1,000 प्रतियां प्रति दिन होनी चाहिए।
(4) पत्र में व्यक्तिगत एवं चरित्र पर आक्षेप करने वाले समाचार न छपने चाहिए।
(5) पत्र में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले उत्तेजनात्मक समाचार न छपना चाहिए।
(6) पत्र में सेंसर के नियमों का अनुपालन होना चाहिये।

बांदा के दैनिक "बंबार्ड" को वर्ष 1975–76 में 4 शासकीय विज्ञापन दिए गये। विज्ञापनों की सूची संलग्न है।

हां, यह पत्र शासकीय विज्ञापन पाने के लिये अधिकृत नहीं है। यह विज्ञापन जिला कार्यालयों द्वारा सीधे दिये गये थे। जिलाधिकारी, बांदा को निर्देश दे दिए गये हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भविष्य के लिये सावधान कर दें कि जो भी विज्ञापन दिए जाने हों, वे निरपवाद रूप से सूचना निदेशक, उ0 प्र0 के माध्यम से ही भेजे जायं और किसी भी दशा में कोई विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र को सीधे न दिए जायं। जिलाधिकारी बांदा ने तदनुसार अपने जिले के सभी कार्यालयों को सचेत कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ . . . 103 . . . पर।)

*35—श्री राम सजीवन—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतावेंगे कि झांसी मंडल के किन–किन सम्पादकों व संवाददाताओं को शासकीय सुविधायें किस नियम के आधार पर मिल रही है ? क्या यह सत्य

है कि शासकीय मान्यता रहित संवाददाताओं को भी शासकीय सुविधायें दी जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रक्खी जायगी।

फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ में श्री जय प्रकाश समर्थकों द्वारा कथित लूट-पाट

*36—श्री अनवार जमील—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के नगरपालिका छिबरामऊ कस्बा में 17 जनवरी, 1975 को जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में कुछ दूकानें लूटी गयी थीं और क्या इस सम्बन्ध में जनता एवं प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुयी थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 17 जनवरी, 1975 को जिला फर्रुखाबाद के नगरपालिका छिबरामऊ कस्बे में जय प्रकाश समर्थक आन्दोलनकारियों द्वारा कोई लूट पाट नहीं की गई। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी किन्तु जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये।

थाना अलीगंज, बरेली, की पुलिस के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र

*37—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के थाना अलीगंज की पुलिस के विरुद्ध 1 जनवरी, 1975 से 15 जून, 1976 तक अनेक शिकायती प्रार्थना-पत्र व तार जो कि रामेश्वर दयाल, अध्यापक जिला परिषद्, निवासी थाना अलीगंज व पिछड़ी जाति के गडरिया परिवारों द्वारा मुख्य मंत्री जी, डी0 आई0 जी0, बरेली व सीनियर पुलिस कप्तान, बरेली को भेजे गये? उनकी जांच किस अधिकारी ने की और दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध क्यों नहीं जनहित में कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली जिले के थाना अलीगंज की पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से 15 जून, 1976 तक की अवधि में श्री रामेश्वर दयाल, अध्यापक तथा थाना अलीगंज के गड़रिया जाति के प्रार्थीगण के चार प्रार्थना-पत्र तथा एक तार प्राप्त हुए, जिनमें उल्लिखित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी चतुर्थ बरेली द्वारा कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतएव किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला टिहरी-गढ़वाल की पेयजल योजना

*38—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में वर्ष 1975-76 में कितनी पेय जल योजनायें निर्माणाधीन थी ? उनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी और कितनों का पूरा भुगतान ठेकेदारों को हो चुका ? जिनका पूरा भुगतान हो चुका है उनमें कितनों में पानी नहीं पहुंच रहा है ? पानी न पहुंचने के क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1975-76 में 37 पेयजल योजनाएं निमार्णाधीन थीं। उनमें से 20 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 11 योजनाओं का पूरा भुगतान ठेकेदारों को किया जा चुका है। जिन 11 योजनाओं का भुगतान किया जा चुका है उन सभी में पानी सुचारु रूप से चल रहा है। अतः प्रश्न के अन्तिम भाग के पृथक उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी के थानेदारों का कार्यकाल

*39—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से थाने के ऐसे थानेदार हैं जो कि पांच वर्ष और छः वर्ष से अधिक एक ही थाने में तैनात हैं और उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया है? ट्रान्सफर न किये जाने का क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बाराबंकी जनपद में कोई भी थानेदार ऐसा नहीं है जो कि पांच या छः वर्ष से अधिक एक ही थाने में तैनात हो और उसका स्थानान्तरण न किया गया हो।

जिलाधिकारी, बहराइच के बंगले स्थित शिव मन्दिर से श्री अभय राज सिंह की गिरफ्तारी

*40—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 11-3-75 को जिलाधिकारी, बहराइच के अहाते में स्थित सार्वजनिक शिव मन्दिर में पूजा करते समय कितने व्यक्ति किन कारणों से गिरफ्तार करके जेल भेजे गये? उन पर कौन-कौन धारायें लगाई गई हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक 11-3-75 को श्री अभयराज सिंह निवासी हजरिया, थाना इकौना, जिला बहराइच को जिलाधीश बहराइच के बंगले के प्रांगण में स्थित भग्नावशेष था पर जो 22-8-74 से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वर्जित स्थान घोषित कर दिया गया, वहां तैनात गारद के मना करने के बावजूद पुष्प चढ़ाने और हरहर महादेव और शंकर जी की जय बोलने के अभियोग में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। श्री अभयराज सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में धारा 153-ए(1)/295ए/353 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें विवेचना पूरी करके विवेचनाकर्ता द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 153-ए(1)/295ए के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के लिये धारा 196 जाब्ता फौजदारी के अनुसार शासन की स्वीकृति अपेक्षित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

बहराइच के ग्राम सम्हार पुरवा निवासी श्री राम बिलास का प्रार्थना-पत्र

*41—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जनपद के सम्हार पुरवा, थाना भिनगा में दिसम्बर, 1975 में करीब 150 व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती खलिहान के धान ढो लेने के सम्बन्ध में श्री रामबिलास आदि निवासियों ने रजिस्ट्री डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, बहराइच को रिपोर्ट की, उन्हें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो मुलजिमान कौन-कौन हैं और अब तक कितने गिरफ्तार करके जेल भेजे गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री राम बिलास, पुत्र छेदी कुर्मी सा0 सम्हार पुरवा, थाना भिनगा, जिला बहराइच का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-12-75 जिसमें 30 नामांकित एवं 100 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के खलिहान से जबरदस्ती धान की फसल उठा ले जाये जाने की शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक बहराइच को रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 18-12-75 को प्राप्त हुआ।

इस प्रार्थना-पत्र की जांच के बाद दिनांक 18-3-76 को थाना भिनगा पर, प्रार्थना-पत्र के आधार पर, धारा 395/397 भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से मामला केवल धारा 382 भारतीय दंड विधान का होना पाया गया अतः 28-4-76

को मुकदमा उक्त धारा के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहम्मद बक्स पुत्र दिलदार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । शेष नामांकित अभियुक्त अदालत में हाजिर हुये और जमानत पर रिहा हुये। विवेचना के उपरान्त तीसों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये गये।

*42—श्री हरिकेवल—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर में मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के आश्रितों को अनुरक्षण भत्ता दिये जाने की मांग

*43—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप सचिव, गृह विभाग, लखनऊ को संबोधित जिलाधिकारी, जिला जौनपुर का पत्र सं0 214 एस0 सी0/75-76, दिनांक 12-4-76 तथा पत्र सं0 1 एस0 सी0/75-76, दिनांक 7 जून, 1976 शासन को प्राप्त हुआ है जिनमें मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध जिला जौनपुर के आश्रितों को अनुरक्षण भत्ता स्वीकार किये जाने का उल्लेख है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र शासन को कब मिले हैं और उनमें किन-किन सुरक्षा बंदियों के मामलों को उल्लिखित किया गया है ? दिनांक 14-6-76 तक भी उपरोक्त अनुरक्षण भत्ता स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं और वह कब तक स्वीकार कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं होगा।

मैनपुरी में निरुद्ध व्यक्तियों के आश्रितों को अनुरक्षण भत्ता

*44—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों में से कितने और किन-किन व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश सुरक्षा बन्दी नियमावली की धारा 50 के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते के लिये आवेदन-पत्र दिया और उनमें से अब तक कितनों को भत्ता मिल चुका है और भत्ते की धनराशि निश्चित करने का आधार क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं होगा।

*45—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

शाहाबाद गेट (रामपुर) में जाली सिक्के ढालने की मशीन की बरामदगी

*46—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि 14-9-75 उसके आस पास मुरादाबाद पुलिस ने रामपुर शहर के शाहाबाद गेट मोहल्ले के एक मकान पर छापा मार कर जाली सिक्के ढालने के एक कारखाने का पता लगाया जहां बहुत बड़ी मात्रा में 20 पैसे के अधढले सिक्के व ढलाई की मशीनें बरामद की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या कोई अभियुक्त पकड़ा गया ? मकान मालिक कौन है ? सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-9-75 को थाना कोतवाली, मुरादाबाद में कायम एक मुकदमें की विवेचना के सिलसिले में मुरादाबाद की पुलिस ने थाना कोतवाली रामपुर की पुलिस के साथ इसरार निवासी शाहाबाद गेट, रामपुर के मकान पर दबिश दी। जहां से एक मशीन सिक्के ढालने वाली, 5 सिक्के अठन्नी अधबने, 79 सिक्के बिना छपे 50 पैसे के

व एक टुकड़ा पीतल का 20 पैसे के सिक्के के बराबर, जिस पर 20 पैसे वाले सिक्के का अस्पष्ट मार्क खुदा था, बरामद हुए।

अभियुक्त इसरार घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने दिनांक 19–9–1975 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त इसरार ही मकान मालिक है।

उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, रामपुर पर धारा 231/235 भा0 द0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा सत्र न्यायालय के विचाराधीन है।

लखनऊ के ग्राम नई बस्ती निवासी श्री निरंजन के घर पर आजगनी की घटना

*47—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ से 25 मील दूर माल थाने के अन्तर्गत नई बस्ती (भेदोरा) गांव में दिनांक 21–5–75 या उसके आस–पास निरंजन नामक हरिजन का घर फूंक दिया गया तथा उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया? यदि हां, तो पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट क्या है तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री निरंजन पुत्र तेजी रैदास, निवासी नई बस्ती, थाना माल, लखनऊ ने दिनांक 22–5–75 को थाना माल, जिला लखनऊ में रिपोर्ट लिखाई कि 21–22 मई, 75 की रात में किसी ने उनके घर में आग लगा दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 438 भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना से वादी का घर फूंका जाना पाया गया लेकिन उसकी हत्या करने का प्रयास किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया। विवेचना से किसी अभियुक्त का पता नहीं चल सका अतः मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

बुढ़वल चीनी मिल (बाराबंकी) द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा

*48—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वर्ष 1976–77 में चीनी मिल बुढ़वल, जिला बाराबंकी द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा क्या है? इस वर्ष किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान में कितने रूपये प्रति बोरी निश्चित किये गये थे? क्या यह सही है कि इस वर्ष गन्ना मूल्य की मद से किसानों का लगभग 3 लाख रुपया मिल को दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बुढ़वल चीनी मिल द्वारा अभी पेराई सीजन 1976–77 में चीनी का उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। अतः इस मिल द्वारा सीजन 1976–77 में गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रति चीनी की बोरी पर कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, और न ही उसमें से मिल को कोई राशि देने का प्रश्न उठता है।

शाहजहांपुर के ग्राम पन्थी में डकैती

*49—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि दिनांक 22–6–76 को जनपद शाहजहांपुर के थाना शेरामऊ दक्षिणी के अन्तर्गत ग्राम पन्थी में किसी व्यक्ति के यहां डकैती पड़ी जिसमें थाने के दो सिपाही भी सम्मिलित थे? यदि हां, तो वे सिपाही कौन–कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23–6–76 को श्री रामपाल, निवासी ग्राम पन्थी, ने इसके घर पर दिनांक 22/23–6–76 की रात्रि में डकैती पड़ने की लिखित सूचना थाना

सेहरामऊ दक्षिण, जिला शाहजहांपुर पर दी, जिसमें वादी ने यह भी अंकित किया था कि डकैतों में से दो डकैत पुलिस के सिपाहियों जैसे खाकी कपड़े पहने थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 395/397 भा0 द0वि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचना से पांच अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से एक गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास एवं अभियोग की विवेचना जारी है।

विवेचना से इस डकैती में थाने के किसी सिपाही का सम्मिलित होना नहीं पाया गया अतः किसी सिपाही के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में साइकिलों एवं स्कूटरों की चोरी

*50—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय में जबसे सिक्योरिटी आफिसर की नियुक्ति हुई है तब से पहली जुलाई, 1976 तक कितनी साइकिलों एवं स्कूटरों की चोरी की घटनायें हुई हैं और इनमें से कितनी बरामद हुईं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सचिवालय में जब से सिक्योरिटी आफिसर की नियुक्ति हुई तब से 1 जुलाई, 1976 तक 59 साइकिलों तथा एक स्कूटर की चोरी की घटनायें हुई जिनमें से तीन साइकिलें बरामद हुईं।

जहानाबाद, फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना की मांग

*51—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहानाबाद, जिला फतेहपुर के लोगों ने राज्य मंत्री गन्ना विकास से जून, 1976 में उनके दौरे के समय शक्कर मिल स्थापित किये जाने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो शासन ने इसमें अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

शासन द्वारा जांच कराई गई जिससे यह विदित हुआ है कि अभी फतेहपुर जिले में इतना गन्ना उपलब्ध नहीं हुआ है कि वहां पर एक 1250 टन पेराई क्षमता की चीनी मिल लगाई जा सके।

गोरखपुर के ग्राम काशीराम महदेवा निवासी श्री राम नवलसिंह की हत्या

*52—श्री राम पति (जिला गोंडा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में पुरन्दरपुर थाना के अन्तर्गत नवलकिशोर पुत्र निर्मल चौधरी निवासी महदेवा काशीराम नामक व्यक्ति का कत्ल हुआ है तथा उसका शव 1 मई, 76 को बरामद हुआ ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक कितनी गिरफ्तारी की गई और क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री राम नवल सिंह पुत्र निर्मल सिंह जो ग्राम काशीराम महदेवा, थाना पुरन्दरपुर, जिला गोरखपुर के निवासी थे और ग्राम हरमंदिर कला थाना नौतनवां में अकेले रहते थे, को दिनांक 28-4-76 को फरेन्दा जाने के बाद तीन नामजद अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र करके जान से मार कर उनका शव जंगल में छुपा देने और दिनांक 2-5-76 को शव का पता चलने के बारे में मृतक के चचेरे भाई श्री तेजबहादुर, निवासी ग्राम काशीराम महदेवा ने थाना पुरन्दरपुर, जिला गोरखपुर पर एक लिखित रिपोर्ट 2-5-76 को प्रस्तुत की।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई। एक अभियुक्त को 3-5-76

को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया व शेष दो ने 14-6-76 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया व उसी दिन जेल भेजे गये। विवेचना के उपरान्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है।

ग्राम बसिया, गोरखपुर निवासी श्री कृष्ण चन्द्र पाल सिंह की हत्या

*53—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 29-6-76 को सायंकाल करीब 7.30 बजे श्री कृष्ण चन्द्र पाल उर्फ सोथे सिंह, निवासी ग्राम बसिया, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर पर प्राणघातक हमला हुआ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहजनवां लाये गये लेकिन डाइंग डिक्लेरशन नहीं कराया गया जबकि उनकी मृत्यु उसी दिन सदर अस्पताल, गोरखपुर पहुंचते ही हो गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र बहादुर पाल, निवासी ग्राम पचारीकला, जिला बस्ती ने थाना कोतवाली गोरखपुर पर दिनांक 29-6-76 को रात में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि उसी दिन लगभग 7 बजे शाम को वादी के भाई श्री कृष्ण चन्द्र पाल निवासी ग्राम बसिया, थाना सहजनवां जिला गोरखपुर पर उन्हीं के दरवाजे पर अमुक व्यक्ति ने भाले से हमला कर दिया और भाले के गले में लगते ही श्री कृष्ण चन्द्र पाल घायल एवं बेहोश होकर गिर पड़े तथा अभियुक्त भाग गया। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया था कि कृष्ण चन्द्र पाल को तुरन्त बैलगाड़ी पर सहजनवां अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें उपचार के बाद डाक्टर की सलाह पर सदर अस्पताल, गोरखपुर ले जाया गया और वहां पहुंचने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया।

चूंकि श्री कृष्ण चन्द्र पाल सहजनवां अस्पताल में अचेतावस्था में लाये गये थे और सदर अस्पताल, गोरखपुर पहुंचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई अतः उनका डाइंग डिक्लेरेशन अंकित नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी, फैजाबाद द्वारा हरिजनों की भूमि का अधिग्रहण एवं तत्संबंधी आवेदन-पत्र

*54—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0 1 अकबरपुर, फैजाबाद के कालोनी निर्माण हेतु किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है उनमें से किन-किन हरिजनों की कितनी-कितनी भूमि ली गई है तथा किन-किन प्लाटों में हरिजनों के मकान निर्मित हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नम्बर 1 अकबरपुर, फैजाबाद के कालोनी निर्माण हेतु ग्राम मुबारकपुर मरैला में तीन हरिजनों से 6 बीघा 10 बिस्वा, पांच अन्य से 8 बीघा 5 बिस्वा 15 धूर तथा ग्राम लोरपुर ताजन में पांच हरिजनों से 6 बीघा, एक अन्य से 7 बिस्वा 6 धूर कुल 21 बीघा 3 बिस्वा 1 धूर भूमि अधिग्रहण की गई है। इस प्रकार आठ हरिजनों की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि ली गई है। विस्तृत विवरण संलग्न है। केवल ग्राम लोरपुर ताजन के प्लाट नं0 2654/1 मि0 तथा 2654/5 में क्रमशः चतुरी पुत्र सुक्खू तथा इन्दरजीत आदि पुत्रगण मुनेश्वर हरिजनों के मकानात निर्मित हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. 104-105 पर।)

*55—श्री दयाराम भास्कर —

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मरैला व लोरपुर ताजन परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के हरिजनों ने शासन को वर्ष 1974-75 तथा 75-76

में कोई आवेदन पत्र उक्त कालोनी से भूमि बचाने के लिय दिया है ? यदि हां, तो हरिजनों को राहत देने के लिये उनके आवेदन पत्रों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जो निराधार थे अतः निरस्त किये गये। जिन हरिजनों की भूमि ली गई है उनके परिवार के सदस्यों को मिल में नौकरी मिली है। प्रतिकर तैयार किया जा रहा है जिसका अविलम्ब भुगतान किया जायगा।

जिन हरिजनों के मकान लिये गये हैं उन्हें ग्राम सभा की भूमि आवास हेत दी जा रही है।

जिला जेल सुल्तानपुर द्वारा दवाइयों की खरीद

*56—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला जेल, सुल्तानपुर में 1974–75 व 1975–76 में किन–किन फर्मों से कितनी–कितनी धनराशि की दवायें खरीदी गईं ? क्या निर्धारित सरकारी रेट के अधीन यह दवाइयां खरीदी गईं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से तथा किसके आदेश से खरीदी गईं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला जेल, सुल्तानपुर में 1974–75 में 35 फर्मों से रु0 49,590.08 के मूल्य की तथा 1975–76 में 47 फर्मों से रु0 1,01,212.88 पैसे के मूल्य की दवाइयां खरीदी गईं।

वर्ष 1974–75 व 1975–76 में जो दवाइयां खरीदी गई उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु0
1974–75	
(1) सरकारी रेट के अधीन क्रय की गयी दवाइयों की धनराशि	48,378.69
(2) वह धनराशि जितने की दवाइयां सरकारी रेट से नहीं क्रय की गई	1,211.39
1975–76	
(1) सरकारी रेट के अधीन क्रय की गई दवाइयों की धनराशि ..	82,798.09
(2) वह धनराशि जितने की दवाइयां सरकारी रेट से नहीं क्रय की गई	18,414.79

जो दवाइयां सरकारी रेट के अधीन नहीं क्रय की गईं वे अधीक्षक, जिला कारागार के आदेशों से समय–समय पर बन्दियों के तात्कालिक उपचार की आवश्यकता को देखकर क्रय की गयीं।

जिन फर्मों से जितनी धनराशि की दवाइयां खरीदी गईं, उनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ. 106–109 पर।)

जिला जेल, सुल्तानपुर के कर्मचारी पर हमला

*57—श्री श्याम लाल रावत —

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 2 अप्रैल, 1976 को जिला जेल, सुल्तानपुर में किसी अधिकारी या कर्मचारी पर किसी बन्दी ने घातक प्रहार किया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा क्या इस घटना के घटने के समय जेल मैनुअल के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को जिला कारागार, सुल्तानपुर में दो क्षय रोगी बन्दियों ने दूसरी बैरक में जाकर जेल चिकित्सालय के कम्पाउन्डर पर ईंट के टुकड़ तथा थप्पड़ों से प्रहार कर उसे साधारण चोट पहुंचाई। अधीक्षक ने इस मामले में जेल मैनुअल के प्राविधानानुसार कार्यवाही की और घटना के लिये उत्तरदायी पाये गये प्रधान बन्दी रक्षक तथा दोनों बन्दियों को नियमानुसार दण्डित किया।

गाजीपुर, ग्राम जलालाबाद, निवासी श्री श्याम देव राम की हत्या

*58—श्री मनीराम (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्याम देव राम पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम जलालाबाद, जिला गाजीपुर की हत्या दिनांक 7–2–1975 को कर दी गई जिसकी एफ0 आई0 आर0, दिनांक 8 फरवरी, 75 को थाना कोतवाली, गाजीपुर में लिखाई गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा जांच किसके द्वारा की गई और उसका अब तक क्या परिणाम निकला?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जलालाबाद, थाना भुड़कुड़ा, जिला गाजीपुर निवासी श्री रामचरन पुत्र दौलत राम द्वारा दिनांक 7–2–1975 को ग्राम जलालाबाद के श्री श्याम देव राम, पुत्र श्री दौलत राम की हत्या के सम्बन्ध में कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 6–2–75 की रात्रि में उक्त श्री श्याम देव राम अपनें चचेरे भाई बाल चन्द के साथ खेत में पानी लगाने गये थे जहां पर लगभग 12 बज रात्रि 8–10 आदमी श्री श्याम देव राम को घेर कर लाठियों से मारने लगे। श्री बाल चन्द शोर मचाते हुये ग्राम की तरफ भागे किन्तु ग्रामवालों के घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व ही मारने वाले भाग गये। दिनांक 7–2–75 को श्री श्याम देव राम को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पत्रादि, सम्बन्धित थाना भुड़कुड़ा मे भेजे गये जहां पर दिनांक 8–2–75 को अपराध संख्या 14, धारा 147/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके आरम्भ की गई विवेचना प्रगति में है।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, आगरा, नैनी, लखनऊ के आजीवन कारावास सजा-याफ्ता कैदियों एवं वृद्ध कैदियों की रिहाई की मांग

*59—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, आगरा, नैनी, लखनऊ में इस समय कितने कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनकी सजा दूसरे प्रान्तों से हुई हैं? इनमें से कितने ऐसे हैं जो जन, 1976 तक 20 वर्ष से अधिक की सजा भुगत चुके हैं तथा फार्म 'ए' भेजने के बावजूद अब तक रिहा नहीं किए गए हैं? उन्हें तत्काल रिहा कराने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित कारागारों में कुल 38 बन्दी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनकों सजा दूसरे प्रदेशों से हुई है। इनमें से 24 बन्दी ऐसे है, जो जून, 1976 तक 20 वर्ष से अधिक सजा सपरिहार भोग चुके हैं। केन्द्रीय कारागार, आगरा के खाली होने के कारण वहां के कैदी अन्य जेलों में भेज दिये गये हैं।

इन बन्दियों को मुक्त करने का अधिकार उन्हीं प्रदेश शासन को है जिनके न्यायालयों द्वारा इन्हें सजा दी गई है और उन्हीं के आदेशानुसार इन मामलों में अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

*60--श्री हरिकेवल--

क्या कारागार मंत्री यह भी बताएंगे कि प्रदेश के उपरोक्त केन्द्रीय कारागारों में इस समय कितने ऐसे कैदी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तथा उक्त कैदियों को तत्काल कारागारों से रिहा कर देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न में उल्लिखित कारागारों में कुल 260 बन्दी ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध ऐसे बन्दियों का स्थानान्तरण अन्य कारागारों को कर दिया गया है।

उक्त बन्दियों को तत्काल रिहा कर दिये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता

*61--बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कितने प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं अध्यापक आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध हैं क्या ऐसे निरुद्ध अध्यापकों को वेतन अथवा निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न का उत्तर देना जनहित में उचित नहीं है।

मुरादाबाद के ग्राम उझारी निवासी श्री शबीउद्दीन के विरुद्ध नोटों की धोखा-धड़ी करने संबंधी शिकायती-पत्र

*62--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम उझारी, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद के प्रधान के विरुद्ध डी0 आई0 आर0 की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले श्री शबीउद्दीन आदि (निवासी उझारी) के विरुद्ध प्रधान ने नोटों की चीटिंग करने की शिकायत थाना हसनपुर व एस0 पी0, मुरादाबाद को दिनांक 2 अप्रैल, 1975 व 29 जुलाई, 1975 व 27 दिसम्बर, 1975 को दी थी ? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नफीसुद्दीन अहमद, प्रधान ग्राम उझारी, थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने ग्राम उझारी में श्री शबीउद्दीन आदि द्वारा नोटों की धोखाधड़ी करने की शिकायत माह अप्रैल, 1975 में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद से की थी तथा इस बात का उल्लेख अपने एक शिकायती-पत्र में भी किया था।

उक्त शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच के मध्य शिकायतकर्ता ने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया न ही अन्य किसी व्यक्ति द्वारा इसकी पुष्टि की गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

थानाध्यक्ष चिल्हिया, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

*63--श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 12 जुलाई, 1976 को तत्कालीन थानाध्यक्ष, चिल्हिया, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी किसी विधायक का शिकायती प्रार्थना-पत्र मिला है कि सेवा निवृत्त होने वाले सर्किल पुलिस इन्सपेक्टर, नवगढ़ ने जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है जिसकी जांच डी0 वाई0 एस0 पी0 ने करके रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता महोदय का शिकायती-पत्र दिनांक 12-7-76 पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायत की उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष चिल्हिया के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें विवेचनकर्ता सर्किल इंसपेक्टर राम नगीना सिंह (जो सेवा निवृत्त होने वाले थे) ने रिश्वत लेकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

शिकायती-पत्र में संदर्भित, तत्कालीन थानाध्यक्ष, चिल्हिया के विरुद्ध कायम किए गए अपराध संख्या 218 अन्तर्गत धारा 3 यू0 पी0 गेस्ट कंट्रोल आर्डर 1972/3/7 ई0 सी0 एक्ट/379 भारतीय दंड विधान की विवेचना सर्किल इंस्पेक्टर श्री राम नगीना सिंह जो सेवा निवृत्त हो गए हैं, ने की थी और विवेचना से उन्होंने अपराध का होना नहीं पाया और मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगा दी ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र के संदर्भ में मुकदमें की पुनः विवेचना तथा शिकायत की जांच पुलिस उप अधीक्षक द्वारा किए जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

जेल महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश

*64—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जेल महानिरीक्षक के पद पर विभागीय अधिकारी की नियुक्ति का आदेश भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पं0 कमलापति त्रिपाठी ने लिखा था और कारागार विभाग और वर्किंग के ग्रुप की रिपोर्ट व संस्तुति सन् 1972-73 में भी ऐसी है ? यदि हां, तो अब तक उसके क्रियान्वयन की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया कि जेल महानिरीक्षक के पद पर हर परिस्थिति में विभागीय अधिकारी की ही नियुक्ति करी जायगी । जब यह पद रिक्त होता है उस समय की परिस्थिति, अधिकारियों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के संदर्भ में शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति करी जाती है ।

थाना कोतवाली, हरदोई में अंकित हरिजन फारेस्ट गार्ड की रिपोर्ट

*65—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 को थाना कोतवाली, हरदोई में बन विभाग के किसी हरिजन फारेस्ट गार्ड ने किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जान से मारने तथा हरिजनों को गाली देने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री वगेदू राम हरिजन, फारेस्ट गार्ड बीट पूर्वी हरदोई ने दिनांक 20-10-75 को थाना कोतवाली, जिला हरदोई में एक गैरदस्तंदाजी रिपोर्ट धारा 323/504/506/500/352 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज कराई थी जिसमें श्री श्रीराम गुप्ता फारेस्टर के विरुद्ध गाली गलौज करने, मारने पीटने, झूठा फंसाने की धमकी देने आदि की शिकायतें की गई थी ।

इस संबंध में न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके विवेचना की गई। विवेचना से रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा कर लिखाया जाना और मार-पीट का अपराध न होना ज्ञात होने तथा अन्य आरोप प्रमाणित न होने के कारण मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है ।

हमीरपुर के कतिपय थानों के थानेदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप-पत्र

*66—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के दिनांक 10 मई, 1976 तारांकित प्रश्न संख्या 12 के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि अधीक्षक, प्रशासन शाखा, अपराध अनुसन्धान

विभाग की जांच में दोषी पाए गए पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 380/220/342 भारतीय दन्ड विधान तथा 5/2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया है ? सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के नाम क्या हैं वे इस समय अलग-अलग कहां-कहां तैनात हैं और उनको अभी तक निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित मुकदमें से सम्बन्धित सब-इंस्सपेक्टरों के नाम, उनकी नियुक्ति के स्थान तथा उनको निलम्बित किए जाने की तिथियां निम्न प्रकार हैं :—

नाम	नियुक्ति स्थान	निलम्बन की तिथि
1	2	3
1—श्री गंगा सिंह, सब इंसपेक्टर	जिला हमीरपुर ..	10—8—76
2—श्री श्याम बिहारी शुक्ला, इंसपेक्टर	जिला हमीरपुर ..	10—8—76
3—श्री गुलाब सिंह, सब इंसपेक्टर	जिला जालौन ..	13—8—76
4—श्री भय्या लाल तिवारी, सब-इंसपेक्टर ।	जिला बांदा ..	16—8—76

बरेली के कथित सहायक गन्ना निरीक्षकों का कार्यकाल

*67—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बरेली में कितने सहायक गन्ना निरीक्षक (असिस्टेन्ट शुगरकेन इन्सपेक्टर) गत 5 वर्षों से भी अधिक से बरेली में हैं और अभी तक उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सहायक गन्ना निरीक्षक (असिस्टेन्ट शुगरकेन इन्स्पेक्टर) का कोई पद चीनी उद्योग तथा गन्ना विभाग में स्वीकृत नहीं है अतः स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवरिया के थाना कप्तान गंज के नायब दरोगा एवं सिपाहियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*68—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 जुलाई, 1976 को देवरिया जिले के थाना कप्तानगंज के नायब दरोगा और 2 सिपाहियों के विरुद्ध तेलगांवा ग्राम के किसानों का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र में जनता की कौन-कौन सी शिकायतें हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कप्तानगंज देवरिया के नायब दरोगा व दो सिपाहियों के विरुद्ध ग्राम तेलगांवा, पोस्ट आफिस रोहुआ मछरगांवा, देवरिया के किसानों का एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र शासन को दिनांक 22—7—76 को प्राप्त हुआ था ।

उक्त प्रार्थना-पत्र में शिकायत की गई थी कि दिनांक 17—7—76 को थाना कप्तानगंज के नायब दरोगा दो सिपाहियों के साथ एक व्यक्ति की तलाश में ग्राम प्रधान के दरवाजे गए और प्रधान एवं अन्य ग्रामवासियों को मारा पीटा और गालियां दी ।

इस संबंध में थानाध्यक्ष कप्तानगंज से तथा क्षेत्राधिकारी सदर देवरिया से जांच कराई गई । जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

शाहजहांपुर के ग्राम डिमरई में हत्याओं की घटना

*69—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर, थाना बन्डा में जून, 1976 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गई और अब तक पुलिस मुल्जिमानों की गिरफ्तारी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रही जिससे समस्त जनपद में भय व्याप्त है ? यदि हां, तो तत्काल इस विषय पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री काबुल सिंह, निवासी ग्राम डिमरई, थाना बन्डा, जिला शाहजहांपुर द्वारा थाना बन्डा पर दिनांक 15-6-76 को 9 नामजद अभियुक्तों द्वारा उसके घर में सशस्त्र घुसकर आक्रमण करने, चार व्यक्तियों की हत्या किए जाने तथा अन्य को घायल करने की रिपोर्ट अंकित कराई गई। उक्त सूचना के आधार पर धारा 147/148/149/302/307/324 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया। उक्त अभियोग में नामांकित 9 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त बन्दी बनाये गये, 4 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, एक अभियुक्त मुठभेड में मारा गया। शेष 2 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है। इस घटना से शाहजहांपुर जनपद में भय व्याप्त नहीं है।

सचिवालय के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक का विशेष वेतन एवं उनका पद नाम

*70—श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के व्यवस्था अधिकारी और सहायक औधाता के वेतन-मानों में अन्तर है ? क्या यह सही है कि व्यवस्था अधिकारी को मिलने वाला विशेष वेतन सहायक औधाता के विशेष वेतन के लगभग बराबर है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, सचिवालय के व्यवस्था अधिकारी तथा सहायक अवधाता जिनके पदनाम 4-10-76 से क्रमशः व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक कर दिये गये हैं, के पदों के वेतन मानों में अन्तर है। व्यवस्थापक के पद का वेतनमान 350-700 रु0 तथा सहायक व्यवस्थापक का वेतनमान 280-460 रु0 है।

व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक दोनों को 25 रु0 प्रतिमाह का समान विशेष वेतन उत्तर प्रदेश वेतन आयोग, 1971-73 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

*71—श्री दीनानाथ सेवक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवधाता का पद नाम बदल कर व्यवस्था अधिकारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसके वेतन-मान में भी कोई वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 18 जुलाई, 1975 के आदेशानुसार अवधाता, विधान भवन का पदनाम व्यवस्था अधिकारी, विधान भवन बदल दिया गया था किन्तु इसके फलस्वरूप उनके वेतनमान में वृद्धि करने का कोई इरादा नहीं था। शासन ने पुनर्विचार के उपरान्त उपरोक्त आदेशों को निरस्त कर दिया है और व्यवस्था अधिकारी, विधान भवन के पदनाम को व्यवस्थापक (Manager) के पदनाम में 4-10-76 से बदल दिया गया है किन्तु इस परिवर्तन के फलस्वरूप इस समय उनके वर्तमान वेतनमान एवं विशेष वेतन में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं होगा।

रेंज आफिसर, मडावारा (ललितपुर) के विरुद्ध सोरई ग्राम के निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*72—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, ललितपुर को ग्राम सोरई के निवासी श्री महेश चन्द जैन वगैरह 7 लोगों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1976 को प्राप्त हुआ है जिसमें उन लोगों के घर में घुस कर दिनांक 12 जुलाई, 1976 को रेन्ज आफिसर, मडावारा द्वारा 98 बोरा गुठली व 2 बोरा चिरौंजी छीन कर उन सब पर डकैती डालने की शिकायत है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में किस अधिकारी से जांच कराई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित श्री महेश चन्द्र जैन आदि 7 व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-7-76 जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर को 22-7-76 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा कराई गई। जांच से डकती का अपराध होना नहीं पाया गया, अतः पुलिस द्वारा इस विषय में कोई कायवाही नहीं की गई।

राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय खोलने एवं कतिपय जिलों में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

*73—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष आकर निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ के एम0ए0 में संस्कृत विषय खोलने का आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक इसकी घोषणा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा नैनीताल अल्मोडा एवं पिथौरागढ़ में वर्ष 1976–77 में कोई राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा मनीला एवं नरायन नगर अस्कोट में यह कालेज प्रस्तावित किये जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़ के स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय खोलने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। वास्तव में निदेशक ऐसा आश्वासन देने के लिये सक्षम नहीं हैं।

नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में वर्ष 1976–77 में कोई राजकीय डिग्री कालेज खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

*74—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*75—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री केदार नाथ शुक्ला, ब्लाक प्रमुख, छपिया, गोंडा की हत्या

*76—श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 जुलाई, 1976 को मुख्य मंत्री ने गोन्डा जिले में श्री केदारनाथ शुक्ला, ब्लाक प्रमुख, छपिया, थाना छपिया की हत्या के सिलसिले में घटना की जांच के आदेश गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सी0 आई0 डी0 द्वारा कराए जाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री केदारनाथ शुक्ला, ब्लाक प्रमुख छपिया, थाना छपिया, जिला गोंडा की हत्या के संबंध में थाना छपिया पर कायम मुकदमा अपराध संख्या 68 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने के लिये शासन ने 15–7–76 को पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० को आदेश भेजा था। मुकदमे की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपे जाने के पूर्व स्थानीय पुलिस ने विवेचना के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय भेज दिया था। अतः अपराध अनुसंधान विभाग ने संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर मुकदमे की विवेचना अपराध शाखा द्वारा किए जाने के लिये अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश प्रतीक्षित हैं।

कारागार अधीक्षक व जेलर, सुल्तानपुर द्वारा वस्तुओं के क्रय संबंधी कथित अनियमितताएं

*77—श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के कारागार अधीक्षक एवं जेलर द्वारा वर्ष 1975–76 एवं 1976–77 में कैदियों क दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं हेतु कोई टेन्डर आमन्त्रित किया गया था? जिसमें अनियमित ढंग से टेन्डर स्वीकृत करके 20 हजार रुपये का घोटाला किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1975–76 एवं 1976-77 में कैदियों के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के लिये नियमानुसार टेन्डर आमंत्रित किये गये तथा स्थानीय अन्न क्रय समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी। कुछ तथाकथित अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान दिलाया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कराया जा रहा है। जब तक इस में निर्णय न ले लिया जाय, किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना मऊ, आजमगढ़ की पुलिस एवं डकैतों में मुठभेड़ एवं मृतक के पिता का प्रार्थना-पत्र

*78—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि थाना मऊ, जनपद आजमगढ़ की पुलिस द्वारा 1/2 अप्रैल, 1976 की रात को ग्राम मुचौटी में कुछ डकैतों से मुठभेड़ व तीन डकैतों को मारे जाने की घटना घटित होना थाने के कागजात में दर्ज की गई? यदि हां, तो उस घटना का पूरा विवरण क्या है और मामले की तफतीश कौन कर रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1/2 अप्रैल, 1976 की रात में ग्राम मुचौटी, थाना मऊ, आजमगढ़ में कुछ डकैतों से पुलिस की मुठभेड़ होने तथा उस मुठभड़ में तीन डकैतों के मारे जाने की रिपोर्ट थाने के अभिलेखों में दिनांक 2–4–76 को अंकित की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर घटना का विवरण संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मऊ, आजमगढ़ पर धारा 395/397/412/307 भारतीय दंड विधान व 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना थाना मुबारकपुर द्वारा की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 110 पर।)

*79—श्री जफर आजमी—

क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के बाप द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1976 को दोहरी घात

थाना में मृतक को पकड़ा और फर्जी डकैती दिखाकर मार डाला ? यदि हां, तो इसमें जांच हो रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न 78 में उल्लिखित घटना में मृत इन्दू के पिता का एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उनके पुत्र इन्दू, जो बाजार करने दोहरी घाट, आजमगढ़ गया था, को पुलिस ने पकड़ा व झूठा पुलिस-डकैत संघर्ष दिखाकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना के सम्बन्ध में मैजिस्टीरियल जांच हो रही है और उससे परिणाम की सूचना प्राप्त होने पर जो कार्यवाही आवश्यक पाई जायेगी की जायेगी।

गांधी आश्रम, बहराइच के श्री ब्रह्मा नन्द सिंह का गांधी आश्रमों की सम्पत्ति की जब्ती संबंधी प्रार्थना-पत्र

*80--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ब्रह्मानन्द सिंह आदि श्री गांधी आश्रम, बहराइच द्वारा प्रेषित रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र अगस्त, 1976 में गृह मंत्री महोदय को उत्तर प्रदेश के तमाम गांधी आश्रमों के जब्ती व सम्पत्ति अधिगृहीत व गिरफ्तारी अगस्त, 1942 के आर्डिनेन्स व जब्ती आदेश की तिथि एवं विवरण जानने तथा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थित विवरण दिया गया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, केवल श्री ब्रह्मानन्द सिंह का एक प्रार्थना-पत्र अगस्त, 1976 माह में शासन को प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

होम गार्ड्स की वर्दी की आपूर्ति

1--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड्स की स्थापना से अब तक पूर्ण रूप से होम गार्ड्स की वर्दी के विभिन्न आइटम्स की अवधि समाप्त होने पर नवीन वर्दी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश में होमगार्डस् की स्थापना से अब तक पूर्ण रूप से होमगार्ड्स की वर्दी के विभिन्न आइटम्स की अवधि समाप्त होने पर नवीन वर्दी दी गयी है। केवल बूट, बैरेट कैप, बेल्ट,सीटी, एन्कलेट तथा जरसी, जिलों की मांग से कम दिये गये हैं जो कि धनाभाव के कारण क्रय नहीं किये जा सके हैं।

फर्रुखाबाद के ग्राम नगला सिलहा निवासी श्री मातादीन की हत्या

2--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 को ग्राम सिलहा, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद निवासी श्री मातादीन की हत्या कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 को थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद में लिखाई गई थी जिसमें नामजदगी भी की गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगन्नाथ निवासी नगला सिलहा (फर्रुखाबाद) ने दिनांक 23-10-75 को थाना नवाबगंज पर अपने भाई मातादीन की लाश एक खेत में पाये जाने की लिखित सूचना दी थी। उसमें खेत की रंजिश के कारण गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त श्री मातादीन को मार डाले जाने का उल्लेख किया गया था। सूचना के आधार पर थाना नवाबगंज पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 का एक मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित साक्ष्य उपलब्ध न होने तथा घटना से सम्बन्धित सही अभियुक्तों का पता न लग सकने के कारण मुकद्दमे की विवेचना अंतिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई ।

मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की मृत्यु की संख्या

3--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 जुलाई, 1975 से दिनांक 1 मार्च, 1976 की अवधि के मध्य क्या राज्य में निरुद्ध अनेक मीसा बन्दियों (आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध बन्दियों) की मृत्य हो गई ? यदि हां, तो किनकी-किनकी मृत्यु किन-किन कारागारों में किन-किन कारणों से हुई ? क्या उनमें से किसी ने सरकार के पास पैरोल पर रिहा करने का भी आवेदन दे रखा था और इन मृतक के परिवार वालों को क्या सरकार मासिक पेन्शन तथा मुआवजा देने पर विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं होगा ।

4--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला कारागार, लखनऊ के अधिकारियों एवं अधीक्षक के विरुद्ध विधान सभा सदस्य, श्री मोतीलाल देहलवी का शिकायती-पत्र

5--श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या मुख्य मंत्री को विधायक श्री मोती लाल देहलवी का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 26 फरवरी, 1976 को प्राप्त हुआ है जिसमें जिला कारागार, लखनऊ के अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं ? यदि हां तो शिकायत तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है ? किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं और इस सम्बन्ध में यदि जांच की गई है तो इसके परिणाम क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस प्रकार का कोई शिकायती-पत्र शासन में सचिवालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है ।

मामले की छानबीन की जा रही है।

रायबरेली में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भत्ते की धनराशि

6--श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की, कृपा करेगी कि फरवरी, 1976 के द्वितीय सप्ताह में हुई राज्य मंत्रि-मंडल की बैठक में भाग लेने के लिये राज्य सचिवालय के कितने अधिकारी तथा कर्मचारी जनपद रायबरेली गए तथा भत्ता के रूप में उन पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

9 फरवरी, 1976 को रायबरेली में हुई मंत्रि परिषद् की बैठक में भाग लेने हेतु सचिवालय के 44 अधिकारी एवं कर्मचारी गये थे तथा उन पर कुल रु0 223.07 भत्ते क रूप में व्यय हुआ ।

वर्ष 1975 में मुख्य मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर का प्रयोग एवं व्यय की गयी धनराशि

7—श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 की अवधि के मध्य राज्य के मुख्य मंत्री के प्रयोग के लिये सरकार पर हेलीकाप्टर के प्रयोग के सम्बन्ध में कुल कितना व्यय भार पड़ा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा सरकारी कार्य के सिलसिले म हेलीकाप्टर के प्रयोग किये जाने पर सरकार का कुल रु0 2,65,825.00 व्यय हुआ।

मंत्रिमंडल के सदस्यों के वाहन भत्ते एवं अन्य भत्ते की धनराशि

8—श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से 30 नवम्बर, 1975 की अवधि के मंध्य राज्य मंत्रि-मंडल के सदस्यों पर वाहन भत्ता तथा अन्य भत्ता पर राज्य सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ? इस बीच सबसे अधिक धन उक्त मद में किस मंत्री पर व्यय करना पड़ा उनके नाम और विभाग क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन मंत्रिमण्डल के सदस्यों के वाहन भत्ता तथा अन्य भत्तों पर कुल रु0 6,19,941.00 व्यय हुआ। सबसे अधिक व्यय स्वास्थ्य मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिह पर हुआ ।

शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में पंजीकृत विभिन्न अपराध

9—श्री तेजसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर व परोन में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से 15 मई, 1975 तक कितनी नामजद रिपोर्ट डकैती, कत्ल तथा राहजनी की दर्ज की गई उनमें से कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा कितनों में चालान किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में दिनांक 1–1–75 से 15–5–75 तक की अवधि में 3 डकैती, 5 कत्ल तथा 2 राहजनी के अपराधों की नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमे से एक डकैती तथा एक राहजनी के मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी। शेष 2 डकैती, 5 कत्ल तथा 1 राहजनी के मुकदमों में अभियुक्तों का चालान किया गया ।

थाना परौर, जिला शाहजहांपुर, में प्रश्नगत अवधि में 1 डकैती एवं 6 राहजनी की घटनाओं की नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें से 5 राहजनी के अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गयी। शेष 1 डकैती तथा एक राहजनी के मुकदमें में अभियुक्तों का चालान किया गया। उक्त अवधि में थाना परोर में कत्ल की कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

10—श्री मोहम्मद रफी खां—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कैशमेमों पर टिकट लगाने के प्राविधान को समाप्त करने की मांग

11—श्री सत्यप्रकाश (जिला बरेली)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य प्रान्तों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 10 पैसे का टिकट हर कैश मेमों पर लगाने की आज्ञा समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो सरकार की क्या योजना है तथा कब तक इसे हटाया जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1–ख के आर्टिकल 25–क के अन्तर्गत 5 रुपये से अधिक के किसी बिल या कैश मेमो के प्रतिरूप या द्वितीय प्रति पर 10 पैसे का टिकट लगाना अनिवार्य है। इस अधिभार को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में कार्यरत न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर

12—श्री सत्य प्रकाश—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिक्री-कर विभाग में पूरे प्रदेश में कितने जज रिवीजन कार्यरत हैं ? 1965 से 1975 तक कितनी अपीलों के रिवीजन दायर हुए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एक न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्रीकर तथा 12 अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्रीकर कार्यरत हैं। 1,60,424 रिवीजन दायर हुए।

बाराबंकी के थाना जैदपुर की पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

13—श्री रामचन्द्र बक्स सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 का पत्र, जिसमें थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी की पुलिस द्वारा गुलरिहा गांव के लोगों को मारने-पीटने, पैसे वसूल करने के गम्भीर आरोप थे, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 31–10–75 को कोई प्रार्थन पत्र शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। श्री बेचू लाल, निवासी ग्राम गुलरिहा, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30–10–75 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें जैदपुर तथा सफदरगंज थानों की पुलिस के विरुद्ध प्रार्थी व उसके लड़के के विरुद्ध झूठे मुकदमें बनाने के आरोप लगाए गए थे। प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

14—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया के थाना खड्डा में श्री हरिश्चन्द्र, निवासी ग्राम पनिहवा; की पंजीकृत रिपोर्ट

15—श्री श्रीनारायण—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के खड्डा थाने में मई, 1976 के दूसरे सप्ताह में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 195 व 397 के अन्तर्गत कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना खड्डा जिला देवरिया में प्रश्नगत अवधि में केवल एक रिपोर्ट श्री हरिशचन्द्र, निवासी ग्राम पनिहवा, थाना खड्डा, देवरिया, ने धारा 395/397/224 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज कराई थी।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर कायम मुकदमें की विवेचना तुरन्त प्रारम्भ की गई। प्रारम्भिक विवेचना से अपराध केवल धारा 148/323 भारतीय दंड विधान का प्रतीत होने पर मुकदमा उक्त धाराओं में परिवर्तित किया गया। अग्रिम विवेचना के बाद मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो सम्बन्धित न्यायालय भेजी गई।

प्रदेश में मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या

16—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 26 जून, 1975 से 29 फरवरी, 1976 के मध्य राज्य भर में विभिन्न जिला के जिला मजिस्ट्रेटों ने आन्तरिक सुरक्षा कानून (मीसा) की धारा 3 के अन्तर्गत कुल कितने निरुद्धि-आदेश पारित किए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है।

17—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 26 जून, 1975 से 29 फरवरी, 1976 के मध्य राज्य भर में कुल कितने लोग भारत सुरक्षा कानून (डी0 आई0 आर0) के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अपेक्षित सूचना देना लोक-हित में नहीं है।

खड्डा, देवरिया स्थित चीनी मिल की चिमनी से राख निकलना

18—श्री श्री नारायण—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के खड्डा सरकारी चीनी मिल की चिमनी प्रचुर मात्रा में राख उगल कर खड्डा नगर के वायुमन्डल को दूषित कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रोक-थाम के लिये कोई व्यवस्था तुरन्त कराएगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चीनी निगम की खड्डा, जिला देवरिया स्थित चीनी मिल की चिमनी 53.34 मीटर ऊंची है जिससे गन्ना पेराई मौसम में कुछ राख कभी कभी निकलती है। यह हवा के रुख के साथ काफी दूरी पर जाकर गिरती है जिससे खड्डा ग्राम के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी उक्त मिल के चिमनी से निकलने वाली राख की मात्रा कम करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सम्पूर्णानन्द शिविर (घर्मा), मिर्जापुर के कैदियों की सजा में दी जाने वाली छूट एवं कैदियों की रिहाई की मांग

19—श्री अठई राम—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर (गुर्मा जेल) मिर्जापुर में कुल कितने कैदी कार्यरत हैं ? उनमें आजीवन सजा के कितने कैदी हैं ? उनकी सजा में उन्हें क्या छूट मिलती है ? 15 अगस्त, 1975 तथा 26 जनवरी, 1976 के उपलक्ष्य में कितने कैदी रिहा किए गए ? उनकी इस समय दैनिक मजदूरी क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 17 जुलाई, 1976 को सम्पूर्णानन्द शिविर (घुर्मा) मिर्जापुर में 721 कैदी कार्यरत थे। इनमें से आजीवन कारावास के दण्ड प्राप्त 459 कैदी थे। इन कैदियों को शिविर में हर एक दिन रहने पर एक दिन की छूट मिलती है।

15 अगस्त, 1975 तथा 26 जनवरी, 1976 के उपलक्ष्य में कोई बन्दी नहीं रिहा किया गया।

नियत कार्य करने पर प्रति बन्दी प्रतिदिन 5 रुपया मजदूरी पाता है।

20—श्री अठई राम—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने कैदी ऐसे (घुर्मा जेल) मिर्जापुर में हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है? जो मेहनत का काम नहीं कर सकते। यदि हां, तो उन्हें छोड़ने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सम्पूर्णनन्द शिविर धुर्मा, मिर्जापुर में ऐसा कोई बन्दी नहीं है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और जो मेहनत का काम न कर सकता हो। शेष प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सदस्य श्री चतुर्भुज शर्मा, डाक्टर सीताराम, डाक्टर के० एन० गैरोला, तथा वर्तमान सदस्य, श्री दयाकिशन पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मुझे खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि इस प्रदेश के और देश के जन मान्य और ख्याति प्राप्त नेता श्री चतुर्भुज शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। श्री चतुर्भुज शर्मा जी का व्यक्तित्व इस सारे प्रदेश से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से छिपा नहीं था। ओजस्वी, प्रतिभाशाली सर्वगुण सम्पन्न उनका व्यक्तित्व था। आजादी की लड़ाई में वे पुराने सेनानी थे। 1920 से गांधी जी द्वारा प्रचालित प्रथम असहयोग आन्दोलन में भाग लेने से लेकर सन् 1942 के आन्दोलन तक वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और विशेष रूप से बुन्देलखंड जनपद को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और इस पद को उन्होंने गौरवान्वित किया। इस शासन में भी उनका बहुत महत्व का योगदान रहा। 1961 से लेकर 1974 तक विभिन्न अवसरों पर विभिन्न पदों को उन्होंने गौरवान्वित किया। 1962 से 1974 तक सहकारिता और कृषि, राजस्व विभाग से लेकर इर्रिगेशन कमीशन के चेयरमैन तक उन्होंने विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभागों को आलोकित किया। उन्होंने इस प्रदेश के विकास में, जो योगदान जो नेतृत्व दिया वह प्रदेश सदा याद रखेगा। बुन्देलखंड संगठन और विभिन्न किसान मजदूर संगठनों के प्रति उनकी जो आस्था थी वह सदैव याद रखी जायगी। ऐसे महान् व्यक्ति के लिये मैं समझता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारे दल की ओर से आप उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ उत्तर प्रदेश शासन के भूतपूर्व मंत्री, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य डा० सीताराम के निधन की सूचना भी देनी पड़ती है। डाक्टर सीताराम जी का निधन केवल 56 वर्ष की अवस्था में हो गया। वह सन् 1952 से लेकर 1974 तक लगातार इस सदन के सदस्य रहे और 1952 से ही लगभग 22 साल तक इस शासन के विभिन्न पदों में रहे और उन्होंने वित्त विभाग से लेकर स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और गृह विभाग तक अनेकों विभागों को अपनी बुद्धि से तथा नैतिकता से क्षमता प्रदान की। उन्होंने भ्रमण भी सारे संसार में किया। वह विस्कौन्सिन एवं ओहियो स्टेट के विश्वविद्यालयों से पी०एच०डी० थे और भारत सरकार में रिक्लेमेशन विभाग में वह डिप्टी डाइरेक्टर रहे। उनको टेक्निकल तथा विज्ञान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जानकारी थी। उन्होंने पुस्तकें भी लिखीं थीं जो साइन्स तथा टेक्नालाजी से संबंधित थीं। वह सरल स्वभाव के थे और जो भी सदन के सदस्य उनके सम्पर्क में आये उनकी सौम्यता और विचारशीलता से प्रभावित हुये। देवरिया जनपद और पूर्वान्चल की जो सेवायें उन्होंने की हैं, वह सदैव स्मरण रखी जायेंगी। श्रीमन् आपसे निवेदन है कि आप उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति हमारी हार्दिक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, डाक्टर के0 एन0 गैरोला, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का भी सन्तप्त पूर्ण निधन हाल में ही हुआ। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया वह उल्लेखनीय रहेगा। सन् 1942 की क्रान्ति के अवसर पर 5 हजार रु0 का इनाम उनको पकड़ने पर या मृत्यु पर ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित किया गया था। वे सन् 42 से 72 तक विधान सभा के सदस्य रहे। बाद में विधान परिषद् के भी सदस्य रहे। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी संगठन शक्ति का परिचय सन् 42 के आन्दोलन में दिया वह प्रेरणादायक था। वह एक प्रख्यात सर्जन भी रहे। टेहरी रियासत में मंत्री के रूप में भी उन्होंने विकास के बहुत कार्य किये तो ऐसे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विधायक की मृत्यु पर हम सबको बहुत दुख है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे दल की ओर से और मेरी ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी हार्दिक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन् .अभी हाल ही में श्री दया किशन पाण्डे जो पिथौरागढ़ क्षेत्र के विधायक थे, का 21 अक्टूबर, 1976 को बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ में निधन हो गया। श्री दया किशन पाण्डेय ख्यातिनामा सार्वजनिक कार्य कर्ता थे। वह हल्द्वानी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे और कुमायूं अंचल के ख्यातिनामा नेता भी रहे। वकालत से लेकर सामाजिक शैक्षिक और राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्र में उनके प्रभावपूर्ण योगदान रहा और 1974 में जब वह इस विधान सभा में चुनकर आये तो उनकी आवाज यदाकदा जनता आवाज उठाती रही विशेष रूप से कुमायूं जन जीवन में जो उनका स्थान था जो ख्याति थी तो वहां एक बहुत स्थान रिक्त हो गया है। उनकी योग्यता का लाभ विधान सभा को ज्यादा समय तक प्राप्त नहीं हो पाया इसका हमें दुख है। अतएव श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि आप श्री दया किशन पण्डेय जी के शोक सन्तप्त परिवार को इस सदन की ओर से हमारी हार्दिक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

महोदय, माननीय चतुर्भुज शर्मा, डाक्टर सीताराम और डाक्टर के0 एन0 गैरोला तथा माननीय दया किशन पाण्डेय के निधन के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह चारों दिवंगत आत्मायें वह हैसियत थी जिनका हमारे देश और प्रदेश में सामाजिक और राजनैतिक जीवन में काफी प्रभावशाली कार्य रहा और वे काफी प्रेरणा के स्रोत थे। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से इन शोक सन्तप्त परिवारों को सम्वेदना के संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन और माननीय नेता कम्युनिस्ट दल ने श्री चतुर्भुज शर्मा, डाक्टर सीताराम, डाक्टर के0 एन0 गैरोला और श्री दया किशन पाण्डे के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप डाक्टर सीताराम की विद्वता उनकी कार्यकुशलता से स्वयं परिचित हैं। इस सदन के वे सम्मानित सदस्य रहे और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर अपने प्राविधिक ज्ञान से उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। श्री चतुर्भुज शर्मा कांग्रेस संगठन के ही नहीं बल्कि इस सदन के भी एक बड़े ख्यातनामा व्यक्ति थे, जिन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक सेवाओं द्वारा अपने योगदान से इस देश की महती सेवा की। डाक्टर गैरोला भी उसी कोटि में आते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में एक

[श्री अध्यक्ष]

प्राध्यापक होने के नाते उनमें जो जागरूकता और सचेष्टता थी, उसका परिणाम था कि उन्होंने अपने को देश के स्वतन्त्रता संग्राम में झोंका और उस आन्दोलन में उन्होंने बड़ा बलिदान और योगदान किया। श्री दया किशन पांडेय यहां थे और कभी-कभी उनकी तेजस्विता से आप सब परिचित हुए होंगे। जो उनको कहना होता था, उसको वे तीव्रता यद्यपि धीमे, लेकिन मजबूती के साथ कहते थे। उनका भी स्वर्गवास हुआ। इन महानुभावों के देहावसान से इस प्रदेश की सार्वजनिक जिन्दगी में बहुत बड़ी रिक्तता आई है, जो अपूरणीय है। नेता सदन और नेता कम्युनिस्ट दल के द्वारा जो यह इच्छा व्यक्त की गई है कि शोक सन्तप्त परिवारों को उनके शोकोद्गारों से अवगत करा दूं, तो मैं सदन की भावनाओं से उनके परिवार वालों को अवगत करा दूंगा। यह मैं वैसे ही करता और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन धारण कर शोक व्यक्त करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976*

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976*

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976*

न्याय मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अध्यादेश, 1976*

विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

---

*छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976*

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976*

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976*

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976*

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976*

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

स्वोयत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

---

*छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1976*

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं हिन्दू धार्मिक संस्था तथा निबन्ध अध्यादेश, 1976*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं हिन्दू धार्मिक संस्था तथा निबन्ध अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

अलीगढ़ नगर में 2 मार्च, 1971 को हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट*

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

मैं अलीगढ़ नगर में 2 मार्च, 1971 और उसके बाद हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों के सम्बन्ध में जांच आयोग की रिपोर्ट को उसके ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कसया, देवरिया में दिनांक 4 अक्टूबर, 1974 को हुई घटनाओं की जांच आयोग द्वारा आख्या रिपोर्ट*

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

मैं कसया, जिला देवरिया में दिनांक 4 अक्टूबर, 1974 को हुई घटनाओं की एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा आख्या रिपोर्ट को उसके ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1974–75)*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1974–75) को लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति, 1974 का प्रतिवेदन**

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति, 1974 के प्रतिवेदन के खंड 1 व 2 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

**छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1976†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 43/2–5 (1)–76–राजस्व–1; दिनांक 3 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 को, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 यू0 ओ0 605/राजस्व–1–2(8)–75, दिनांक 1 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उप धारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 1976

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 348/1–6(23)–74–राजस्व–1; दिनांक 21 मई, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की विज्ञप्ति सं0 2–8(4)/74-ए, दिनांक 15 मई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 को उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 11/11–3 (2)–73–राजस्व-1, दिनांक 20 जुलाई, 1974 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 1975 को सदन के पटल पर पुनः रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975*

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 2–1(9)/74–राजस्व–1, दिनांक 17 जनवरी, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (4) के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 1975 को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ के वर्ष 1973–74 तथा वर्ष 1974–75 के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन**

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ के वर्ष 1973–74 तथा वर्ष 1974–75 को लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों को वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैतालीसवां संशोधन) नियमावली, 1976

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं श्रम अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 2955 (वि)/36–3–2009(टी डी)–65, दिनांक 16 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सैतालीसवां संशोधन) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1974–75*

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1974–75 को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 69–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, 1976 के शुद्धि-पत्र**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2037 सं/सत्रह–76–101–सं0–76, दिनांक 19 जून, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, 1976 को, उसमें जारी किये गये शुद्धि–पत्र संख्या 2941 सं/सत्रह–76, दिनांक 8 अक्तूबर, 1976 सहित, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

**छापा नहीं गया।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये संदेश, भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के पत्र संख्या एस0 11014(4)75 एस0 आर0, दिनांक 10 सितम्बर, 1976 तथा संख्या एस0 11014(4)75 एस0 आर0, दिनांक 21 अक्टूबर, 1976 के साथ सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 में किये गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 111 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 112 पर)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 113 पर)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 114 पर)

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 12 मई, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष, महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 11 मई, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) बिधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्र क्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 6 मई, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 11 मई, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव,विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 6 मई, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 पर,जिसे उत्त र प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणि त किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 मई, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनु मति दिनांक 19 मई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 24वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मई, 1976 को प्राप्त हो गया और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर,जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 14 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 जून, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 26वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मई, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 जुलाई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 27वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन विधेयक), 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 मई, 1976 उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 जुलाई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 28वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूंकि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी 6 मई, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 29वां अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा के विगत सत्र के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, रिहाई इत्यादि की सूचनाएं सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, जिनसे माननीय सदस्यों को बुलेटिन 26 से 33 द्वारा अवगत कराया जा चुका ह—

1—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (गोरखपुर)
2—श्री केशरी लाल कुरील (कानपुर)
3—श्री किशनलाल (पीलीभीत)

4—श्री सुखदराज सिंह (बहराइच)
5—श्री कृष्णा राय (देवरिया)
6—श्री रामपति (गोंडा)
7—श्री दशरथसिंह (गोंडा)
8—श्री राम प्रसाद त्रिपाठी (फर्रुखाबाद)
9—श्री राधाचरण सिंह (मथुरा)
10—श्री चन्दन सिंह (मथुरा)
11—श्री मोहम्मद मसूद खां (आजमगढ़)
12—श्री तीरथराम कोहली (इलाहाबाद)
13—श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)
14—श्री फजलुर्रहमान अंसारी (बहराइच)
15—श्री बाबूलाल वर्मा (बहराइच)
16—श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा)
17—श्री राम जनम राय (गाजीपुर)
18—श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़)
19—श्री शतरुद्ध प्रकाश (वाराणसी)
20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (इलाहाबाद)
21—डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर)
22—श्री तेजसिंह (बुलन्दशहर)
23—श्री शिवपाल सिंह (उन्नाव)
24—श्री इन्द्रपाल सिंह (अलीगढ़)
25—श्री सत्यपाल मलिक (मेरठ)
26—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (सीतापुर)
27—श्री एदल सिंह (बुलन्दशहर)
28—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (गोंडा)
29—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (मुरादाबाद)
30—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद)
31—श्री मुलतान सिंह (मुरादाबाद)
32—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (बांदा)
33—श्री बाबू सिंह (अलीगढ़)
34—श्री रामप्यारे तिवारी (वाराणसी)
35—श्री गंजी प्रसाद (वाराणसी)
36—श्री उदयनाथ (वाराणसी)
37—श्री नत्थू सिंह (मैनपुरी)

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष, मैं विशेषाधिकार समिति का सभापति, श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी, जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री मुहम्मद असरार अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा 6 अप्रैल, 1976 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष, मैं विशेषाधिकार समिति का सभापति, श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिव शिक्षा अधिकारी, जालौन द्वारा श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा के साथ अशिष्ट व्यवहार तथा सदन के प्रति कथित अपमानजनक शब्दों के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखानसिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर, जो 1 जुलाई, 1974 को श्री अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1976–77) का विशेष प्रतिवेदन

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

मैं सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, की हैसियत से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उसके गठन के दिनांक से अब तक के लेखे निर्धारित ढंग से तैयार न किये जाने और उनका लेखा परीक्षण नियमानुसार भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से न करने के सम्बन्ध में समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस विषय पर समिति ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 तथा 21 जनवरी, 1975 की बैठकों में विचार किया और शासन तथा निगम के अधिकारियों का साक्ष्य लिया। समिति ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 19 जुलाई, 1976 की बैठक में स्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन दिनांक 1 जून, 1972 को हुआ था। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(1) तथा 22(2) के अन्तर्गत निगम द्वारा अपना लेखा और अन्य अभिलेख जिसमें स्थिति पत्रक (बैलेंस शीट) भी सम्मिलित है, तैयार करना अनिवार्य है और इन लेखों का भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रति वर्ष लेखापरीक्षण हो जाना चाहिये। किन्तु समिति को अत्यंत आश्चर्य और दुख है कि निगम ने अपने इस दायित्व एवं कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जिससे निगम द्वारा विधिक प्राविधान का उल्लंघन होता चला आ रहा है। राज्य सरकार का भी यह दायित्व था कि वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से वह प्रपत्र नियत करती जिस में निगम द्वारा अपने वार्षिक लेखे तैयार किए जाने थे। शासन ने उक्त अधिनियम की धारा 33(4) के अनुसार निगम के लेखे विधान मण्डल में प्रस्तुत न करके भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। न तो वह रूप जिसमें ये लेखे रखे जाने हैं और वार्षिक लेखे का विवरण तैयार करना है, निर्दिष्ट ढंग से निर्धारित किए गये हैं और न ही निगम के गठन के दिनांक से नियमानुसार वार्षिक लेखे तैयार किये गये हैं।

अतएव समिति निगम के सम्बन्धित अधिकारियों की अकर्मण्यता और इनके द्वारा बरती जा रही उपेक्षा की वृत्ति की कटुनिन्दा करती है और संस्तुति करती है कि इस सम्बन्ध में समुचित जांच करके दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। समिति चाहती है कि शासन द्वारा वांछित प्रपत्र तैयार न किए जाने तथा निगम के वार्षिक लेखे विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में भी जांच की जाये।

समिति इस मामले को अत्यंत गम्भीर समझती है और माननीय अध्यक्ष से सानुरोध निवेदन करती है कि इस विषय पर सदन में विचार करने हेतु माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र अवसर प्रदान किया जाय।

---

†छापा नहीं गया।

समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो योगदान दिया है, उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

समिति के समक्ष उपस्थित होकर शासन तथा निगम के अधिकारियों द्वारा समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करा कर सहयोग प्रदान करने के लिय मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने बहुत गम्भीर आब्जरवेशन्स किए हैं। आप इस सदन में चर्चा का अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमानुसार नोटिस दें। अब मैं मद 44 से 64 पर आता हूं।

कतिपय सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने के सम्बध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर सदन की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दिनांक 22 मार्च, 1976 से गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 115 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दिनांक 22 मार्च, 1976 से गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु श्री मुलायम सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 116 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 22 मार्च, 1976 से गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु एवं उसके पश्चात् निरोध पर्यन्त सदन के उपवेशनों से अवकाश हेतु श्री चन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 117 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 22 मार्च, 1976 को गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु श्री मुहम्मद मसूद खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 118 पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 22 मार्च, 1976 से गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु श्री काली चरण यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ 119 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 22 मार्च, 1976 से गत सत्र की पूर्ण कालावधि में सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के मार्जन हेतु श्री मोतीलाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 120 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री ओम प्रकाश सिंह की प्रार्थना के अनुसार यथास्थिति सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन तथा वर्तमान सत्र के उपवेशनों से अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'घ तथा न' आगे पृष्ठ 121-122 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सूबेदार प्रसाद की प्रार्थना के अनुसार यथास्थिति सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन तथा वर्तमान सत्र के उपवेशनों से अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'प तथा फ' आगे पृष्ठ. 123-124 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री किशन लाल की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 125 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री भारत सिंह चौहान की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ 126 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ 127 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम जनम राय की प्रार्थना के अनुसार यथास्थिति सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन तथा निरोध पर्यन्त सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ 128 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री शिवपाल सिंह की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'र' आगे पृष्ठ 129 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री धीरेन्द्र सहाय की प्रार्थना के अनुसार सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ल' आगे पृष्ठ 130 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राधा चरण सिंह की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'व' आगे पृष्ठ 131 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम प्रकाश त्रिपाठी की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'श' आगे पृष्ठ 132 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री बाबू सिंह यादव की प्रार्थना के अनुसार यथास्थिति सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन तथा निरोध पर्यन्त सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ष तथा स' आगे पृष्ठ 133-134 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री चन्दन सिंह की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ह' आगे पृष्ठ 135 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री गजाधर प्रसाद आर्य की प्रार्थना के अनुसार यथास्थिति सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन तथा निरोध पर्यन्त सदन के उपवेशनो से अनुपस्थिति हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'कक' तथा 'खख' आगे पृष्ठ 136-137 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र सिंह की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'गग' आगे पृष्ठ 138 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मुलतान सिंह की प्रार्थना के अनुसार सदन के विगत दो सत्रों के उपवेशनों से उनकी अनुपस्थिति के मार्जन हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'घघ' आगे पृष्ठ 139 पर ।)

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1976 तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र और राष्ट्रपति के संदेश की प्रतिलिपियां सचिव, विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं । नेता सदन दो दिन की सूचना पर इस विधेयक पर विचार करने और उससे सहमति व्यक्त करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं । इस संकल्प में यदि कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो संकल्प के अन्त में शब्द जोड़ने के रूप में दे सकतें हैं ।

संशोधन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :—

"संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु.....।"

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 25 अक्तूबर, 1976 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के 1 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में औपचारिक कार्य, जिसमें प्राप्त विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन भी सम्मिलित है, के उपरान्त उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976, उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 एवं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव लिये जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैंने निवेदन किया था कि एक प्रतिवेदन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की तरफ से आया है, जिसमें बहुत गम्भीर आरोप सड़क परिवहन निगम पर लगाये गये हैं । चूंकि

समिति की सिफारिश है कि इस सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा करायी जाय, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं – – –

श्री अध्यक्ष—

चर्चा नियमानुसार संसूचना देकर जैसे मांगी जाती है, वैसे आप मांगें ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, अगर विद्वान सदस्य नियमावली देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट होती है, अगर कोई सदस्य चाहता है तो संक्षिप्त विचार व्यक्त हो जाता है। तो हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हम उसका आडिट न करायें या सदन के सामने उसे न रखा जाय। मैंने समिति की रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई कठिनाई बाधक नहीं होगी, जैसे कि कम्पनी ऐक्ट में कह दिया गया कि एकाउन्टेन्ट जनरल से आडिट कराया जाय या निष्पक्षता की दृष्टि से किसी और स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाय, यह दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आडिट नहीं कराना चाहता। इसी प्रकार से एक आटोनामस कारपोरेशन होने के नाते कहां उनकी स्थिति है, यह देखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका लेखा–जोखा ही न हो, वह अवश्य होगा और उससे सदन को. यथाविधि अवगत भी कराया जायगा।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल की वृद्धि का प्रस्ताव

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 सदन के 2 अप्रैल, 1976 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक सदन में प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी। अतः सदन ने 29 अप्रैल, 1976 को समिति का कार्यकाल 15 मई, 1976 तक बढ़ा दिया था। परन्तु समिति 15 मई, 1976 तक भी अपना प्रतिवेदन सदन या श्री अध्यक्ष को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापना के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 सदन के 2 अप्रैल, 1976 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक सदन में प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी। अतः सदन ने 29 अप्रैल, 1976 को समिति का कार्यकाल 15 मई, 1976 तक बढ़ा दिया था। परन्तु समिति 15 मई, 1976 तक भी अपना प्रतिवेदन सदन या श्री अध्यक्ष को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उप–नियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापना के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 140-149 पर ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विकास विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च च' आगे पृष्ठ 150-168 पर ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ छ' आगे पृष्ठ. 169–170 पर ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'जज' आगे पृष्ठ 171–172 पर।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पु:स्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'झ झ' आगे पृष्ठ 173–192 पर।)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976

न्याय मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976, को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ ञ' आगे पृष्ठ 193–205 पर।)

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करती

(देखिये नत्थी 'ट ट' आगे पृष्ठ 206–207 पर।)

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनायें मिली हैं—एक तो माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी की है, वे चूंकि हैं नहीं अतः वह अस्वीकार हो जाती है। दूसरी परिवार नियोजन के सम्बन्ध में माननीय ऊदल जी की है, तो मैं उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि कल जो मेरे निवास स्थान पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, दूसरे दलों के नेताओं, उप नेताओं तथा मुख्य सचेतकों की बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि परिवार नियोजन पर साढ़े 6 घंटे की चर्चा का अवसर दिया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

ठीक है, मैं उसे पेश नहीं करता, मैं भी आपके यहां अगर हाजिर होता तो भोजन में शरीक हो जाता।

श्री अध्यक्ष—

भोजन भी था और भजन भी था..... (हंसी)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जिस गति से हमें केन्द्रीय सहायता आदि समय-समय पर मिलती रही है और हमारे यहां समय-समय पर जो बाढ़ तथा सूखा आदि की कठिनाइयां आती रही हैं, उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि आकस्मिकता निधि में बढ़ोत्तरी की जाय। यह इसलिये आवश्यक हो गया है ताकि जो आकस्मिक व्यय होते हैं उनको आसानी से सम्पन्न किया जा सके। मैं समझता हूं कि जिस गति से हमारा व्यय भार बढ़ रहा है उसको देखते हुये यह 7 करोड़ की रकम का जो, प्राविधान किया जा रहा है वह उचित है और आशा है यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह अधिकार तो यह सदन आपको दे देगा, पर अनुदान आदि देने के आपके जो पुराने मापदंड हैं, जैसे आग कहीं लग गयी तो आपने सौ-दो सौ रुपये दे दिये, वह मापदंड वही पुराने बाबा आदम के जमाने से ही चले आ रहे हैं। उसको आप बदलिये। जो न्यूनतम मात्रा आपने देने की रखी है उसको भी बढ़ाइये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं, कि पुराने मापदंडों को बदलना चाहते हैं, उनकी एक सूची वे कृपया मुझे दे दें कि किन्हें वे बदलना चाहते हैं, मैं अवश्य उन पर विचार करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अहेतुक अनुदान जो देते हैं, उसकी राशि को बढ़ा दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप लिख कर मुझे दे दें। मैं विचार कर लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार से लिख कर दे दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, ऐसा है कि जैसे कहीं आग लग जाय, खलिहान जल जाय, बाढ़ में लोगों के मकान गिर जायं, पशु वगैरह बह जायं, फसलों का नुकसान हो जाय, और बहुत से नुकसान हो जायं, तो आकस्मिकता निधि से ही लोगों को अहेतुक सहायता, मैं समझता हूं कि ज्यादातर रेवेन्यू विभाग के माध्यम से ही दी जाती हैं। जो रुपया दिया जाता है, आप ताज्जुब करेंगे, उसकी परिधि मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये तक की बना रखी है। इस समय ठीक से मुझे याद नहीं है लेकिन अन्दाजा से ही मैं कहता हूं कि 200 रुपये तक है। लेकिन श्रीमन्, दिया जाता है 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये। यह बात सही है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर होता है। जैसा इस साल बाढ़ ही आ गयी जिससे हमारे प्रदेश के 6–7 जिले काफी तबाह हो गये। यह बात सही है कि 15 रुपये और 20 रुपये भी अगर दिये जायं तो टोटल बहुत बढ़ जाता है, लाखों, करोड़ों में पहुंच जाता है, यह बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन यदि सरकार का इरादा ऐसे दुखी लोगों की कुछ मदद करने का है तो प्राथमिकता के आधार पर उनको मदद दी जा सकती है। जो लोग मदद के लायक हों, जिनको आवश्यकता हो और जिनको सरकार खुद मदद करना चाहती है, ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की सरकार प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट तैयार करे और इस राशि में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये ताकि जो निर्बल, गरीब और असहाय लोग हैं उनको ऐसी दैवी आपदाओं के समय मदद मिल सके। इसके लिये जो रूल रेगुलेशन्स हैं, नियम और कायदे कानून हैं वे बड़े पुराने हैं जो माननीय मालमंत्री जी के यहां पड़े हुए हैं। रेवेन्यू विभाग ही ज्यादातर इस तरह की मदद करता है, इसलिये उसे आकस्मिकता निधि को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस साल बाढ़ की वजह से काफी लोग तबाह हो गये। मेरे क्षेत्र में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। 10–12 आदमी मर गये, सैकड़ों पशु बह गये, सड़कें बह गयीं, फसलें पूरी की पूरी चौपट हो गयीं लेकिन उस वक्त लोगों में होड़ लगी हुई थी इस बात के लिये कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले। खास कर जो लोग शासन में पदासीन हैं वे चाहते हैं कि ऐसी ही जगह सहायता दी जाय जो उनके क्षेत्र से सम्बन्धित हो। मैं समझता हूं कि इस तरह का संकुचित दृष्टिकोण बहुत ही अनुचित है। होना तो यह चाहिये कि ऐसी दैवी आपदायें जहां भी आवें, चाहे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आवें, उनको यथासम्भव सहायता दी जाय। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, मैं खुद गया जब कि वहां सहायता बंट रही थी, पूरे क्षेत्र में बाढ़ आयी थी लेकिन मैंने देखा कि वहां एक दो स्थान छोड़कर सारा सामान धरा का धरा ही रह गया और आज तक इस तरह का कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं गया कि जो गरीब और निर्बल लोग हैं, उनको वह सहायता दे दी जाय। अगर उनकी सहायता 10–5 दिन के खाने लायक भी कर दी जाती तो उनकी कुछ मदद हो जाती। लेकिन इसकी कोई चिन्ता या दुख किसी को नहीं है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर सरकार विचार कर ले और पुराने जो नियम तथा कायदे कानून हैं उनको तब्दील करे। सरकार को चाहिये कि प्राथमिकता के आधार पर वह उनकी एक लिस्ट बना ले। यह एक बड़ी भारी रकम हो जाती है और आकस्मिकता निधि से पूरी की पूरी मदद नहीं की जा सकती लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उस मदद पाने के हकदार हैं, जिनको सरकार ने भी नीचे की श्रेणी में लिख रखा है उनको सहायता पहुंच सकती है तो इसके लिये सरकार को नियमों में कुछ संशोधन करना चाहिये ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस महत्वपर्ण प्रश्न पर जरूर विचार करेंगे।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय ऊदल जी से और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, इससे साफ जाहिर है कि ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे बाढ़ आ गयी या और कोई आपदा आ गयी तो ज्यादा देने को जरूरत पड़ेगी इसीलिये इसको लाया गया है। आप तो पुरानी बात कह रहे हैं। तो पुराने जमाने में इस तरह की अहेतुक सहायता नहीं दी जाती थी। पुराने जमाने में यह कुछ नहीं था। कांग्रेस सरकार ने इस सिलसिले में जोर किया। आग लग जाय या बाढ़ आ जाय तो इसीलिये यह लाया गया है। यह आप जरूर कहें कि कितना देते हैं। यह आपने जो बढ़ाने की बात कही है यह एक विचारणीय प्रश्न है। पहले तो 50 रुपया था। अब अधिक से अधिक 200 रुपया किया गया है। वह भी मैं समझता हूं कि जरूरत के मुताबिक कम है।

वैसे तो सरकार इसके साथ अपना रागात्मक संबंध रखती है, इसको महसूस करती है और इस तरफ सचेष्ट है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार को बोलने दें तो अच्छा होगा।

(हंसी)

श्री काशीनाथ जी को कुछ उत्साह आ जाता है कुछ प्रेरणा मिल जाती है।

श्री ऊदल—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवसर तो मिलेगा। आपने राय तो जाहिर कर दी। अगर आप चाहें कि इस पर कोई जवाब दें तो अवसर तो आपको मिलेगा ही। आप विरोध तो कर नहीं रहे हैं। आप व्योरे में जा रहे हैं।

श्री ऊदल—

विचार करके कुछ परिवर्तन कर दें, इतना आश्वासन दे दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अभी पहले इतना करना चाहता हूं। क्योंकि माननीय सदस्य, तिहरी ने यही बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

खंडों में संशोधन नहीं है।

खण्ड 2 खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में—

(1) उ धारा (6) के पश्चात, निम्नलिखित उपधार, बढ़ा दी जाय, अर्थात—

"(7) राज्य सरकार संहत निधि से दिनांक 18 अगस्त, 1976 को दस करोड़ रुपए की धनराशि निकालेगी और 4 अक्तूबर, 1976 को दस करोड़ रुपए की एक और धनराशि निकालेगी तथा उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"राज्य की संहत निधि से नधराशियों का निकाला जाना और उन्हे आकस्मिकता निधि में जमा करना।"

अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 तथा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्-द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत था।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25, 1976 तथा 30, 1976 का निरसन तथा अपवाद

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड–2, खंड–3, खंड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि अक्सर बस दुर्घटनायें होती रहती हैं और इसीलिये इस संबंध में हम एक बीमा योजना लागू करने जा रहे हैं। इसमें 10 रुपये के टिकट पर 8 पैसे देने पड़ेंगे। जैसे हम पैसेंजर टैक्स देते हैं, 5 परसेंट देना पड़ता है। तो पैसेंजर टैक्स का भी 5 परसेंट, यानी 10 रुपये के टिकट पर 8 पैसे देना होगा। इससे लाभ यह होगा कि पर्वतीय अंचलों में जहां पर दुर्घटनायें हो जाया करती हैं, वहां पर दुर्घटना होने की हालत में 3 लाख रुपये एक गाड़ी पर दे सकेंगे। मैदानी क्षेत्रों में 2 लाख रुपया एक बस पर देंगे और कोई व्यक्ति यदि घायल हो जाय या मर जाय तो 2 स्थितियों में बीमा कम्पनी का स्लैब होगा। उदाहरण के रूप में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 हजार रुपया मिलेगा, यदि घायल हो जाता है तो 5 हजार

रुपया मिलेगा। घायल व्यक्तियों का भी प्राविधान कर दिया गया है। मृत्य की दुर्घटनाओं में यह भी कर दिया गया है कि बीमा कम्पनी तत्काल जाकर परिवार वालों को उसे रुपया को दे दे। इसके पहले परिवहन निगम अनुकम्पा (इक्सग्रेशिया) के रूप में एक हजार रुपया देता रहा है। इसी तरह मोटर व्हीकिल में प्राइवेट ओनर को एक ट्रिब्युनल के अन्तर्गत जाना पड़ता था और उससे विलम्ब हो जाता था। इसलिये उसको दूर करने के लिये शासन ने सोचा कि यह योजना शुरू की जाय। यह योजना सारे भारतवर्ष में सबसे पहली योजना है जो यात्रियों के लिये दुर्घटना के समय लागू की गयी। मैं चाहता हूं कि इसकी उपयोगिता को देखते हुये सदन के सभी माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे और स्वीकार करेंगे क्योंकि यह जनता के हित में है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मान्यवर, यह सही है कि यदि दुर्घटना हो गयी और जो मर गया उसके लिये आपने यह बीमा की स्कीम लगा दिया। लेकिन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्घटना का आखिर कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रोडवेज की जो बसें हैं पहाड़ों में आप देखेंगे कि कोई भी बस ऐसी नहीं है जो सड़क पर चल सके। जो मैदान में नहीं चल सकती हैं वह पहाड़ में लगा दीजाती है। यदि आप पिथौरागढ़ जांय तो यह नहीं कह सकते हैं कि शाम तक वहां पहंच जायेंगे। यही हालत उत्तरकाशी में भी है और कहीं–कहीं गाडी ब्रेक डाउन हो जाती है। पहाड़ में नई गाड़ियां चलनी चाहिये लेकिन उसका उल्टा है। मैदान में दिल्ली की बस होगी तो वह नई होगी और पहाड़ में छकड़ा बस चलेगी। ऋषिकेष से बद्रीनाथ यदि आप एक दिन में जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट ओनर यात्रियों को मुर्गे की तरह ढोते हैं। एक ड्राइवर को 12–14 घंटे गाड़ी चलाना पड़ती है जिसके कारण वह गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता है। पहाड़ में दुर्घटनाओं के कई कारण हैं जैसे कि गाड़ी ऐसी नहीं होती हैं कि वह चल सकें, ड्राइवर को ज्यादा समय देना पढ़ता है और तीसरे चेकिंग स्टाफ भ्रष्ट है। ऋषिकेष में फिटनेस के लिये इंस्पेक्टर को लगा रखा है और वह 15 रुपये फीस नहीं जब तक नहीं ले लेगा, तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगा।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपको यदि इन दुर्घटनाओं से बचना है तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र के यातायात की आपको एक नई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था के अन्तर्गत जो प्रोफिट मोटर मालिक के हैं उनके मुनाफे के ऊपर लगाम लग सके उनमें नियंत्रण रखा जा सके और दूसरी चीज यह है कि जब आप अपने विभाग के चेकिंग स्टाफ के ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण और अंकुश रखेंगे तब आप इसको कर सकते हैं। जो बिचारा ड्राइवर मर जाता है उसके लिये आपके पास क्या सुरक्षा है, कन्डक्टर मर जाता है उसके लिये क्या सुरक्षा है, जो आपका चेकर मर जाता है उसकी क्या सुरक्षा है? मेरा आप से निवेदन है कि अगर सुरक्षा देना चाहें तो केवल कम्पनसेशन देकर नहीं हो सकता। जो बेचारे स्वर्ग सिधार गये उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप दस हजार और दस लाख रुपये दें। चीज यह है कि इस बात की गारन्टी कीजिये कि किसी तरह से दुर्घटना न हो और कोई दुर्घटना होती है तो आपके जो ड्राइवर हैं, कर्मचारी हैं उनके बारे में आप सुरक्षा की गारन्टी दें।

*श्री बीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)—

माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है वैसे तो बड़ा अच्छा है लेकिन इस में यात्रियों के लिये सुरक्षा के संबंध में भी कहा गया है। ट्रक पर 6 या 7 यात्रियों की अनुज्ञा होती है चलने की। जब दुर्घटना हो जाती है, बच्चे मरते हैं, चाहे वे पल्लेदार हों चाहे व्यापारी, उनके लिये क्या सुविधा है? यात्री टैक्सियों में सफर करते हैं जिस में पांच यात्री से कम लोग चलते हैं उन में पैसेन्जर टैक्स नहीं लिया जाता तो उसके लिए क्या व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बीर सिंह सैंगर]

है, कोई एक्सीडेन्ट होता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार सफर करने वाले यात्रियों को भी कम्पनसेशन मिले।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में कुछ कहने का अवसर दिया है। बसों में दुर्घटना हो जाने के बाद जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार की रक्षा के लिये और उनकी जीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें उनके लिये समुचित व्यवस्था है और इसलिये मैं यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की बस, जिन में माल वाहक ट्रक भी है, जीप भी है, टैक्ससीज भी हैं और उनकी भी दुर्घटना होती है इस कार्य क्षेत्र के अन्दर अगर वह भी आ जायं तो मैं समझता हूं कि उनके परिवार के लोग जो बचेंगे उनके जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो सकगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

कुमारी रमा पंत (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करती हूं। सरकार का यह कदम बड़ा ही सराहनीय है और उसके लिये हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा इसके पहले क्या स्थिति थी कि जो राजकीय परिवहन निगम था वह बहुत कम धनराशि अनुकम्पा के रूप में देता था और प्राइवेट परिचालकों की हालत तो और भी खराब थी। कौन उत्तरदायी है इस दुर्घटना के लिये, कितना कम्पेनसेशन मिलना चाहिये उसके लिये ट्रिब्यूनल बैठाना पड़ता था उसमें बहुत विलम्ब हो जाता था और यह पता ही नहीं चलता था कि ट्रिब्युनल का क्या फैसला होगा, किसको उत्तरदायी ठहराया जायगा, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है और बीमा योजना लयी गयी है जिसमें कि 3 लाख रु0 हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिये और 2 लाख रु0 मैदानी क्षेत्र के लिये रखा गया है उससे जनता आश्वस्ति की भावना बढ़ेगी और इस योजना में कम्पेन्सेशन मिलने की बात होगी तो इससे जनता को और भी राहत मिलेगी ?

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन का आधुनिक साधन सड़क ही है। माननीय नेगी जी ने कहा कि दुर्घटना क्यों होती है तो उन्होंने विषय बदल दिया था। मान्यवर कुछ माह पूर्व गढ़वाल डिवीजन में इस तरह की दुर्घटनायें हुई थीं। सरकार इसके लिये चिंतित थी और माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से चिन्तित थे। अभी हाल ही में लाखों लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा जहां कि दुर्घटनायें हुई है सरकार ने इनके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की है। तो सरकार ने इसी ख्याल से यह योजना लागू की है इससे सामान्य जनता में आश्वस्त की भावना बढ़ी है। यह योजना श्रेयस्कर होगी। जनता इसके लिये कृतज्ञ है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्योंने सुझाव रखे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं जो शासन मरने के बाद कार्यवाही करता है, उत्तरदायित्व आदि ढूंढ़ा जाता है तो क्या वह जीने के वक्त कोई व्यवस्था न करेगी ? अभी जो एक्सीडेंट हुये हैं हमने एक वन मैन कमीशन नियुक्त किया था इन एक्सीडेंट्स के बारे में। उसकी रिपोर्ट आ गयी है और वह सरकार के विचाराधीन है। एक्सीडेंट जो कहते हैं तो हम उनसे पहले बचने की व्यवस्था करते हैं परन्तु एक्सीडेन्ट तो एक्सीडेन्ट ही होते हैं क्यों होते हैं, कब होते हैं, इन सबके केसेज अलग-अलग होते हैं। तो मैं अब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अब इसको पारित करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 तथा 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 1 नवम्बर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1962 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात् :—

"(3-क) इस उपधारा के प्रारम्भ से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी से ले जाए जाने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा प्रत्येक यात्रा के लिये देय कर और अतिरिक्त कर पर, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जैसे निदेश दें, वैसी दर पर यात्रियों के बीमा के प्रयोजनार्थ अधिभार भी लगाया जायगा और राज्य सरकार को दिया जायगा, जो ऐसे कर और अतिरिक्त कर के कुल योग के पांच प्रतिशत से अधिक न होगा ।"

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "उपधारा (3) के अधीन भारणीय अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) और (3-क) के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त कर और अधिभार" रख दिये जायेंगे, और शब्द "उक्त अतिरिक्त कर" के पश्चात् शब्द "और अधिभार" रख दिये जायेंगे ।

निरसन तथा अपवाद

उ०प्र० अध्या. देश संख्या 33, 1976

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, अभी भी जो धारा 14 में यह प्राविजन था कि जो यह अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी जाती थी उसके बाद गजट में प्रकाशन होने के बाद ही यह जमीन राज्य सरकार में निहित होती थी जिससे इसके वितरण मे काफी विलम्ब होता था और तरह-तरह के व्यवधान पदा हो जाते थे, इसी को दूर करने के लिये धारा 14 मे संशोधन लाया गया है।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो संशोधन माल मंत्री द्वारा पेश किया गया है, यह संशोधन तो मान्यवर मूल अधिनियम में होना चाहिये। यह दुःख की बात है कि इतने दिन तक यह मामला ऐसे ही टाला जाता रहा लेकिन बहरहाल इस वक्त जो मौजूदा हमारे माल मंत्री हैं, वे बधाई के पात्र हैं। 16–17 साल के बाद इस कमजोरी को पकड़ा गया है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह कमजोरी रखी गयी थी। सरप्लस घोषित करने के बाद जब तक सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ तब तक यह सरकार में निहित नहीं मानी जायगी। मतलब यह था कि उन तत्वों को जिनकी जमीन निकल रही थी उनको अच्छा समय दिया जाय ताकि वे बड़े-बड़े न्यायालयों में जा सके और मामलों में रुकावट डाली जा सके। इतने दिन तक मामला चलता रहा और कई बार, मैं खास तौर से जोर देता हूं कि आज जो विकास और बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद पूरे कार्यक्रम में जो उभरकर चीज सामने आती है कि भूमि का आवंटन होना चाहिये और सीलिंग में ज्यादा से ज्यादा जमीन निकालनी चाहिये जिस पर बार-बार इस सदन में बहस हुई कि सीलिंग ऐक्ट में फला-फला कमजोरियां हैं, इस पर नजर जाय लेकिन इसी तरह से कभी एक कमजोरी और कभी दूसरी कमजोरी पकड़ी गई। उसका नतीजा क्या है कि इस प्रदेश के अन्दर सोचा जाता था कि सीलिंग में कुल सात या आठ लाख एकड़ जमीन निकलेगी और प्रदेश के लोगों को जमीन बटेगी लेकिन है क्या सन् 1960 के ऐक्ट के आधार पर जो जमीन निकली उसमें सरप्लस डिक्लेअर हुई है 2,15,125 एकड़ और जो डिस्ट्रिव्यूट हुई है वह 1,61,270 एकड़।

तो मान्यवर, जरा अन्तर देखें कि कितनी अतिरिक्त भूमि घोषित होती है और कितनी वितरित होती है। दो और एक का अनुपात और कहीं-कहीं आधे का अनुपात है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई अड़चन आपके सामने ऐसी है जिससे कि भूमि अतिरक्त घोषित होने के बाद भी बटवारे में इतना कष्ट आप उठा रहे हैं। सन् 1972 में 1,53,950 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई लेकिन बटी कितनी, 52047 एकड़। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर घोषित होनेके बाद भी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी सीलिंग क्लाज के अन्दर कमजोरियां हैं कि जिनसे आप बांटने में असमर्थ हो रहे हैं और पूरे तरीके से आप नौकरशाही के ऊपर डिपेन्ड कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्दर यह तरीका चलने वाला नहीं है। नियम सुधारना, संशोधन करना इसमें भी योग था और खास तौर से प्रधान मंत्री जी की घोषणा भी थी और आप लोगों की भी यह घोषणा थी कि जनता का सहयोग लिया जायेगा। तो जनता का सहयोग कानून बनाने में तथा अपने ही लोगों का, माननीय सदस्य कांग्रेस के लोगों काजिनका वास्ताऔर ताल्लुक नीचे की जनता से है आप उनका भी सलाह मशविरा लें कि कौन सी खामियां या कमियां हैं, न किसी गैर का सहयोग लें तो जो कम से कम आपके दल के हैं और जो कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में, और ऐसे लोग जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं उनका तो सहयोग लें। लेकिन इस एमरजेन्सी के दौरान जिन जिन कार्यक्रमों को महत्व दिया गया था और विरोधी तत्व जो सामन्तवाद से देश के लिये खतरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैदा करना चाहते थे उनके खिलाफ यह प्रोग्राम था लेकिन लागू नहीं किया गया। मैंने जो यह डेटा दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस वक्त यह मामला बिलकुल खटाई में डाल दिया गया है।

पिछले छः महीने से यह पूरा भूमि आवंटन का कार्यक्रम, सीलिंग की जमीन निकलने का कार्यक्रम रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। हो क्या रहा है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कारण है कि जब जिलाधिकारी या जब सीलिंग अधिकारी हरिजनों और भूमिहीनों में जो पट्टा लेते हैं उनको पट्टा देने से पहले नसबन्दी के केस मांगते हैं। अगरचे आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है जिसके हम लोग भी समर्थक हैं लेकिन तरीके ऐसे इस्तेमाल किये गये जिनसे भूमि आवंटन का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। भूमि के सवाल को लेकर जो लोग पहले विधायकों को घेरते थे वह लोग अब हमारे पास नहीं आ रहे हैं इस खतरे से कि पहले नसबन्दी करा लो। क्या चीफ सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी के कोई ऐसे आदेश हैं या किसी अन्य साधन से नीचे के स्तर पर ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि भूमि आवंटित करने के पहले नसबन्दी का सर्टिफिकेट मांग लिया जाय ? अगर ऐसा है तो यह गलत है। इससे न तो भूमि आबंटन का कार्य हो पा रहा है और न परिवार नियोजन का कार्य ही हो पा रहा है।

पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि मंगल देव विशारद कमेटी ने जिन फार्म्स का जिक्र किया था क्या उनसे जमीन निकाली गयी और उनसे लेकर कितनी जमीन का बटवारा किया गया ? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि टी0 पी0 भल्ला के फार्म की जांच के लिये सदस्यों की समिति बना दी जायगी लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। तीन आई0 ए0 एस0 अधिकारी उस समिति में रख दिये गये। मामला जहां था वहीं रह गया और वह खटाई में ही पड़ा हुआ है। आखिर मंगलदेव विशारद कमेटी ने बड़ी मेहनत करके अपनी रिपोर्ट दी थी और जो कुछ प्वाइन्ट आउट किया जमीन के बारे में उनसे जमीन नहीं निकाली गयी इसका आखिर कारण क्या है ? अगर शासन ने कुछ किया होता तो भूमि आबंटन के कार्यक्रम में नीचे से ऊपर तक जनता को बल मिलता लेकिन कोई कदम न उठाने के कारण समाजवाद का आधार ही टूट गया। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि सीलिंग का जो कार्य पेंडिंग है इसमें भविष्य में अधिक वक्त न लिया जाय और इसको शीघ्र ही निबटाया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रामचन्द्र बक्श सिंह ने अपने खयालात जाहिर किये हैं, उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि आपात्कालीन स्थिति में जमीन के काम को अगर पूरा कर लिया जाता तो अपने प्रदेश में ही नहीं सारे देश में हमारे इस क्रान्तिकारी परिवर्तन का स्वागत किया जाता, लेकिन यह काम हो नहीं पा रहा है। देखने में यह आ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े जोतदार हैं उनकी जरा भी जमीन नहीं निकल पा रही है। मेरे क्षेत्र में तीन चार महाराजे हैं जो फर्जी नाम से जमीन रख कर खुद उस जमीन को जोतते बोते हैं। मेरे जिले में 5, 7 सीलिंग के मुकदमे थे, लेकिन आपात्-कालीन स्थिति के बावजूद एस0 डी0 एम0 ने रिश्वत लेकर उन बड़े लोगों के हक में फैसले कर दिये और जमीन सीलिंग से नहीं निकल पाई। इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन बावजूद 20 सूत्री कार्यक्रम के किसी भी बड़े जोतदार की जमीन नहीं निकल पाई। भूमि आवंटन के काम में बड़े आदमियों के अलावा जो सीलिंग की भूमि चढ़ी हुई है उसमें ग्राम प्रधान भी हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उसके लिये आप संशोधन भी कराते हैं लेकिन वह पूरा नहीं होता है जिलों में जो भूमि चोर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। आपकी जिले की जो नौकरशाही है जो भूमि चोरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते उनके ऊपर निर्भर न रहे। बल्कि सचमुच में जो कायदे कानून

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इस सदन से पास होते हैं उन पर विश्वास रखते हैं उनसे यह काम करायें। आप ऐसे लोगों की कमेटी बनायें जो इन लोगों की जांच करे तब कहीं जमीन निकल पायेगी। जो जमीन आप बांटते हैं भूमिहीनों को देने के लिये उस पर कोई शर्त नहीं रखी जाय। जो सचमुच में जमीन के भूखे है उन्हीं को जमीन दी जाय। इस पर ही हमारे ला एण्ड आर्डर का सवाल भी डिपेंड करता है। जो भूमि चोर है उनसे ज़मीन निकालने के लिये आप कोई क्रान्तिकारी कदम उठायें। अभी तक इस बिल का मकसद हल नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों की कमेटी बैठाइये या आपको सरकार इस प्रकार का अधिकार दे। मैं कई बार आपसे मिलता हूं तो आप कहते हैं कि कलेक्टर या एस0 डी0 एम0 के खिलाफ ऐक्शन लेने का अधिकार आपके पास नहीं है। जिन लोगों को आपने अधिकार इस जमीन को बाटने का दिया है अगर वह गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेने का अधिकार आपके हाथ में अगर नहीं है तो सरकार वह अधिकार आपको दे। और जो लोग इस भूमि आवंटन में विश्वास रखते हैं उनकी आप जिलों में कमेटी बनायें और भूमिचोरों का पर्दाफाश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, यह एक चन्दा मामा का लड्डू है। हमारी सरकार ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है और उसमें जो सूत्र नं0 2 है उसको मजबूती के साथ लागू करने की बात कही है उसकी सराहना करते हैं। जो आपने कानून बनाये अधिकतम जोत सीमा का, उसका कार्यान्वियन नहीं हो रहा है। हम लोग राजस्व मंत्री पर विश्वास करते हैं, उनकी नियत अपनी जगह पर दुरुस्त है लेकिन जैसा कि काशीनाथ मिश्रा जी ने कहा कि नौकरशाही सामंतशाही के साथ है, सामंत लोग उनके बीच बैठे हुए हैं। आप चाहें कितनी ही कमेटियां बना लें उससे कोई हल होने वाला नहीं है। पिछड़ी जाति के लोगों को अभी भी जमीन नहीं मिल पाई है पिछले 6 महीनों से आप लगे हुए हैं, लेकिन माननीय सदस्य जो चुन कर आये है वह बतला सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कितनी जमीन अभी तक बंटी है। सीलिंग की 39 हजार एकड़ में से आप कितनी जमीन भूमिहीनों को दे पाये हैं।

मैं अपने क्षेत्र की ही बात बतलाता हूं हमारे यहां एक जोगेन्दर सिंह हैं उनकी मां के नाम 32 एकड़ जमीन पड़ी हुई है उन्हें मरे हुए करीब 20 साल हो गये। इसी प्रकार एक दूसरे गांव छावनी में हुआ है मैने वहां के कलेक्टर को लिख कर भी दिया और कांग्रेसी भाइयों ने भी लिख कर दिया पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कमेटी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको उन कर्मचारियों के खिलाफ चाहे वह थानेदार हो या एस0 डी0 एम0 हों जो बदमाशी करते हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिये। मैं जानना चहता हूं कि अभी तक आपने कितने लोगों को सस्पेंड किया है? आप ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आपके यहां पहुंच होती है। पूरे प्रदेश के सामन्ती या उनसे सम्बन्धित लोग इस विधान सभा में बैठे हुए हैं। इसलिये यह विधेयक लाने से आपका काम हल नहीं होगा। मेरे यहां 55 गांवों में एक बिस्वा जमीन भी नहीं दी गई है। केवल चन्दा मामा के लड्डू दिखाकर आप उनको सुला रहे हैं। इससे बड़ा भारी जनता में असन्तोष है। आपने एमरजेंसी में विरोधियों को बन्द किया है, तो इन अनियमितताओं के लिये मजबूत कदम उठाना चाहिये था, जिससें अपोजीशन वाले आप पर जो छींटाकशी करते थे, उनको कुछ कहने का मौंका न मिलता। लेकिन यहां वह उलटा हो गया है। आप पर यह चार्ज है कि आपने इस इमरजेंसी में इस दिशा में कुछ नहीं किया है। मैं विधान सभा में प्रश्न उठाता हूं तो वह रेजेक्ट हो जाता है, विस्तृत होने के कारण। हमारे क्षेत्र में मजदूरपुर गांव में निकली भूमि पर हरिजनों को कब्जा मिलने के बजाय दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। मैं आपके कमरे में इस पर अप्लीकेशन लेकर गया था। आप देखें कि वह थानेदार किस वर्ग का आदमी है। वह सामन्ती लोगों का आदमी है, 4 हरिजनों को वहां

हवालात में भेज दिया गया। इसके लिये मैंने आपके कोर्ट इंस्पेक्टर से भी कहा तो उसने कहा कि विधायक जी आप समझदार हैं, इन [* * *] को जेल में भुगतने दीजिए, यह [* * *] जमीन लेने आए हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
क्या यह भी लिखा जाएगा ?

श्री भगवती प्रसाद—

जो बेचारा पिछड़ा, गरीब हरिजन जमीन लेना चाहता है, जमीन लेने जाता है तो उसका चालान होता है और 107 में बन्द होता है। मैंने अपने गांव में गृह-आबंटन की जमीन हरिजनों को दिलाई थी, लेकिन उनका चालान हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई और डरकर उन्हें जमीन को सरेन्डर करना पड़ा। थानेदार सामन्तों के कहने पर उनपर ज्यादती करता है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह सब निकल जाएगा।

श्री भगवती प्रसाद—

आज 15 साल से हमारे यहां ताल्लुकेदार जगदम्बा सिंह सैकड़ों एकड़ जमीन दबाए हुए हैं। हमने वहां पट्टा दिलाया, लेकिन उस पर आजतक हरिजनों को कब्जा नहीं मिला है। पहले वह अपोजीशन में थे और अब सत्तापक्ष में हैं, भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 रहे हैं। वह बड़ा जोरदार आदमी है, अपने दल-बल से वह अपनी जमीन पर हरिजनों का कब्जा नहीं होने देते हैं।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

आप लोगों को जेलों में बन्द कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपका यह विधेयक बुरा नहीं है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी, हालत सुधरेगी नहीं और न हरिजनों को एक बालिश्त भी जमीन मिलेगी। जब तक आप दोषी पाए गये आदमियों को जेल में नहीं बन्द करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे, उन्हें मीसा में बन्द नहीं करेंगे। राजस्व मंत्री जी, आप इस संबंध में कोई उदासीनता न बरतें। प्रदेश के उन अधिकारियों को, जिन्होंने इसमें उदासीनता बरती है, किसी को भी कोई सजा नहीं मिली है। आप एक अधिकारी का भी नाम बता दें, जिसके खिलाफ इसमें गड़बड़ी करने के फलस्वरूप मीसा के अन्तर्गत कार्यवाही हुई हो। आप उन्हें चन्दा मामा का लड्डू दे रहे हैं, इससे वह सो अवश्य जाएंगे, लेकिन वह सुबह फिर आपकी ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ दौड़ेंगे। इस तरह से बार-बार उनको आपकी तरफ दौड़ने से आपका भारी नुकसान होगा। आपकी सरकार को मिटना है, आपके झूठे प्रोग्राम की वजह से, आपके इस अपने प्रोग्राम की वजह से प्रदेश का हरिजन आज असंतुष्ट है। भारी असंतोष है। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम लगाते हैं और देश में तोड़-फोड़ की कार्यवाही होगी तो आपके कारनामे से होगी। जो हरिजन आपके यहां दौड़ते थे, जिनको चन्दा मामा का लड्डू दिखलाया है, आप गांव में जायं, माननीय सदस्यों से पूछें, हरिजनों की नसबन्दी होती है। रेवेन्यू के अधिकारियों से पूछता हूं कि कहां जा रहे हैं? नसबन्दी की खोज करने जा रहे हैं। किसके यहां? जिसको सीलिंग की जमीन का पट्टा मिलेगा। यह कौन सा तरीका है? आप नसबन्दी करवाइये, अनिवार्य कर दीजिये, जबरदस्ती कराइये, उससे इनकार नहीं करता। लेकिन मजबूर हरिजनों, जिनको एक एकड़ जमीन देनी है उनकी नसबन्दी करवा रहे हैं। मैं सुझाव दे रहा हूं, कमेटी का विरोध कर रहा हूं। आप पहले एक महीने अभियान चला दीजिये जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनको मीसा में बन्द कर दें।

नोट:—[* * *] अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री भगवती प्रसाद]—

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां दो थानेदार एक पंडित और एक राय हैं, शिकायत करें तो बड़ी दुर्गति होगी, हरिजनों की वह पिटाई हो रही है, मैं जमानत करवाते करवाते थक गया हूं। मेरा वोट कम हो रहा है लेकिन आपका सी नहीं बढ़ रहा है। जिनको आपने मीसा में बन्द कर दिया है अगर वह होते लोक दल सब कुछ कर देता ऐसा कहा जायगा। जिन अधिकारियों की शिकायत हैं, दोषी है, धर्मवीर जी बहुत अच्छे हैं जो हरिजनों के चालान करवाते हैं, जो जमीन नहीं दिलवाते हैं, जो उस वर्ग के हैं जो जमीन की चोरी किये हैं। मैंने भी एक-दो प्रूफ दिये थे 16 एकड़ का चक जोगिन्दर सिंह का इमलीपुर में है। करीब बीस साल उनकी मां को मरे हो गये। इसलिये दाखिल खारिज नहीं कराया ताकि जमीन न निकलने पाये। उसका चक कटेगा, बंटेगा। मैंने ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0, डाइरक्टर, एस ओ0सी0, तहसीलदार सब से कहा। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। क्योंकि मैं एक नाखवांदा बैठा हुआ हूं। आप इसी महीने एक अभियान चलाएं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनको आप मीसा में बन्द करें। एक महीने में 80 प्रतिशत जमीन बटवायेंगे तभी आप इस विधेयक का लाभ उठा सकते हैं।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। आप मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दे रहे हैं। वास्तव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मूल प्रश्न पर विचार किया जाय। हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के बाद जितने भी कांग्रेस दल की तरफ से क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह विषय है। इस सम्बन्ध में सदन यह आशा करता था कि जैसा महत्वपूर्ण विषय यह है इस पर राजस्व विभाग की तरफ से एक ही समय में पूर्ण रूप से विचार करके हर पहलू पर एक विस्तृत संशोधन लाने की आवश्यकता थी। लेकिन यह बार-बार दिक्कत होती है, टुकड़ों में यह संशोधन ला रहे हैं और अन्य दलों के साथ जो यह आरोप लगा रहे हैं, सम्भव है कि हमारे कुछ शासक दलो के लोग ही जो सत्तारूढ़ है वह इस तरह से एक साथ सारी चीजों को लाना नहीं चाहते हैं। तो आप इसका अवसर न दें। पिछले कुछ दिन पहले मैंने प्रश्न उठाया था और वह प्रश्न बिलकुल सही था। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आता है कि उसे क्यों नहीं माना गया। मान लीजिए कि 100 एकड़ जमीन है और उसके खुद के अधिकार के अनुसार या उसके परिवार के अधिकार के अनुसार 40-45 एकड़ जमीन मिलनी चाहिये। तो उसके बाद भी जो जमीन उसके पास बचती है, उसको भी वह छोड़ता नहीं है। वह अदालत चला जाता है और स्टे ले आता है। स्टे ले आने के बाद वह उस जमीन पर काबिज रहता है और हमारी सरकार कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसपर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करें और यह देखे कि अधिनियम में कहां पर कमी है जिसके अन्तर्गत वह अदालत में चला जाता है और स्टे ले आता है। इससे साफ जाहिर है हमारे अधिकतम जोत सीमा अधिनियम में कहीं न कहीं पर जरूर कोई खामी है जिससे कि अदालत स्टे दे देती है। स्टे का नतीजा यह होता है कि अपने अधिकार से अधिक जमीन लोग अपने पास रखे रहते हैं और किसी का उस पर बस नहीं चल पाता है।

अतः आप इस पर विचार अवश्य करें और इसमें जो खामी है उसको दूर करें। सरकार को स्वयं इस ओर प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह का नियम हो कि वह स्वयं ही अपनी अधिक जमीन को सरकार के पास सरेन्डर करें, लेकिन इस तरह का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप माननीय सदस्यों ने जो विवरण पेश किए हैं उनको देखें और उससे आपको मालूम हो जायेगा कि किसके पास अधिक जमीन है। आप उसकी जांच करावे। आखिर अधिनियम में कोई कमी है तो उसमें संशोधन लावें। यह एक बड़ी ऊट-पटांग बात लगती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जो सदन नियम बनाता है और उसके सदस्य स्वयं ही उस सीमा के बाहर जमीन में कब्जा किए हुए हैं और उन पर कोई भी कानून नहीं लागू कर सकता। जो उनके विवरण के अनुसार अधिक जमीन है उस पर सरकार का कब्जा होना चाहिये। माननीय मंत्री जी, मैं यह चाहता हूं कि आप इस बारे में संशोधन अवश्य लायें। कोई आदमी केस लड़ता है और कहता है कि मेरा लड़का बालिग है, उसका हिस्सा लगना चाहिये, लेकिन जब उसके बाद भी उस के पास जमीन बचती है तो उसे सरकार को ले लेना चाहिये।

आज हम लोग शासक दल में होते हुए भी जिला अधिकारी और एस0 डी0 एम0 को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वे इस तरह की अधिक जमीन को ले लें जो सीलिंग में आ गयी है। यह एक जिले की शिकायत नहीं है, बहुत से जिलों की शिकायत है। आज उसका भयानक परिणाम हो रहा है। इस तरह के लोग बड़े जोरशोर से जिले की राजनीति में भाग ले रहे हैं जिससे अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हम लोग यहां पर कानून बनाते हैं और उसको लागू करने में अपनी विवशता जाहिर करते हैं। अगर कोई कानूनी व्यवस्था है तो उसके लिये पूर्ण रूप से विचार करके माननीय मंत्री जी अपने लिए जो भी कानूनी अधिकार चाहते हैं, उन संशोधनों को विस्तार से लायें और इस चीज को लागू करें। आज यह मामला मामूली नहीं रह गया है। सीलिंग के प्रश्न का, सीमा आरोपण के प्रश्न का एक बड़ा इतिहास है। वर्ष 1935 में जिस समय कृषि सुधार समिति (एग्रेरियन रिफार्म्स कमीशन) बैठाई गयी थी उस समय उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि जो नियम इस बारे में बनें उनको हम कितनी सफलता के साथ लागू कर सकते हैं, यह देखना है। तो आज हर एक के, चाहे वह कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या विरोधी दल का कार्यकर्ता हो, उसके मन में एक शंका बनी हुई है कि हम सीमा आरोपण अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं जिनको दूर करने के लिये माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि एक कमीशन बैठाया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी इतने विस्तार से विचार किया जा चुका है कि कोई अन्य कमीशन बैठाने का लाभ नहीं है? हमें देखना चाहिये कि हम किस अधिकार से, किस अधिनियम से जितनी भी अतिरिक्त भूमि है, उस पर किस प्रकार से अधिकार कर सकते हैं। जितने भी आंकड़े हमारे सामने आये हैं उनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वे गलत हैं आज प्रदेश में तराई के इलाके में, खादर के इलाके में चाहे वह गंगा का हो, यमुना का हो या किसी अन्य नदी का हो, बड़े-बड़े फार्म्स हैं अगर उन्हीं पर हम इस कानून को पूरी तरह से लागू कर पाते तो जितनी भूमि इस समय निकली है उसकी चार गुनी ज्यादा जमीन मिल गई होती।

अतः मैं पुनः आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर पूरी तरह से विचार करलें और एक बार ही ऐसा संशोधन ले आयें जिससे अधिक से अधिक भूमि निकल सके और उसका वितरण सफलता के साथ किया जा सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का जो कानून हमारे प्रदेश में बना उसके नतीजे बड़े ही दुःखद रहे। श्रीमन्, आपको याद होगा कि वर्ष 1960 में जब यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ, उस समय आप भी सदन के एक माननीय सदस्य थे। उस समय हमारे माल मंत्री माननीय हुकम सिंह जी थे। उन्होंने बड़े ही जोश-खरोश और लम्बे-चौड़े भाषण के साथ कहा था कि इससे 29 लाख एकड़ भूमि निकलेगी। लेकिन कानून पास हो जाने के बाद जो भूमि निकली वह केवल 2 लाख 15 हजार एकड़ ही थी। इन आंकड़ों को माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह ने दिया है। उसके बाद 2 बार संशोधन किए गये, एक बार 1972 में और एक बार और हुआ था। अब चौथी बार उसमें संशोधन हो रहा है। गलतियों को स्वीकार करने में बड़प्पन होता है, लेकिन यह सरकार अपनी गलतियों को आज तक स्वीकार करने में असमर्थ रही है और वाह-वाही लूटती रही। अपने जिले में माल मंत्री को 17 व्यक्तियों के नाम लिख कर 1 साल पहले दिया था। हमारे यहां एक प्रस्ताव पास

[श्री ऊदल]

हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का। डी0 एम0 को और माल मंत्री को पत्रक दिया था। महाराज विभूतिनारायण सिंह फर्स्ट नाम था, जिनके पास आज भी कई हजार एकड़ जमीन और बाग और यह यहां तक कि जंगल की 700 एकड़ जमीन जोत रखी है। उसका सवाल भी मैंने यहां किया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जांच हो रही है। यह कब तक होगी इसका कुछ ठीक नहीं है। आपको याद होगा, मैंने टी0 पी0 भल्ला के बारे में एक सवाल किया था पिछले सत्र में और मंत्री जी खुद संतुष्ट नहीं थे उस जवाब से और अध्यक्ष से कहा कि उसको स्थगित किया जाय और उसको स्थगित कराये अपने से और कहा कि इसका संशोधित बयान देंगे। फिर माननीय मंत्री जी दोबारा भी संतुष्ट नहीं हुए। इस फार्म के अलावा और 5 गांव हैं जिन में बहुत सी जमीनें पड़ी हुई हैं। मंत्री जी ने उसी सवाल के उत्तर में कहा कि एक कमेटी बनायेंगे माननीय सदस्यों की। नाम भी लिये। उस कमेटी का क्या हुआ, हमारे पास तो लिख कर आया नहीं।

इस तरह से कम से कम लाखों मुकदमे आपके उत्तर प्रदेश में सीलिंग के पड़े हुए हैं। एक और मेमोरंडम दिया है मंत्री जी को। किसान सभा का मई में सम्मेलन हुआ था कि यह कैसे पता चले कि सीलिंग की जमीन कहां गयी। कहीं तो केन्द्र बिन्दु रखेंगे, तभी पता चलेगा कि जमीन कितनी थी जमींदारी उन्मूलन के बाद। या उसके बाद कहीं तो केन्द्र बिन्दु बनायेंगे रेवेन्यु रेकार्डस् देखने से, खसरा खतौनी देखने से पता चलेगा। हमारे यहां प्रस्ताव पास हुआ था कि सरकार ने जब से अधिवासी का कानून बनाया और सीरदार को सीर के राइट्स दिये तो खसरा खतौनी देखनी होंगी। 1356 और 1359 फसली के बाद ही सीलिंग हुई और ज्यादातर ट्रांस्फर हुआ है। हमने मांग किया तो किसान सभा के उस प्रस्ताव को अपने प्रस्ताव के साथ भेजा। उसपर मंत्री जी ने कहा कि 1356 और 1359 फसली को आधार बनाकर के अब जमीन की जांच करना संभव नहीं है। अब हम 1371 के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं, लिहाजा यह प्रस्ताव मानने योग्य नहीं है। श्रीमन्, कौनसा माना जाय, सवाल यह है?

एक और दिक्कत हुई है। एक प्रस्ताव और मंत्री जी को दिया। जहां जहां चक-बन्दी हुई, गजट होने के बाद भी बहुत से लोगों ने अपनी जमीन को परिवार वालों के नाम, दूसरे परिवारों के नाम ट्रांस्फर कर दिया। इनको सी0 ओ0, ए0 सी0 ओ0 ने वहीं बयान लेकर मौके पर कर दिया।

चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 ऐसी है जो ट्रांसफर होने के बाद उस पर लागू होती है। उसके लागू होने पर जमीन नहीं निकल पावेगी। मैंने धारा 49 को खत्म करने के लिये कहा ताकि वह जमीन निकले। करीब 30–35 आदमियों के नाम दिये जिन्होंने फर्जी ट्रांसफर गजट होने के बाद कराये। उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो सीलिंग ऐक्ट आने के बाद जमीन की ऐसी लूट। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वाराणसी की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका नाम दिया, बड़े-बड़े ऊंचे पद पर हमारे जिले में वह सुशोभित हैं, उन्होंने बिहार के अपने रिश्तेदारों के नाम सैकड़ों बीघे जमीन कर रखी है सीलिंग से बचने के लिये। यह जो रोज-रोज जमीन हासिल करने के लिये जो संशोधन विधेयक है यह तो मैं समझता हूं कि गड़रिया का किस्सा हो जायगा जो भेड़िया भेड़िया रोज–रोज चिल्लाता था, 3–4 दिन तो गांव वाले गये, भेड़िया नहीं आया था। एक दिन भेड़िया वाकई आ गया लेकिन कोई गांव वाला नहीं गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह तो रोज ही यों चिल्लाता है। नतीजा यह हुआ कि भेड़िया उसको खा गया। वही हाल इसमें, जमीन करीब 4 लाख एकड़ दो संशोधनों के बाद और बंटी केवल 2 लाख के करीब। तो इस गोरखधंधे को आप बन्द कीजिये कोरे लुभावने नारों से आपकी इमेज खराब होती है।

माननीय मंत्रीजी की कोई सुनता नहीं है। ये जांच में जब जाते हैं तो तहसील-दार के खिलाफ लिखा आते हैं। लिखते सही हैं, लेकिन इनकी न तो मुख्य मंत्री सुनते

न ही सेक्रेटरी सुनते हैं, न यह सरकार सुनती है। इन्होंने जिस नायब तहसीलदार के खिलाफ लिखा वह तहसीलदार हो गया और तहसीलदार के खिलाफ लिखा तो वह परगनाधिकारी हो गया। इन ढाई वर्षों में जब से माननीय सदन का गठन हुआ है, कम से कम 40–50 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट की और सब प्रोमोट हो गये। तो आप काहे के लिये मुआयना करते हैं और काहे के लिये कैबिनेट में मंत्री बने हैं? - खाली सलामी लेने के लिये कि कलेक्टर भी आ गया, एस0 पी0 भी आ गया और कमिश्नर भी आ गया। आपकी इच्छा है कि जमीन बंट जाय लेकिन आपकी मजबूरी को भी हम समझते हैं। गाजीपुर में सब–कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी।' मैं 5–6 मिनट देर से पहुंचा। मुख्य मंत्री जी ने मुझे केवल 5–6 मिनट दिया था। मैंने सीलिंग का सवाल जरुर उठाया था लेकिन इस प्वाइंट को मैं भूल गया कि माननीय मंत्री जी जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखते हैं वह प्रोमोट होता जा रहा है।

सिंचाई मंत्री जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपके यहां भी दुर्दशा है। बाराबंकी सिंचाई के मामले में दुर्दशा में पड़ा हुआ है। यहां तक कि हमारे स्टेट मिनिस्टरों तक के आदेशों की अवहेलना हो रही है। एक भल्ला साहब का मामला था उसमें इन मंत्री जी ने पुलिस और पी0 ए0 सी0 मांगी। आज तक इनको उस मामले में पुलिस नहीं मिली। ऐसे जाने कितने मामले हैं जिनमें इन्होंने पुलिस मांगी, पर इनको पुलिस नहीं मिली। इसी कारण लोग आतंक फैलाये हुये हैं। माननीय माल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरी बात को अगर यह डिनाई कर दें तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने जमीन की चोरी कर ली है और जमीन हथियाए हुये बैठे हैं।

मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस नाटक को और ड्रामा को बन्द कर दें। जनता पर इसका बिलकुल उलटा असर हो रहा है। जिसको कुछ मिलना चाहिये उसे कुछ नहीं मिल रहा है। आप कोई एक केन्द्र बिन्दु बनायें। चाहे आप 1960 वाले को ही केन्द्र बिन्दु बना लें और उसी के आधार पर कार्य करें।

मान्यवर, 1937 में अंग्रेजों के जमाने में जब प्रथम बार कांग्रेस सरकार बनी थी तो उसके पहले तमाम शिकमी काश्तकारों को दखल कर दिया गया था, पर उसके बाद जब 1937 में सरकार बनी तब उसने उन सभी बेदखल लोगों की जमीनों को कानून बनाकर बहाल कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास असीम अधिकार हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आजकल इस इमरजेन्सी के जमाने में तो आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। यह इमरजेन्सी हमेशा नहीं रहने वाली है और यह असीम अधिकार भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिये अगर आज आप नहीं कर पाये इस काम को तो फिर नहीं कर पायेंगे। इसका आप सदुपयोग कीजिये, इतिहास में आपका नाम अमर हो जायेगा। सरकार का नाम होगा। आखिर आपने जमींदारी विनाश का काम किया, कितना नाम हुआ। यह समय हाथ से चला जायेगा। मगर यह काम तभी आप कर सकेंगे जब इसके लिये पक्का इरादा आपका होगा, अनुशासन होगा, कड़ी मेहनत होगी, तभी होगा। आज आपकी कड़ी मेहनत बेकार जा रही है। आज अनुशासन और पक्का इरादा नहीं है। कैबिनेट एक नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक है लेकिन अगर एक है तो वह आपके लिये पुलिस क्यों नहीं सैंक्शन कर देती। मैं जानता हूं कि आप एक हैं लेकिन दूर दृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, और कड़ी मेहनत को पकड़ने की जरूरत है। उसका सदुपयोग कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी भविष्य में तरह का कोई संशोधन विधेयक नहीं लायेंगे क्योंकि एक वक्त आयेगा जब कि वह बेकार हो जायेगा, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिये कड़ाई के साथ किसी केन्द्र बिन्दु को पकड़ने की आवश्यकता है जिससे सीलिंग ऐक्ट को मजबूती के साथ लागू करके जमीन को निकाल कर गरीबों में बंटवा दें। मैं समझता हूं श्रीमन्, कि इस इमर्जेन्सी में यह बहुत बड़ा काम हो जायेगा।

[श्री ऊदल]

आपका जो यह संशोधन है वह बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि दो शब्द मैं इस संशोधन विधेयक के लिये भी कह दूं। श्रीमन्, इस वक्त जो आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं वह बहुत अच्छा है, सराहनीय है, इसलिये मैं इसका समर्थन और स्वागत करता हूं। वैसे इस संशोधन विधेयक में बहुत सी कमियां हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया कि सन् 1960 से कमियां चली आ रही हैं। उनको पकड़ करके उनको दूर करने के लिये जब तक सरकार का पक्का इरादा नहीं बनेगा तब तक कोई काम नहीं होने का। इसलिये मैं आशा और भरोसा करता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी के मंत्रित्व काल में यह काम अवश्य हो जायेगा। क्योंकि आज कुर्सी है, कल वह चली जायेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो काम आप कर जायेंगे उसके लिये आपका नाम इतिहास में लिखा जायेगा कि किसने कौन-कौन काम किया। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत और समर्थन दोनों करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

यह तो मार्च में जब बजट आयेगा, तब आप कहियेगा।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से एक आग्रह भी है। माननीय सदस्य ऊदल जी ने इस बात को कहा कि सन् 1960 में यह संशोधन आया था। उस वक्त 29 लाख एकड़ जमीन की जो बात थी वह सही है। माननीय हुकम सिंह जी ने जब यह कहा तो हाउस 5 मिनट तक तालियों की आवाजों से गड़-गड़ाता रहा कि अब भूखों को जमीन मिलेगी। हाउस को आशा थी कि बड़े लोगों के पास से जमीन निकलेगी हजारों लाखों एकड़ और वह जमीन गरीबों के हाथों में जायेगी। इस तरह प्रदेश के खेतों में उत्पादन बढ़ेगा। एक तरह से जब उन गरीबों की भूख की ज्वाला बढ़ी तो उत्तर प्रदेश की असेम्बली में इस तरह का संशोधन आया लेकिन उन गरीबों की भूख की ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं पाया।

मान्यवर, यह हम गरीबों के सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह सरकार इनके हक में जितने कानून बनाती जाती है, लेकिन जमीन चोरों ने इस तरह से जमीनों की चोरी की है कि कानून होने पर भी सारे गरीब अपनी आर्थिक हालत से दबे होने की वहज से रो रहे हैं। अगर सारी जमीन चोरों के पास चली जाती है तो इससे गरीबों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने हाउस के सामने जो प्रस्ताव रखे हैं उस का मैं समर्थन करता हूं। आज हालत यह है कि असिंचित जमीन है, लेखपाल दिखलाता है कि यह असिंचित जमीन है, सिंचित जमीन नहीं है। अब वह जमीन निकाल दी गयी। खाते के अंदर एक आदमी का नाम है लेकिन लेखपाल पर दबाव डालकर, नीचे के अधिकारियों पर दबाव डालकर खाते में नये-नये नाम डलवाये जाते हैं। यह भी किया जाता है कि ठाकुरद्वारे के नाम से जमीन लिखी जानी है और इसके अलावा तरह-तरह के पाखंड करके कानून को तोड़-मरोड़ कर सारी जमीन बीच में जमीन चोरों ने बचा रखी है। हमारे कानून में था कि इन गरीबों को जमीन बांटी जायगी, इनको राहत मिलेगी। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा अगर लोगों को जमीन मिलेगी। लेकिन इन जमीन चोरों ने जमीन हड़प ली। अगर अपोजीशन के लोग यह बात करते हैं तो हमें साहसपूर्वक उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिये। जब हम सही मानों में इस कानून को सख्ती के साथ इस प्रदेश में लागू करेंगे तभी जमीन चोरों से जमीन निकलेगी। हमें भूखे नंगें लोगों को जमीन देना है। वह जमीन चाहते हैं। वह जमीन में अन्न पैदा करना चाहते हैं। वह देश और प्रदेश का कल्याण

करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन जमीन चाहने वाले जमीन से वंचित हो रहे हैं।

राजस्व मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, वह सख्त हुक्मरान है, यह ठीक जरूर है। लेकिन मुझे कभी-कभी मालूम होता है कि राजस्व मंत्री जी अकेले पड़ जाते हैं, तन्हाई में पड़ जाते हैं। अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। आज गरीबों को, भूखों को गांवों में जाकर देखिये। हरिजनों का राज्य है और पीठ पर डंडा है। आज गांवों में विशेषकर कहा जाता है कि सरकार ने हरिजनों के लिये तमाम सहूलियतें मुहैय्या की हैं लेकिन हम कहां-कहां लड़ें। मुंसिफी लड़ें, जजी लड़ें, माल के मुकदमे हाई कोर्ट तक लड़ें, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें हम क्या लड़ें जब हमारे पेट में अन्न नहीं है। इसके लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सख्ती के साथ अगर आपने कदम नहीं उठाया तो जमीनचोर बार-बार संशोधन लाने से और तेजी से जमीन चोरी करते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने बे-बे फार्म हैं लेकिन एक भी फार्म ऐसा नहीं है जो गरीबों में बांटा गया हो, सीलिंग द्वारा जमीन छीनी गयी हो। इसलिये इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सख्ती के साथ कदम नहीं उठाये गये तो कुछ लाभ नहीं होगा। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना है तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपत्कालीन स्थिति में इन भूमि चोरों से जमीन को छीनकर अगर गरीब भूखे लोगों में नहीं बांटा गया तो ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। यह चोर आपको शिकस्त दे देंगे इसलिये मौका पहचानिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि गंभीरतापूर्वक इस पर सोचें और कदम उठायें और जमीन चोरों से जमीन लेकर गरीबों को दें।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गयीं बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस बहस के बाद व्यवहारिक अनुभव से मैं सरकार का ध्यान एक बड़ी अहम कठिनाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम आज हमारे राष्ट्र को, समाज को और जनतंत्र को आगे नहीं ले जा रहा है। इस वक्त भूमि आबंटन का क्या महत्व है, इन जोत सीमाओं को कार्यान्वित करने का क्या महत्व है और कृषि क्रांति को गांवों में ले जाकर पूरा करने का क्या महत्व है? लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी इन भूमि सुधारों की मंजिल पूरी नहीं हुई और जो नारा दिया गया था कि जमीन किसको मिलेगी जमीन जोतने वालों को तो वह भी नारा पूरा नहीं हुआ। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि भूमिहीनों और आवासहीनों को जमीन मिलेगी लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार हर जिले के अन्दर एक कमीशन बैठाकर जांच तो करे एक गांव या जिला ऐसा नहीं मिलेगा जहां इस कार्यक्रम को नौकरशाही मशीनरी ने पूरा किया हो और प्रतिक्रियावाद के सामने समर्पण न किया हो। यदि इस मुल्क में प्रतिक्रियावाद और सामन्तवाद को खत्म करना चाहते हैं तो इन भूमि सुधारों पर अमल करना पड़ेगा और जमीन से जो वंचित हैं उनको देना पड़ेगा।

एक तरफ मंत्री जी और प्रधान मंत्री कहती हैं कि इस मुल्क में परिवर्तन होंगे भूमि दे दी जायेगी लेकिन क्या अचरज है कि जितनी भूमि दी जानी चाहिये वह नहीं दी जा रही है। हम जनता के बीच रहते हैं और भूमि आबंटियों के लिये लड़ते हैं तो हमें मालूम है कि व्यवहारिक कठिनाई यह है कि भूमि की चोरी करने की प्रवृत्ति और उन चोरों को संरक्षण देने वाले इस मशीनरी के अन्दर लेखपाल, कानूनगो, एस0 डी0 ओ0, जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर तक इन भूमि-चोरों का संरक्षण करते हैं। लेकिन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम जिलों और तहसीलों में जाकर उन्होंने फाइलों को देखा। बुन्देलखंड में गये और वहां जनता की बधाईयां आयीं कि आपने तमाम चोरियां पकड़ी और अधिकारियों के खिलाफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार यादव]

कार्यवाही करने को कहा। लेकिन जिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने को लिखा वह तरक्की कर गया और रिटायर होकर चला गया।

व्यवहारिक कठिनाई जो हम महसूस करते हैं वह बोर्ड आफ रेवेन्यू की है। बोर्ड आफ रेवेन्यू का गठन अंग्रेजी जमाने में हुआ था। इस विभाग का संचालन बोर्ड आफ रेवेन्यू करता था। लेकिन आज भी मंत्री जी बोर्ड आफ रेवेन्यू को लिखते हैं कि अमुक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय किन्तु वह वर्षों तक कार्यवाही नहीं करते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि एक तहसीलदार को भ्रष्टाचार में पकड़ा गया और वह काफी दिनों तक सस्पेंड रहा लेकिन उसके बाद किसी प्रकार एप्रोच करके फिर उसी पद पर पहुंच गया। हमारे जिले में गांव कोनी, ब्लाक बिसड़ा, रगौली, ममसी खुर्द तहसील बबेरू में भूमि आबंटन में प्रधान और अधिकारियों ने ऐसा गजब किया कि कहने को नहीं। प्रधान ने अपनी औरतों को हरिजन में दिखाकर उनके नाम भूमि आबंटन किया और दूसरों लोगों से हजारों रुपये लेकर आबंटन किया। प्रधान को शायद मीसा में गिरफ्तार किया गया लेकिन और अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं मंत्री जी की ईमानदारी और कर्मठता के बारे में कोई संदेह नहीं करता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माल मंत्री महोदय बोर्ड आफ रेवेन्यू से शिकायत करते हैं और जो ऐक्शन लेना चाहते हैं उसके लिये बोर्ड आफ रेवेन्यू से कहते हैं लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू कोई कार्यवाही नहीं करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि क्या अड़चन है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू न भंग कर दिया जाय। इससे भारत सरकार को क्या फायदा है और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि जब तक बोर्ड आफ रेवेन्यू की गतिविधियां नहीं रोकी जायेगी तब तक प्रगतिवाद और तमाम भ्रष्ट गतिविधियों को संरक्षण मिलता रहेगा। इसलिये मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस काम को पूरा करना चाहते हैं तो इस बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त करना चाहिये और इस भूमि आबंटन के काम को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिये। मान्यवर, गांवों में क्या हो रहा है। आज किसी माल विभाग के अधिकारी की कार्य क्षमता इससे नहीं देखी जाती कि वह कितनी भूमि आवंटित करता है, कितनी भूमि दिलाता है उसकी तरक्की इस पर होती है कि उसने कितने नसबन्दी केसेज किये हैं। दो चार नसबंदी पैदा करता है तो सारे गुनाह माफ कर दिये जाते हैं। अगर यही प्रक्रिया रही तो बीस सूत्री कार्यक्रम अधूरा रह जायगा, पूरा नहीं हो सकता। आपकी सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, इस काम को पूरा करने से ही देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति हो सकती है, धन्यवाद।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, भूमि वितरण का प्रश्न, जैसा मेरे मित्र ने कहा, पूरा राष्ट्रीय प्रश्न है। राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन 1936 से लेकर मान्यवर, लगातार इस प्रश्न के ऊपर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव रहे, 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ, हिम्मत नहीं पड़ी इस प्रश्न को हल करने की। आन्दोलन चले। 1960 में मान्यवर पहली बार सीलिंग का विधेयक लाया गया और जैसा ऊदल जी ने कहा 1960 में इस बात का तखमीना लाया गया था कि उस कानून के अन्तर्गत 29 लाख एकड़ जमीन वितरण के लिये उपलब्ध होगी। यह 1960 के कानून के अन्तर्गत आया है। 1972 के कानून में नहीं। अब 1976 में क्या मालूम हो रहा है कि 29 लाख के बजाय चार लाख एकड़ जमीन जो है आपको उपलब्ध होनी चाहिये। यह 25 लाख एकड़ जमीन कहां चली गयी ? मान्यवर, जमीन तो कोई रबड़ तो है नहीं जिसे खिंचना हो तो खिंच जाय और सिकुड़ना हो तो सिकुड़ जाय। 1960 से लेकर अब तक मान्यवर, बहुत सी जमीन काश्त के अन्दर लाई गयी। तराई की हजारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकड़ भूमि काश्त के अन्दर लाई गयी। देहरादून में हजारों एकड़ जमीन काश्त के अन्दर लाई गयी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 25 लाख एकड़ जमीन 1960 के कानून क अन्दर थी वह कहां है ? मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मालूम न हो।

सरकार ने मंगलदेव विशारद कमेटी गठित की थी। मंगलदेव विशारद कमेटी की एक रिपोर्ट मान्यवर, इस सदन के अन्दर आयी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि वह 25 लाख एकड़ जमीन की चोरी कर ली गयी। कौन ऐसा है जिसने जमीन चोरी की है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने ऐसे फार्म हैं, कितने भूमि चोर आपने मीसा के अन्दर बंद किये। आज कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मीसा के अन्दर बंद किये जाते हैं, हरिजन कार्यकर्ता डी0आई0आर0 के अन्दर बंद किये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक नाम बता दें जिसने भूमि चोरी की है। इमर्जेंसी के अधिकार क्यों मिले हैं ? इन भूमि चोरों को चकनाचूर करने के लिये और जनता को राहत दिलाने के लिये, इसलिये इमर्जेंसी पैदा की गयी थी। मैं कहना चाहता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह से नहीं लड़ सकते अगर आपने इन भूमिहीनों की समस्या हल नहीं की, हरिजनों को समस्या हल नहीं की, भूमि वितरण समस्या हल नहीं की तो आप चौधरी चरण सिंह, बी0 के0 डी0 से नहीं लड़ सकते। आप चौधरी चरण सिंह से नहीं लड़ सकते हैं अगर इनके खिलाफ लड़ना है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि भूमिहीनों के हितों की रक्षा कीजिये, तभी आप उनके खिलाफ लड़ सकते है।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रधान मंत्री ने बनाया ताकि देश के अन्दर नयी फिजां कायम हो। लेकिन आप देहात के अन्दर मूल गये भूमि वितरण को, भूल गये 20-सूत्री कार्यक्रम को, केवल एक ही कार्यक्रम परिवार नियोजन का आपके पास रह गया है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का अब आपके पास कोई महत्व नहीं है। केवल नसबंदी कराओ और इस प्रकार के केसेज लाओं। जैसे किसी को अगर 3 से ज्यादा बच्चे हों तो उनसे आप यह कहें कि नसबंदी कराओ तो यह तो ठीक है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आप कहें कि 5 कसेज लाओ तभी पट्टा देंगे या 4 केसेज लाओ तभी पट्टा देंगे चाहे आप कहीं से लायें। बजाय इसके कि आप 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को आगे बढ़ायें आपके सामने केवल रह गया है परिवार नियोजन। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम खत्म, भूमि वितरण खत्म आदि तमाम चीजें हो रही हैं।

मान्यवर, एक बात और है देहरादून के अन्दर चाय के बगीचे थे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इन बगीचों को छूट मत दीजिये। आपने सीलिंग में छूट दी और उसके बाद उन्होंने इन बगीचों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ सरकारी कर्मचारियों से मिल करके इसको एक्वायर कराया और लम्बी-लम्बी रकमें हड़प ली गयी। इस प्रकार न आपको भूमि मिली और न चाय के बगीचे मिले। मेरा आज भी आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न के ऊपर विचार कीजिये कि चाय के बगीचे खत्म होते हैं तो वह सीलिंग के अन्दर आने चाहिये। दूसरी बात देहरादून के अन्दर थोड़ी बहुत जमीन सीलिंग के अन्दर निकली लेकिन आपके यहां से आदेश गये कि जो अतिरिक्त भूमि देहरादून जिले के अन्दर निकल रही है उसको भूमिहीनों में वितरित न किया जाय। कारण क्या बताया गया कि टेहरी में बांध बनने वाला है और वहां के विस्थापितों को वह जमीन दी जायगी जबकि उनका डल्ला में भूमि देने का पहले प्रोग्राम था। तो यह समझ में नहीं आता है कि जो सीलिंग की जमीन निकल रही है तो देहरादून के अन्दर जो भूमिहीन हैं वह क्या करेंगे ? उनको आप कहां से जमीन देंगे ? और आप बदनाम करते हैं विस्थापितों को। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि टेहरी बांध के विस्थापितों के लिये जंगलात के अन्दर जमीन जो सरकार ने उपलब्ध कर रखी है, वह उनको देनी चाहिये। देहरादून के अन्दर जो आपने आदेश दिये हैं कि वहां के हरिजनों को भूमि न मिले तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय है।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि मंत्री जी के हाथ तो मजबूत हैं लेकिन नौकरशाही के खिलाफ मजबूत नहीं हैं। जिसके खिलाफ आप रिपोर्ट करते हैं उसका प्रोमोशन हो जाता है, कितनी हास्यापद स्थिति है। एक कैबिनेट का मंत्री अपनी पार्टी की घोषित नीतियों को लागू करना चाहता है लेकिन यह नौकरशाही उसको लागू नहीं होने देना चाहती है। माननीय मंत्री जी, यह एक बुनियादी प्रश्न है प्रदेश के सामने। इस प्रदेश का शासन कौन चला रहा है? यहां का मुख्य मंत्री चला रहा है या यहां का सेक्रेटरी चला रहा है? आप मंत्री लोग हैं आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। कौन अवहेलना कर रहा है? आपकी नौकराही आपके मातहत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति आ गयी है प्रदेश के अन्दर कि कैबिनेट के मंत्री के हुक्मों की अवहेलना हो रही है तो क्या होगा? और क्या हो रहा होगा खासकर आज की स्थिति में जब आपने एमरजेन्सी की घोषणा कर रक्खी है?

आपने अपने अधिकारियों को इतने बड़े-बड़े अधिकार दे रक्खे हैं और जब आपका उन पर नियन्त्रण नहीं है तो आप अन्दाजा लगा लीजिये कि वे अधिकारी जनता पर कितना अत्याचार कर रहे होंगे। जो मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं क्या वे एम0 एल0 ए0 को पूछेंगे, क्या वे जिला कांग्रेस प्रधानों को पूछेंगे और क्या कार्यकर्ताओं को पूछेंगे? जिस अधिकारी के आगे आपकी औकात नहीं है उस अधिकारी के सामने अन्य कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत है, उसका आप अन्दाज लगाइये। अगर ऐसी स्थिति है तो माननीय मुख्य मंत्री को सोचना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? ठीक है कि आपने लोगों को जेलों के अन्दर बन्द कर रक्खा है, कोई बोल नहीं सकता, बोलते भी हैं तो छप नहीं सकता। लेकिन अगर प्रदेश के अन्दर ऐसी स्थिति रही तो उसका मुकाबिला करना मुश्किल हो जायेगा। आप कितने दिनों तक उनको बन्द रक्खेंगे, कितने दिनों तक उनकी जुबानों पर ताले लगायेंगे। अगर घोषित नीतियों पर अमल नहीं किया गया, अगर मंत्रियों की यही हालत रही, अगर आपके हुक्मरान मंत्रियों का हुक्म नहीं मानते हैं, तो कैसे जवाब देंगे? अगर इनके खिलाफ लड़ना है, इनको परास्त करना है, इनकी नीतियों को परास्त करना है तो आवश्यक है और दिनों से ज्यादा आवश्यक है कि जो आपकी नीतियां हैं, जो घोषित कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों पर आपको अमल करना पड़ेगा।

काशीनाथ मिश्र ने ठीक कहा है कि जिला स्तर पर भूमि वितरण के सम्बन्ध में उन तमाम लोगों का सहयोग लें जो इन नीतियों पर यकीन रखते हैं। आप अपने दल के लोगों और विधायकों का सहयोग लीजिये, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लीजिये, हरिजन कार्यकर्ताओं का सहयोग लीजिये। अगर आप इनका सहयोग नहीं लेंगे और अगर कलेक्टर और तहसीलदार का यकीन करेंगे, केवल पटवारी पर यकीन करेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चहता हूं कि अगर इस शक्ति का मुकाबिला करना है तो केवल भाषणबाजी से मुकाबिला नहीं हो सकता। इन्दिरा गान्धी का नाम लेने से या बीस सूत्री कार्यक्रम के मन्त्र का जाप कर लेने से वह नहीं हो सकता। अगर इनका मुकाबिला करना है तो इनके आधार पर चोट करनी होगी। जो आधार इनके देहातों में है.....

(एक सदस्य द्वारा व्यवधान)

अभी सांप मरा नहीं है। वह सोया हुआ है। कभी भी खड़ा हो सकता है। अगर आपने कमजोरी दिखाई, जब रास्ते में मुह मोड़ दिया, जब नीतियों पर जमकर अमल नहीं किया तो वह अपना काम कर सकता है। तो यह सांप मरा नहीं है। अगर इसको कुचलना है और इसके जहर को खत्म करना है तो नीतियों पर आपको अमल करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जमीन के बंटवारे के जिस अहम मसले को जिस ढंग से और जितनी सूझ-बूझ के साथ चलाया है, वह बहुत ही अच्छा है और अच्छे ढंग से हुआ है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इसमें दो राय नहीं हैं। इस बड़े मसले में जमीन चोरों से निपटने के लिये एक बड़ी सतर्कता और चौकसी की जरूरत है और वह चौकसी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अफसर साथ न दें, अधिकारी साथ न दें और जिसकी कलम से जो काम होना है, वह काम न करें। इसमें दो राय नहीं हैं। अवसरवादी और अवसरवादी का जब गठबंधन हो जाता है तो ऐसे मामले जो आर्थिक क्रान्ति से सम्बन्ध रखते हैं, वे पूरे नहीं हो पाते हैं। वैसे मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहना अनुचित है कि जमीन का बंटवारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों की कार्यवाहियों के कारण पूरा नहीं हो सकता है। ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह बात वाजिब नहीं है। जमीन बंटी है और कब्जे भी दिलाये गये हैं। पिछली गर्मियों में हमने और अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पद-यात्रायें की और उन्होंने देखा कि हरिजनों को जमीन मिली है। कहीं-कहीं इस किस्म की शिकायतें अवश्य मिलीं कि लेखपाल ने वह जमीन नहीं बतलाई जिसको उसे बतलाना चाहिये था या कुछ अंश उसकी जमीन का दूसरे के कब्जे में बना रहा और उसे पूरा अंश नहीं मिल सका या उसने अपने संरक्षण के लिये अधिकारियों से शिकायत की लेकिन उसे संरक्षण नहीं मिल सका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जमीन का पट्टा हरिजनों को नहीं मिल सका या उस पर उसे कब्जा नहीं दिलाया गया। इसलिये यह बात वाजिब नहीं मालूम होती कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। दो प्रकार के अधिकारियों का सहयोग इसमें आवश्यक था, एक माल विभाग, दूसरे पुलिस विभाग के अधिकारियों का। जैसा ऊदल जी ने कहा, ऐसा लगता है कि जमीन के बटवारे में पुलिस अधिकारी अपना योगदान देना कर्त्तव्य नहीं मानते और इसके लिये हर जिले में ताकीद दी जानी चाहिये कि जहां कहीं हरिजनों को जमीन नहीं मिल सकी है, कब्जा नहीं मिल पाया हो, निश्चित रूप से उनकी मदद पुलिस अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये।

जहां तक बुन्देलखंड की जमीन का सम्बन्ध है, बुन्देलखंड की जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है। धरती प्यासी है, सूखी है। दो तीन एकड़ जमीन से किसी पट्टेदार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। एक दो एकड़ के साथ यह कदम भी उठाया जाय कि उसको आर्थिक सहायता इस प्रकार की मिले कि उसका कुछ और रोजगार भी हो ताकि वह जमीन पर खेती के अलावा अपने पैरों पर भी खड़ा हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमीन के बटवारे से उसे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। यह सही है कहीं-कहीं टीले बांटे गये और कहीं-कहीं दो एकड़ बांटी गयी 10 टुकड़ों में और 10 जगह वह टुकड़े फैले हुए हैं। अब जिस पट्टेदार को 10 जगह फैली हुई जमीन मिली तो वह कैसे खेती करेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा? जिस अधिकारी के सुपरविजन में यह काम हो रहा है उसे आदेश ही नहीं, सजा मिलनी चाहिये कि उसे किसी हरिजन को ऐसी जमीन क्यों दी जो जोतने काबिल नहीं थी? ताकि वह उस पर खेती कर सकता और अपनी स्थिति को संभाल सकता। आज गांव-गांव ऐसी भी शिकायतें हैं कि जो हरिजन पट्टे पाये हैं, जमीन पाये हैं उस जमीन को वह जोतने की स्थिति में नहीं हैं।

वह लोग जो बड़े-बड़े किसान है वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन को अपने हाथ में ले लें और उसको, जिसको यह दी गई है कुछ सहारा दे दें और जमीन ज्यों की त्यों बनी रहे। इस प्रकार की शिकायतें गावों में हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उनको संरक्षण दे और पुलिस विभाग उसमें योगदान करे। यह जो बड़े-बड़े खातेदार इस प्रकार का लाभ उठा रहे हैं। उनको इसका मोका न मिले और गरीब लोग उसका फायदा उठायें, इसका प्रबंध होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह काम जो तेजी से चल रहा है वह

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

तेजी से चलता रहे। जो बीच में फेमिली प्लानिंग या दूसरे काम आ जाते हैं वह बाधक न बन। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) –

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है उसकी भावना से सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि अपने प्रदेश और दश में कृषि की व्यवस्था जबतक ठीक नहीं होगी तब तक पूरे देश की और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश के लाखों व्यक्तियों का गुजारा कृषि से होता ह, उसके श्रम का पूरी तरह से उपयोग हो। वह करोड़ों एकड़ जमीन जिसमें पैदा करने की क्षमता ह उसका उपयोग किया जाय तभी हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसके लिये कायदे कानून बनाये जायं। यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश में सीलिंग कानून बना और वह इसलिये बना कि भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाय। उन लोगों की बात जाने दीजिये जो कहते हैं कि भूमि-व्यवस्था में क्रांति पहले ही हो गई थी। हमारे चौधरी साहब जो हमारे नेता विरोधी दल है उनका विचार है कि 1957 में ही यह क्रान्ति आ गई थी क्योंकि उनके वक्त में जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट पास हो गया। वह भी एक क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद बृहद् जोत कर ऐक्ट पास हुआ और भूमि व्यवस्था बिल पास हुआ। लेकिन अभी भी भूमि व्यवस्था में क्रांति नहीं आई। अगर पूरी क्रांति आई होती तो इमर्जेंसी के बाद इस 20-सूत्री कार्यक्रम में भूमि के बटवारे को इतना महत्व नहीं दिया जाता। यह काम अभी अधूरा है। हमारी 70 प्रतिशत लैण्ड होल्डिग ऐसी है जिनके पास साढ़े तीन एकड़ से कम जमीन है और उनके पास केवल 30 प्रतिशत भूमि है और 30 प्रतिशत होल्डिग् ऐसी है जिसके पास साढ़े तीन परसेंट से ऊपर है और उनके पास 70 प्रतिशत भूमि है। भूमि बटवारे में काफी असमानता है।

हमारे प्रदेश में सीलिंग ऐक्ट बना उसमें पहले 40 एकड़ की सीमा थी उसमें फिर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उसे 18 एकड़ रखा गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्रदेश में सीलिंग का कानून करीब–करीब फेल हो गया। अपने प्रदेश में करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन कृषि के अन्दर है। उसमें क्रांतिकारी कानून बनने से और 18 एकड़ की सीलिंग लागू होने के बाद 3.79 लाख एकड़ जमीन निकली और उसमें से बटी केवल 2.13 लाख एकड़। इसलिये यह कहना चाहिये कि यह फेल हो गया। या फिर यह कहना चाहिये कि इस पर ठीक तरह से अमल नहीं हुआ। बेनामी ट्रांसफर को रद्द करने का अधिकार कानून में सरकार को दिया गया है, किन्तु आजतक उनको रद्द करने की ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। आज बहुत सी मिसाल मिलेगी, जिनमें शुरुआती नोटिस तक आजतक भी नहीं दिया गया है। इस सदन में प्रश्न उठा, सहारनपुर के मामले में सदन के सदस्य गर्ग साहब ने 2–3 जमीन वालों के मामले को लेकर कहा कि उन लोगों को सीलिंग की नोटिस नहीं दी जाती तो हम भूख हड़ताल करेंगे। उस पर माल मंत्री ने जवाब दिया कि 8 ऐसे अखाड़े हैं सहारनपुर में जिनके मुख्यालय इलाहाबाद में हैं, उनकी जमीनों को फाजिल घोषित किया जा सकता है, उनको नोटिस दी जाएगी। तो क्या इस तरीके से जमीन वालों से जमीन निकालने के लिये हर मामले में भूख हड़ताल की नोटिस देनी पड़ेगी, तब कुछ होगा? आज ऐसे एक नहीं हजारों मामले हैं। बेनामी ट्रांसफर को रद्द करने की ओर कोई प्रयास नहीं हुआ। इसलिये जो हम कल्पना करते थे कि इस हदबन्दी कानून के फलस्वरूप भूमिहीनों को जमीन मिल जाएगी, वह पूरी नहीं हुई। इसमें बहुत सी खामियां हैं। इसको भारत सरकार और स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी महसूस किया है। इसे प्रदेश सरकार ने भी रियलाईज किया है। इसके बटवारे में जबतक जनसहयोग नहीं होगा, तबतक यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये 20 सूत्री कार्यक्रम में उसके साथ यह कहा गया कि इसके बंटवारे के लिये जनता की कमेटियां बनाई

जाएंगी, ताकि इसके काम को सुपरवाइज किया जा सके। कुछ ऐसी जनता की कमेटियां बनी हैं, लेकिन जब ये बनती है तो यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये ऐक्टिव हों, इसमें सक्रिय सदस्य हों, जिनके निर्णय लेने के मार्ग में राजनैतिक रोड़े न अटक सकें।

कम्युनिस्ट पार्टी इस 20 सूत्री कार्यक्रम का जोरदार समर्थन करती है। हमारी पार्टी आपकी पार्टी से छोटी है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जितना कार्य हमारी पार्टी ने किया है, वह कांग्रेस पार्टी से किसी भी हालत में कम नहीं किया है। पद यात्रायें भी इतनी छोटी पार्टी होते हुए भी हमने आपसे कहीं ज्यादा की हैं, इसके समर्थन और प्रचार में। फिर भी पता नहीं क्यों इस पार्टी के लोगों को उसकी कार्यान्वयन समिति में नहीं रखा गया। उसके कार्यान्वयन में जनता का सहयोग लेने का प्रयास नहीं किया गया। इसके शुरू में ही मैंने कहा था कि जनता की साधिकार कमेटी बनाई जाए ताकि यह नौकरशाही पर चेक लगा सके, वरना यह नौकरशाही आपको खुश करने के लिये ऐसे-ऐसे नक्शे और स्टेटमेंट देगी कि आप उस पर विश्वास करके फूले नहीं समाएंगे, जबकि वास्तविकता कुछ नहीं होगी। यह नौकरशाही बड़ी जादूगर है।

सन् 70 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देशव्यापी पैमाने पर भूमि आबंटन के लिये आन्दोलन चलाया और कहा कि परती और बंजर जमीन अगर नहीं बांटी जाती तो वह उसको बांटेगी तो उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने आर्डर दे दिया कि गांव समाज की बंजर और परती पड़ी जमीन को बांट दिया जाए और अखबारों में उसकी घोषणा कर दी जाए, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी का आन्दोलन फेल हो जाए। उस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता का बयान आया कि हमारे प्रदेश में 34 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि ग्राम समाजों को दी गई जो कि कृषि योग्य जमीन थी, उसमें से 20 लाख एकड़ को बांट दिया गया है और 14 लाख एकड़ जमीन बांटने को बाकी है और उसके लिये सरकार ने आदेश दिया है कि उसे फौरन बांट दिया जाए। इससे जिले-जिले में जमीन बंटने लगी और नित्य जिलाधिकारियों के बयान आने लगे कि इतनी-इतनी जमीन इस-इस तरह से बांट दी गई है। इस संबंध में 4 मास बाद फिर एक बयान आया कि 14 लाख एकड़ जमीन भी सारी की सारी बांट दी गई है, और अब कोई बंटने को बाकी नहीं है।

मान्यवर, यह 20-सूत्री कार्यक्रम आ गया। फिर जमीन बांटने की बात आ गयी। फिर नौकरशाही ने 18 लाख एकड़ जमीन बांट दी। एक कांग्रेसी साथी कहते हैं कि अब तो गयी। मैं मान लेता हूं लेकिन आज से दस साल के बाद फिर अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि जमीन नहीं बंटी तो फिर यही नौकरशाही 10-15 लाख एकड़ जमीन बांट देगी। (व्यवधान) मैं नहीं कहता कि जमीन बिलकुल नहीं बंटी हैं। जमीनें बटी हैं। कब्जा भी मिला है। बीस सूत्री कार्यक्रम में जमीन के बटवारे का इतना काम किया गया कि जितना शायद कभी नहीं हुआ। लेकिन 18 लाख एकड़ जमीन का बटवारा कागजी है। मैं उन मंत्रियों को दोष नहीं देता जो जिलों-जिलों में इंचार्ज हैं, उनके पास समय नहीं है। वह भी समझते हैं कि यह सौतेला काम है। हमारे विभाग का काम नहीं है। घंटे भर में मीटिंग कर लिया, कुछ अधिकारियों से पूछ लिया और संतुष्ट होकर चले आये। जितना कार्य हमारे माल मंत्री और राजस्व मंत्री करते हैं, अगर उसका एक परसेंट भी प्रयास अन्य मंत्रियों ने किया होता कि कहां गलतियां और पेचीदगियां हैं तो काम और अधिक होता लेकिन किसी मंत्री ने नहीं किया। चूंकि कमेटियां इफेक्टिव नहीं हैं, जनता का सहयोग नहीं लिया गया, इसलिये परिणाम नगण्य है और इतना क्रान्तिकारी कानून होते हुए भी रोना रो रहे हैं कि जमीनें नहीं निकल रही हैं।

विशारद कमेटी ने छानबीन करके, जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ, एक रिपोर्ट दी जिसकी सराहना पूरे सदन ने की। उन्होंने बड़े फार्मों की कुछ मिसालें दीं लेकिन सख्ती से हदबन्दी एक पर भी लागू नहीं की गयी। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा; हमारा

[श्री भीखा लाल]

मंत्री जी से पूर्णरूप से सहयोग है। जितनी मेहनत सक्रिय ढंग से वह कर रहे हैं, पूरी सरकार को करना चाहिये। इसमें जनता का सहयोग लेना चाहिये। सीलिंग को लागू करने के लिये कमेटियां बनायी जाय। जिनका सीलिंग में विश्वास है, भूमि वितरण में जिनका विश्वास है, उनको रखा जाय। कैप्टलिस्ट फार्मिग के जो पक्षदार हैं उनको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक तौर से 20-सूत्री कार्यक्रम और सीलिंग को लागू नहीं करेंगे, तो वह जड़ें जहां पर प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ रही हैं, मजबूत होंगी। उनकी जड़ों को खोद नहीं पाएंगे। उनकी जड़ों पर हमला करने की जरूरत है। 70 फीसदी छोटे काश्तकार हैं और 30 फीसदी बड़े काश्तकार हैं। वही डंडे के बल पर 70 फीसदी में से ले जाते हैं जहां पर 56 हजार की विजय होती है। उनके आधार पर आप को चोट करनी होगी, यह तब होगा जब कि 20-सूत्री कार्यक्रम और सीलिंग को इफेक्टिव तरीके लागू करें और जनता से सहयोग लें, जनता की सक्रिय कमेटियां बनाएं। खाली अधिकारियों पर विश्वास न करें वरना यह डुबा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं अपने माननीय सदस्यों को, जो उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, कि उन्होंने जो सुझाव दिये कि किस तरह से हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो, उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। जहां तक इसमें अवरोध का प्रश्न है वह सबसे ज्यादा अवरोध सन् 60 की सीलिंग है। उस सन् 60 की सीलिंग का अवरोध बड़ा खतरनाक रहा। लोगों को मालूम हो गया कि सीलिंग आने वाली है। हमारे पास ऐसे-ऐसे उदाहरण आये कि 15–15 और 12–12 हजार एकड़ जमीन रखने वाले राजा लोग उसका मुआवजा पा गये लेकिन अमल दरामद न होने के कारण वह भूमि उन्हीं के नाम चढ़ी रही। जैसा हमारे ऊदल भाई ने कहा कि अगर मैं कार्य नहीं कर सकता हूं तो उधर आ जाऊं। तो सन् 60 की सीलिंग का अगर अच्छी तरह से सुधार हो जाता तो जो आंकड़े आप दे रहे हैं वह सीलिंग से सरप्लस हो सकते थे। लेकिन जब संविद सरकार बनी उस समय भी कोई ऐक्शन नहीं हुआ। अब इतने लम्बे अर्से के बाद तमाम कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं। न्यायालय में मामले चले गये और उनको स्टे मिल गये और तमाम तरह की कार्यवाही हो गयी। सन् 60 की सीलिंग से बड़ा अवरोध हुआ, उनमें अमेडमेंट हुए। अमेन्डमेन्ट बार–बार आने से उनको हौवा का रूप दिया जाये उससे मैं सहमत नहीं हूं। जो कानून नहीं तबदील होता है वह दकियानूसी कहलाता है। जब दिक्कतें आती हैं तो उन्हें संशोधित कर दिया जाता है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा कानून बने कि फिर कभी बदलने की जरूरत ही न पड़े। जैसे–जैसे समय परिवर्तित होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है और धार्मिक परिवर्तन होता है तो हमें कानून में भी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। इसीलिये संशोधन लाये जाते हैं। संशोधन का जहां तक मेरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है लेकिन जो आलोचना बजट भाषण में होनी चाहिए, वह हुई। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसको दूर करने का प्रयास किया गया है और वह बहुत कुछ दूर हुआ है।

अभी माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि हमारा सहयोग नहीं लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कमेटियां बनायीं गयी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन कमेटियों में यह कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को नहीं रखा गया, मैं तो कहता हूं कि सी0 पी0 एम0 के लोग भी उसमें लिए गये। उस कमेटी को जो कार्य करना चाहिए था वह नहीं हुआ। वह कमेटी एक जिले की तो छानबीन कर ही सकती थी लेकिन उसमें भी राजनीति आ गयी और यहां तक कि उस कमेटी के जो सदस्य थे उसमें भी कुछ के पास सीलिंग की जमीन थी इसीलिए उन्होंने उसको प्रेशराइज कर दिया। मैं सरकारी कर्मचारियों की वकालत नहीं करता हूं। अगर कोई जांच होती है तो उसको डिफेन्ड करते हैं। यह सब होता है इसीलिए मैं कह रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं। शायद मेरी इन्क्वायरीज के ऐक्शन में तेजी आ जाय और कुछ ज्यादा हो सकता है। मैंने तो इसमें मेहनत की है और मैं कह सकता हूं कि किसी भी मंत्री ने गले तक के पानी से भरे नाले को पार करके पट्टो की जांच नहीं की है। वहां से नाव हटा दी गई। अतः मुझे शुबह हुआ कि पट्टे गलत हुए हैं सीलिंग में। मैं उस पार गया और मौके पर जाकर पाया कि पट्टे गलत थे लेकिन आशा करता हूं कि कभी तो ऐक्शन उन पर होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिये हम और आप भी कारण हैं। कई मसले हमारे सामने ऐसे आये हैं जिसमें वे कहते हैं कि हम इनमें कैसे एक्शन लें। मैं तो यह कहा करता हूं कि उस जिले से बिस्तर उठा लो और अगर कोई माननीय सदस्य ट्रान्सफर कराता है तो उस जिले से मोह क्यों करते हो। दूसरे जिले में चले जाओ लेकिन मेरे विभाग में उन्हें प्रेशराइज नहीं होना चाहिये। तो यह कहना कि 20-सूत्री कार्यक्रम में पट्टो के मामलों में हम फेल हो गये, यह गलत है। हो सकता है कि 90 प्रतिशत कार्य में 5 प्रतिशत गलत हुआ हो।

20-सूत्री कार्यक्रम में जो रिपोर्ट, जो कार्यविधि भेजी उसे 3 चरण में किया है। प्रथम चरण में लेखपाल मौके पर जाकर देखता है कि कृषि योग्य भूमि है या नहीं। जिस जिले में गल्ती हो गई वहां के पट्टे इल्लीगल मिल रहे हैं लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पड़ताल सही हुई है, ऐसे कई जिले हैं, जैसा कि बांदा वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई जिला नहीं जहां पर गल्ती नहीं है। मैं कहता हूं कि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां के जिलाधिकारियों ने कहा है कि कोई पट्टा गलत नहीं हुआ है। मैंने 2 दिन के मुआयने में पाया कि वास्तव में कोई पट्टा गलत नहीं हुआ है। यह जिला बरेली का है। तो ऐसे जिलों के लिये कहना कि हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम फेल हुआ है, गलत है। जैसी कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विभाग इतना बड़ा है जिसमें हजारों लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और तहसीलदार हैं तो इतने बड़े विभाग में यह कहना कि सभी इमानदार होंगे, संभव नहीं है। कोई रिश्वत और कोई तरफदारी करके काम कर देते होंगे। तो जब तक इस दुनियां में भूमि का चक्र चलता रहेगा तब तक कुछ न कुछ खामियां तो रहेंगी ही लेकिन मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि अगर सरकार को आप लोगों का और जनता का सहयोग प्राप्त होगा तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो कमियां रह गई हैं, वे भी पूरी हो जायंगी।

अलग-अलग उदाहरण से आप इस बात को समराइज न करें कि पूरे सूबे में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। एक गांव में अगर एक पट्टा गलत हो गया तो यह नहीं है कि पूरे जिले में भूमि का आवंटन ही गलत हुआ है। उस हिसाब से मैं माननीय सदस्यों को कम से कम यह कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, आबंटन की कमियों को दूर करने में कोई कसर नहीं रखी जायगी। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी सुझाव दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे दिल में भ्रष्टाचार या उस अधिकारी के खिलाफ जरा भी हमदर्दी की जगह नहीं है लेकिन मुझे आप सबका सहयोग चाहिये। मुझे खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। वर्ष 1960 में जो ऐक्ट बना था उसके अनुसार जो भूमि निकली वह भी अन्दाज ही था। अगर उसमें 3 लाख के बजाय 2 लाख एकड़ ही निकली तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि एक लाख ऐसी हो जिसमें नदी नाले हों या अकृषित हो क्योंकि जितने सीलिंग के खातेदार हैं वह वही डिस्क्रिशन देते हैं जोकि अकृषित होती है। इसलिये उसका हिसाब

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

लगाना कि इतनी सरप्लस रह गयी, वह पूरी आबंटित हो जानी चाहिये, यह गलत उसूल होगा, क्योंकि नदी, नाले और जंगल वाली जमीन छोड़नी पड़ती है। तो इस हिसाब से वह तो प्रोसेस में है, कंटीन्युइंग प्रोसेस में है, टोटल करके देखेंगे। जब कहीं कोई चक्कर नहीं रहेगा तब हम कह सकते हैं कि कितनी सरप्लस हुई और कितनी नहीं।

जमीन चोर या जमीन छिपाने वाले चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर हम 20-सूत्री कार्यक्रम की तारीफ करते हैं तो हम जो ग्रैब किये हुए हैं उसको छोड़ दें। आज तक सूबे में कोई नहीं हुआ जिसने मुकदमा न लड़ा हो या खुद पट्टा कैंसिल करवाया हो। तो उनको भी किस तरह से कैसे निकाला जाय ? क्योंकि अगर कोई असरदार आदमी रहा तो उलटी आफत पड़ती है, शिकायतें और कम्प्लेंट पड़ती हैं। तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे सहयोग देते रहेंगे तो यह सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम को शायद कुछ दिनों में इस हालत में ले आयेगी कि किसी भी गांव में एक दो परसेंट भी गलत पट्टे न हों। हमारे आबंटन को कब्जा देने में हमारी पुलिस काफी सहयोग दे रही है। हो सकता है कि कहीं कोई थानेदार हो, जैस कि प्राकृतिक नियम है कि अगर उसका कोई रिश्तेदार हो तो उसका न करता हो, लेकिन पुलिस की तरफ से काफी सहयोग मिल रहा है और कहीं कब्जे की शिकायत आती है तो हरजनों को कब्जा दिलाते हैं, लेकिन जब पुलिस लौट जाती है तो वह फिर उनको परेशान करते हैं, यह तो सामाजिक दोष है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इंडिविजुवल केसेज में तो एक प्रोसीजर है, लेकिन अगर उसको परसू करते रहेंगे तो उसको छोड़ने वाली यह सरकार नहीं है, उस पर ऐक्शन होगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सुझाव दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 तथा 3

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में, उपधारा (4) में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1; 1961 की धारा 6 का संशोधन।

"(1) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांकों के प्रति निर्देशों के स्थान पर इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक के प्रति निर्देश समझा जायगा; और"

3—मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (4)" रख दिये जायेंगे। धारा 13-क का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और खंड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4

धारा 14 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"14-(1) कलेक्टर--

(क) उस दशा में जहां धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, वहां उसके अन्तिम होने के दिनांक ; या

(ख) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील न की गयी हो, वहां उसके लिये व्यवस्थित परिसीमाकाल की समाप्ति के दिनांक ; या

(ग) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है, वहां उस पर निर्णय के दिनांक ;

के पश्चात् किसी समय धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अधीन अवधारित अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो, जिस पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, किसी व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में ऐसी भूमि, फसल या फल हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधीन या अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या जिसके घोषित किये जाने की सम्भावना हो।

(3) जहां कलेक्टर ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि या असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया हो, वहां उसके द्वारा कब्जा लेने के दिनांक से ऐसी भूमि, फसल या वृक्षों के फल समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(4) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित दिनांक के पश्चात्, यथाशीघ्र, इस अधिनियम के अधीन, या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अधीन अवधारित सभी अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।"

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) में शब्द "उसके द्वारा कब्जा लेने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) अथवा जैसी भी दशा हो खंड (ग) में अभिदिष्ट दिनांक से" रख दिये जायं।

[श्री धर्म सिंह]

यह बहुत महत्व का है और इसको खास तौर से लाया गया है। धारा 14 की उपधारा में यह व्यवस्था की गयी थी कि जो अपहृत भूमि घोषित की जायगी और जो सरकार में निहित होगी तो इस दौरान में समय लग जाता था और दूसरे लोग जो जमींदार हैं या बड़े-बड़े भूमि वाले हैं ये अटैचमेंट इत्यादि के लिये कोर्ट में चले जाते थे और अपहृत भूमि नहीं मिल पाती थी, बहुत परेशानी होती थी। इसलिये इस खंड को रखा गया है। इसके महत्व को देखते हुये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) में शब्द "उसके द्वारा कब्जा लेने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) अथवा जैसी भी दशा हो, खंड (ग) में अभिदिष्ट दिनांक से" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5, 6, 7, 8, 9 और 10

धारा 15 का संशोधन।

5—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में:—

(क) शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (8)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 14 की उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "अधिसूचना के दिनांक" के स्थान पर शब्द "अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे, और शब्द "उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा" रख दिये जायेंगे।

धारा 17-ख का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 17-ख में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "की उपधारा (2)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "की उपधारा (8)" निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

10—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही इस प्रकार समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम।

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "वर्तमान खंड 1 को पुनः संख्यांकित करके उसको उप खंड (1) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप खंड (1) के पश्चात् निम्नांकित उपखंड बढ़ा दिया जाय:—

"(2) यह दिनांक 6 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।"

जैसाकि मैंने निवेदन किया जो अन्तर चला आता है कब्जे में या जो भूमि उपलब्ध होती है उससे जो अन्तर है वह दूर होगा। यह बहुत महत्व का है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसको स्वीकार करे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 1 को पुनः संख्यांकित कर के उसको उपखंड (1) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखंड (1) के पश्चात् निम्नांकित उपखंड बढ़ा दिया जाय :—

"(2) यह दिनांक 6 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरबहादुर सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) बिधेयक, 1976 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत सर्वश्री राम सजीवन, चन्दन सिंह, चन्द्रभान आजाद, जगन्नाथ सिंह परमार, देवकुमार यादव, जफर आजमी तथा रघुनाथ का प्रदेश में सूखा एवं बाढ़ के सिलसिले में है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में बाढ़ व सूखे के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी स्वत: वक्तव्य दें। सभी सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

परिवार नियोजन पर चर्चा के बारे में तो तय हो चुका है, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। नियम 51 में दो दिये थे, एक बाढ़ के बारे में था और एक सूखे के बारे में दिया था। मैं चाहता हूं आप दोनों को उसके साथ ही ले लें। वक्तव्य दोनों पर ही हो जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों पर ही वक्तव्य देने की बात है।

श्री ऊदल—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

वह हो जायेगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 27 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 नवम्बर, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर।)

जिन्–जिन स्थानीय फर्म्स ने सोफा सेट, मेजें और दीवान सप्लाई करने के कोटेशन दिये थे वे निम्न प्रकार हैं:—

		सर्वश्री एस0 इन्जी0 वर्क्स	सर्वश्री वक्फ वाजिद हुसेन	सर्वश्री ओरियन्टल फर्नीशर्स	सर्वश्री इम्पीरियल फर्नीचर हाउस
1		2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0	रु0
सोफा–सेट	..	725	775	875	..
अधिकारी मेजें	..	955	1040	1050	1245
कार्यालय मेजें	..	315	395	385	395
दीवान	..	250	395	..	..

दीवान के लिये सर्वश्री एस0 इन्जीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ का न्यूनतम कोटेशन शासन द्वारा स्वीकार कर उक्त फर्म को ही आर्डर दिया गया। सोफा सेट्स तथा मेजों के लिये सर्वश्री ओरियन्टल फर्नीशर्स, लखनऊ के कोटेशन्स शासन द्वारा स्वीकार कर उनका आर्डर उक्त फर्म को दिया गया। सर्वश्री ओरियन्टल फर्नीशर्स के कोटेशन्स न्यूनतम कोटेशन की तुलना में सोफे के रुपये 150, अधिकारी मेजों के रुपये 95 तथा कार्यालय मेजों के रुपये 70 अधिक थे। इस प्रकार यह केवल आंशिक रूप से सही है कि कम रेट देने वाली फर्म को आर्डर न देकर दूसरे फर्म को आर्डर दिया गया। आर्डर देने का कारण यह था कि संसद कक्ष की फरनीशिंग जो सर्वश्री ओरियन्टल फरनीशर्स से न्यूनतम कोटेशन के आधार पर कराई गई थी, उच्चकोटि की रही, उसमें इनकी परफारमेन्स अच्छी थी तथा उससे इनके फर्नीशिंग कार्य के विशेषज्ञ होने का आभास होता था। सोफा सेटों की डिलीवरी सचिवालय में की गई और उस पर कोई कार्टेज शासन से नहीं लिया गया। उक्त फर्म ने बिल पर 1 1/2 प्रतिशत की छूट भी दी है। अतः शासन ने यह उचित समझा कि सोफा-सेट्स तथा मेजों का आर्डर उक्त फर्म को दिया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर।)

जी नहीं। वर्ष 1976 में सर्वश्री ओरियन्टल फर्नीशर्स, लखनऊ से जो सोफा-सेट्स तथा मेजें क्रय की गईं, उनके मूल्य का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान शासन द्वारा किया गया, क्योंकि उक्त फर्म की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें जो भी आर्डर दिया जाए, उसके साथ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा बिल के आधार पर 50 प्रतिशत अग्रिम का भुगतान किया जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर।)

सेवा में जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर,

महोदय,

आपका आदेश दिनांक 10-11-75 ई0 जो प्रार्थी को 25-11-75 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा प्रार्थी को आदेश दिया गया था कि 15 दिन के अन्दर कारण बतावे कि पिस्टल संख्या सी0 एम0 पी0 बी0 3666 जिसका लाइसेंस संख्या 78 कछवा है एवं जिसका धारक प्रार्थी है, के लाइसेंस को क्यों न निरस्त किय जावे। इस संदर्भ में प्रार्थी निम्न निवेदन करता है :—

1—यह कि प्रार्थी एक संभ्रान्त परिवार का है तथा कृषि कार्य करता है जिस वास्तविकता के आधार पर एवं खोज बीन करके, प्रार्थी को उक्त पिस्टल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। जिससे प्रार्थी अपनी सुरक्षा करते हुये अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त पिस्टल का लाइसेंस निरस्त किया जाना प्रार्थी को असुरक्षित कर देगा।

2—यह कि प्रार्थी के चाचा श्री पारस नाथ सिंह उर्फ मुन्डी सिंह का कत्ल दिनांक 13/14 जून, 1975 को कुछ अराजक तत्वों द्वारा कर दिया गया। वास्तविकता एवं स्थिति का अध्यन करते हुये प्रार्थी के दूसरे चाचा को भी बन्दूक का लाइसेन्स जिला के वरिष्ट अधिकारी की संस्तुति पर श्रीमान् जी द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिससे सुरक्षात्मक चयन दृढ़ सा हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त पिस्टल का लाइसेंस निरस्त किया जाना प्रार्थी के जीवन को खतरे में डालना है।

3—यह कि प्रार्थी के उक्त चाचा के कत्ल में श्री सत्यनारायण सिंह अभियुक्त रहा और उसकी जमानत हुई। तदुपरान्त उसका कत्ल किसी व्यक्ति ने कर दिया। प्रार्थी के चाचा के कत्ल में सत्यनारायण सिंह अभियुक्त हैं और इस वर्तमान समय में कछवा थानाध्यक्ष श्री बृजभूषन सिंह सत्यनारायन सिंह के रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदार सत्यनारायण सिंह का बदला लेने के दृष्टि से प्रार्थी को सत्यनारायण सिंह के कत्ल में झूठा व गलत तरीके से फंसा दिया। उक्त तथ्य पर सत्यनारायण सिंह के कत्ल के संबंध में प्रथम सूचना के लेखक ने अपने एक प्रार्थन पत्र व शपथ पत्र द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करके प्रकाश डाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को मु0 संख्या 161 अन्तर्गत धारा 302 अभियुक्त माना जाना पक्षपात पूर्ण एवं निराधार है।

4—यह कि प्रार्थी के मु0 नं0 150-ए के अन्तर्गत धारा 325/342, 323 भा0 द0 वि0 गलत व झूठा थानाध्यक्ष ने सत्यनारायण सिंह के रिश्तेदार होने के नाते चलाया है।

5—यह कि प्रार्थी के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही हेतु श्री सत्यनारायण सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर कायम करवाया। श्री सत्यारायण सिंह के प्रार्थना-पत्र पर 107/116 की कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् एस0 डी0 एम0 सदर के पास विचाराधीन है। परन्तु सत्य यह है कि सत्यनारायण सिंह व इनके गिरोह के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही की संस्तुति थानाध्यक्ष (श्री बृजभूषण सिंह थानाध्यक्ष के पूर्व वाले थानाध्यक्ष) द्वारा की गई थी। अतः यह 107/116 की कार्यवाही जो प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन है वह सर्वथा असत्य व गलत है तथा पक्षपात के आधार पर आधारित है। पुलिस थाना कछवा ने नाजायज दबाव में झूठा चालान किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का जीवन व सम्पत्ति असुरक्षित है तथा जीवन व संपत्ति के हानि होने का सदैव भय बना हुआ है। अगर प्रार्थी का उपरोक्त लाइसेंस निरस्त किया गया तो प्रार्थी के विरोधी प्रार्थी को अवश्य जान से मार डालेंगे। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को दी गई नोटिस दिनांक 10-11-75 को निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करें।

ह0 प्रार्थी,
राम चन्द्र सिंह।

दिनांक 28-11-75

नत्थी (ब)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर।)

जिला कारागार, देवरिया, सुल्तानपुर, हमीरपुर, जौनपुर, आगरा, मेरठ तथा सदर लाकअप गोरखपुर में फ्लश तथा स्वच्छ शौचालय/पी0 आर0 ए0 आई0 टाइप बने हैं जो कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय कारागार बरेली, वाराणसी, में कुछ भाग मेंस्वच्छ शौचालय बने हैं। शेष भाग में अभी बनाना है। जो बने हैं वह भी पर्याप्त पानी न मिलने के कारण कार्य नहीं करते हैं। यही स्थिति आदर्श कारागार, लखनऊ की है जहां शौचालय बने हैं परन्तु पानी के अभाव में कार्य नहीं करते हैं। अन्य सभी कारागारों में ड्राप शौचालय हैं, जिनमें पंजे से उठाकर बाल्टी में भरकर मल निकाला जाता है। मल निकासी का कार्य विभाग में कार्यरत 95 स्थायी मेहतरों से लिया जाता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो काम करने के लिये अस्थायी मेहतर रखे जाते हैं। इस समय इनकी संख्या लगभग 307 है। जहां तक सजायाफ्ता तथा हवालाती बन्दियों से इस प्रकार का कार्य लेने का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि किसी भी कारागर में यह कार्य हवालाती अथवा सजायाफ्ता बंदी से उसी समय लिया जाता है जब वह स्वेच्छा से यह कार्य करने के लिये राजी हों।

जहां तक इस पुरानी प्रथा को समाप्त करने और फ्लश सिस्टम पाखानों के निर्माण का सम्बन्ध है, शासन की यह चेष्टा है कि इस प्रथा को समाप्त करके फ्लश अथवा पी0 आर0 ए0 आई0 टाइप के शौचालय , जहां जैसी सुविधा हो, बनावायें जायं। वर्ष 1975–76 में उत्तर प्रदेश जल निगम को निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाने हेतु सौंपे जा चुके हैं:

1—केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण।
2—केन्द्रीय कारागार, नैनी में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था।
3—जिला कारागार, कानपुर में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था।

इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 1976–77 में प्रदेश के बीस कारागारों में स्वच्छ शौचालयों की विशेष मरम्मत तथा नये शौचालय के बनाने के सम्बन्धमें व्यवस्था की जा रही है। जैसे–जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा शेष कारागारों में व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्य का मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र शासन को प्राप्त हो गया है और उनके सुझावों के अनुकूल उपरोक्त कार्यवाही की भी जा रही है। जहां तक पुलिस द्वारा लोगों को गलत तरीके से फर्जी केस बनाकर इस उद्देश्य से चालान करने का सम्बन्ध है कि उनसे मेहतर का काम लिया जाये, शासन के पास ऐसी सूचना नहीं है।

अनुबंध 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर।)

वर्ष 1975–76 में दैनिक बुंदेलखंड बांदा को बांदा के जिला कार्यालय द्वारा दिए गये सरकारी विज्ञापनों का विवरण।

क्रम सं0	बंवार्ड का अंक व दिनांक	विज्ञापन का नाम
1	2	3
1	अंक 29, दिनांक 25 फरवरी, 1976	राष्ट्रीय बचत संगठन, बांदा।
2	अंक 29, दिनांक 25 फरवरी, 1976	जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान समिति, बांदा।
3	अंक 35, दिनांक 4 मार्च, 1976	सहायक अभियन्ता, प्रथम डाल सिंचाई; बांदा।
4	अंक 42, दिनांक 18 मार्च, 1976	कृषि उत्पादन मंडी समिति, अतर्रा, बांदा।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर।)

सूती कताई मिल उत्तर प्रदेश कम्पनी लि0, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा कालोनी हेतु काश्तकारों की अधिग्रहण की गई भूमि का विवरण:—

क्रमांक	नाम काश्तकार व निवास स्थान	पिता का नाम	जाति	लिया गया रकबा			
				नम्बर	रकबा		
1	2	3	4	5	6		
1	अच्छे लाल, पांचू, बेबाक्, राम मिलन पुत्रगण झपसी व बन्शी पुत्रगण झपसी।	मुबारकपुर मुरेला	धर	मि0 691/1	बि0 0	बि0 3	धुर 10
2	जमराम, शम्भू नाथ पुत्रगण राजदेव राम दास, वासदेव पुत्रगण रामउदित।		वर्मा	691/1	2	1	10
				691/2	0	10	3
				691/4	1	0	0
				691/5	0	2	15
				691/7	1	1	0
				691/8	1	2	10
				691/9	1	0	0
				691/10	1	5	10
				8 किता			
3	राम अभिलास, रामनरेश, रामकेवल पुत्रगण ठाकुरदीन।	..	ब्राह्मण	691/1 मि0	0	0	1

4	बिरई पुत्र पांचू, निवासी लोरपुर ताजन		चमार	691/1	0	10	0	
5	कोदई पुत्र किशुन, नोखई, झिनकू व सुनई व दयाराम पुत्रगण मदई, संरक्षक मु0 दुलारा माता स्वयं। ..		भर	691/1	0	2	0	
6	जयकरन पुत्र पुरई, निवासी लोरपुर ताजन ..		चमार	691/2	3	0	0	
7	अन्शू पुत्र सुसारा, निवासी ग्राम उसरहवा		चमार	691/3	3	0	0	
8	झपसी पुत्र गोपाल		भर	691/8	0	8	0	
		लोरपुर ताजन						
1	चतुरी पुत्र सुक्खू		चमार	2654/1	1	0	0	
2	सोनई, बसन्तराम, जगन्नाथ पुत्रगण मोती, निवासी हसवर, पर0 बिडहर, तहसील टाण्डा। ..		चमार	2654/1	0	0	1	
				2654/9	1	19	0	
3	राम दास पुत्र सक्खू		चमार	2654/4	1	0	0	
4	बासदेव पुत्र राम समुझ		धोबी	2654/8	1	0	0	
5	इन्दरजीत, रामस्वरूप, रामरूप रामनारायन, चौथाराम व रामजीत पुत्रगण मुनेश्वर। ..		चमार	2654/5	1	0	0	
6	ग्राम समाज		..	2654/1	0	5	6	
				2654/8	0	2	0	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

वर्ष 1974–75 में जिला जेल, सुल्तानपुर में क्रय की गयी दवाओं का विवरण

क्रम–सं0	फर्मों का नाम जिनसे सरकारी रेट पर दवाइयां क्रय की गईं	धनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2	3
		रु0
1	यूनी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ..	6,251.13
2	सुहृद गीगी, लखनऊ ..	656.46
3	बूट्स कम्पनी, बम्बई ..	444.48
4	सैन्डोज इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ ..	3,146.40
5	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता ..	527.95
6	डेज मेडिकल स्टोर्स, लखनऊ ..	2,671.79
7	अशोका सेल्स, लखनऊ ..	979.22
8	हेवरस्ट फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ ..	1,726.91
9	ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, लखनऊ ..	1,984.36
10	स्पेन्सर एण्ड कम्पनी, कानपुर ..	1,041.07
11	मेडी प्रोडक्ट्स, लखनऊ ..	3,027.94
12	मार्टिन एण्ड हैरिस, लखनऊ ..	916.39
13	इण्डियन शेरिंग लिमिटेड, बम्बई ..	772.32
14	वोल्टास लिमिटेड, कानपुर ..	221.59
15	हिमालय ड्रग कम्पनी, बम्बई ..	2,430.50
16	मे एण्ड बेकर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ ..	873.16
17	फाईजर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ..	282.14
18	स्टैन्डर्ड फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ ..	2,520.49
19	साराभाई केमीकल्स, लखनऊ ..	7,733.41
20	वाइलाजिकल इवान्स, लखनऊ ..	642.32
21	गुलाटी फार्मास्युटिकल्स, कानपुर ..	865.34
22	थैमिस फार्मास्युटिकल्स, बम्बई ..	853.70
23	रैलिस इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ ..	85.90
24	साइनामाइड इन्डिया लिमिटेड ..	192.65
25	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पूना ..	4,002.70
26	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ..	2,631.17
27	यूनीवर्सल हास्पिटल सप्लाइर्स ..	576.10
28	अर्पाइक प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ..	321.10
	कुल ..	48,378.69

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम जिनसे सरकारी रेट पर दवाइयां नहीं क्रय की गईं।	धनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2	3
		रु0
1	कृष्णा मेडिकल हाल, सुल्तानपुर	433.11
2	मिश्रा मेडिकल हाल, सुल्तानपुर	55.47
3	अग्रवाल ड्रग हाउस, सुल्तानपुर	548.38
4	रामा मेडिकल स्टोर्स, सुल्तानपुर	20.91
5	डे एण्ड कम्पनी, सुल्तानपुर	96.62
6	एडवर्ड मेडिकल हाल, फैजाबाद	37.40
7	परमेश्वरी देवी, सुल्तानपुर	19.50
	कुल ..	1,211.39
	कुल योग ..	49,590.08

वर्ष 1975–76 में जिला जेल, सुल्तानपुर में क्रय की गयी दवाओं का विवरण

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम जिनसे सरकारी रेट पर दवाइयां क्रय की गईं	धनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2	3
		रु0
1	वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड, लखनऊ ..	339.45
2	इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ	24,243.19
3	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पीप्परी, पूना	27,202.31
4	हिमालया ड्रग कम्पनी, बम्बई	2,023.23
5	सैन्डोज इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ ..	2,518.56
6	इण्डियन शैरिंग, बाम्बे	883.86
7	फाइजर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ..	4,787.40
8	मे एण्ड बेकर, लखनऊ	1,185.36
9	डेज मेडिकल स्टोर्स, लखनऊ	306.86
10	मेडी प्रोडक्ट्स, लखनऊ	7,375.39
11	बायालाजिकल इवान्स, बाम्बे	1,777.40
12	यूनाइटेड एजेन्सीज, लखनऊ	483.00
13	यूनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, गाजियाबाद	2,468.18

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम जिनसे सरकारी रेट पर दवाइयां क्रय की गईं		धनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2		3
			रु0
14	एवन सार्जिको, लखनऊ	.. ..	439.66
15	हेकस्ट फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ	.. ..	254.50
16	आर्गेनान इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	..	950.45
17	कीमो फार्मा लेबोरेटरीज, बम्बई	..	(बिल प्राप्त नहीं हुआ सरकारी रेट पर मांग पत्र भेजा गया ।)
18	श्री गोपाल वर्क्स, कानपुर	.. ..	1,167.00
19	एवाट लेबोरेटरीज, बम्बई	.. ..	1,329.73
20	पाइनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लखनऊ	.. ..	1,176.92
21	वोल्टाज लिमिटेड, कानपुर	.. ..	1,885.64
		योग ..	82,798.09

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम जिससे सरकारी रेट पर दवाइयां नहीं क्रय की गईं		धनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2		3
			रु0
1	अग्रवाल ड्रग हाउस, सुल्तानपुर	..	2216.45
2	कृष्णा मेडिकल हाल, सुल्तानपुर	..	10954.56
3	डे एण्ड कम्पनी, सुल्तानपुर	.. .	359.06
4	मेडिको केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट, सुल्तानपुर	..	29.37
5	सुन्दर मेडिकल स्टोर्स, सुल्तानपुर	..	15.10
6	अग्रहरि मेडिकल स्टोर्स, सुल्तानपुर	..	278.43
7	लाल मेडिकल स्टोर्स, सुल्तानपुर	..	58.89
8	वेराइटी जनरल स्टोर्स, सुल्तानपुर	..	14.95
9	गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, सुल्तानपुर ..	..	6.40
10	राजेन्द्र एण्ड कम्पनी, सुल्तानपुर	..	9.40
11	रस्तोगी मेडिकल स्टोर्स, लखनऊ ..	..	442.54
12	रिन्द फार्मा, लखनऊ ..	..	390.90
13	एल0एल0 जे0के0 फार्मा, लखनऊ	..	75.84
14	जुल्का फार्मा, लखनऊ ..	..	77.46
15	भारत एन्टरप्राइजेज, लखनऊ ..	..	93.34
16	आलोक कुमार, अनिल कुमार, लखनऊ	..	1680.19
17	भारत मेडिकल स्टोर्स, लखनऊ ..	..	107.40
18	गर्ग फार्मा, लखनऊ ..	..	74.59
19	ग्रोसन्स एण्ड कम्पनी, लखनऊ ..	..	55.43
20	श्याम एजेन्सीज, लखनऊ ..	..	53.86
21	बी0 के0 फार्मा, लखनऊ ..	..	113.00
22	यू0 पी0 फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ	..	90.62

क्रम-संख्या	फर्मों का नाम जिनसे सरकारी रेट पर दवाइयां क्रय की गई	घनराशि जितने की दवा खरीदी गई (वर्ष भर में)
1	2	3
		रु0
23	पवन फार्मा, लखनऊ	37.39
24	प्रेम एजेन्सीज, लखनऊ	179.54
25	डी0 पाल एण्ड कम्पनी, लखनऊ ..	980.40
26	टी0 के0 फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ	21.68
	योग ..	18,414.79
	कुल योग ..	1,01,212.88

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

घटना का विवरण

सर्किल आफिसर, मऊ, सर्किल इंसपेक्टर, मऊ, थानाध्यक्ष, मऊ व 2 अन्य थानों के थानाध्यक्ष, सब इंसपेक्टर इंचार्ज, कोपागंज चौकी व 2 अन्य सब इंसपेक्टर तथा कुछ कांस्टेबिलों के साथ एक मुकदमा धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 चौकी कोपागंज, आजमगढ़ संबंधी दविश एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इलाका थाना घोसी के लिए 1/2 अप्रैल, 1976 की रात में सरकारी पिकअप में 2.55 बजे रवाना हुए । 3.15 बजे, मऊ से लगभग 3 किलोमीटर पर दोहरीघाट रोड पर पहुंचने पर कोपागंज की ओर से भाग कर आता एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने बताया कि थोड़ी दूर पर 2 ट्रकों को रोककर 6/7 डाकू मारपीट कर ट्रक पर बैठे उसके साथियों को लूट रहे हैं। उस व्यक्ति जिसने अपना नाम राम दयाल बताया को पुलिस ने अपनी गाड़ी पर बैठाया और ट्रकों के पास पुलिस पार्टी पहुंची जहां कुछ घायलों को चिल्लाते देखा। घायलों ने बताया कि पुलिस को देखकर 6/7 डकैत अभी भागे हैं पुलिस द्वारा उनका पीछा किये जाने पर 6/7 डाकू बन्दूक अद्धा लाठी लिये भागते दिखाई दिये। पीछा किये जाने पर डकैतों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाईं। उस घटना में तीन डाकू मारे गये व शेष 3/4 भाग गये और 3 पुलिस अधिकारी व 2 ट्रक वालों को चोटें आईं। डकैतों के शवों के पास से कपड़े ट्रक के कागजात, दो देशी पिस्तौलें व कारतूस आदि बरामद हुए ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 55 पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

(1) खंड 4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3–ङ. के स्थान पर प्रतिस्थापित की गयी धारा 3-ङ में निम्नलिखित उप पार्श्व शीर्षक बढ़ाया गया है :—

"कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर का लगाया जाना"

(2) खंड 12 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गयी धारा 32 में निम्नलिखित उप पार्श्वशीर्षक बढ़ाया गया है:—

"कतिपय मामलों में शुल्क"

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 55 पर ।)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबंध) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 क नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

(1) खंड 2 (ग) म शब्द तथा अंक "स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1960" के स्थान पर शब्द तथा अंक " रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950" रख दिये गये हैं।

(2) खंड 7 के उपान्तीय शीर्षक में शब्द "धारा 68–सी या 68–डी" के पश्चात् शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के लिये" रख दिये गये हैं।

(3) खंड 11 के उपान्तीय शीर्षक में शब्द, अंक तथा अक्षर "मूल अधिनियम की धारा 133–ए का लागू होना" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर " मूल अधिनियम की धारा 43–ए का संशोधन तथा धारा 133–ए का लागू होना" रख दिये गये ह ।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 55 पर)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, , 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक एवं शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

(1) खंड 2 (ख) (iii) द्वारा बढ़ाये गये स्पष्टीकरण–2 की मद (5) के अन्त में सेमीकोलन ";" के पश्चात् शब्द "और" बढ़ा दिया गया है।

(2) खंड 11 के उपान्तीय शीर्षक में शब्द तथा अंक "धारा 18 का संशोधन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 18 का प्रतिस्थापन" रख दिये गये हैं ।

(3) खंड 23(v)(2) के शीर्षक में शब्द "बढ़ा दिया जायगा" के स्थान पर शब्द "बढ़ा दिये जायेंगे" और शब्द "समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "समझे जायेंगे" रख दिये गये हैं तथा प्रथम प्रतिबन्ध के अन्त में प्रयुक्त इनवर्टेड कामा "" को हटा कर द्वितीय प्रतिबन्ध के अन्त में रख दिया गया है एवं प्रथम प्रतिबन्ध के अन्त में प्रयुक्त सेमीकोलन ";" के स्थान पर कोलन ":" रख दिया गया है।

(4) खंड 26(2) की पंक्ति 2 में शब्द "अपील" के स्थान पर शब्द "अपीलों" रख दिया गया है ।

(5) खंड 26(3) की पंक्ति 7 में शब्द "उन्मोचित" के स्थान पर शब्द "उनमोचित" रख दिया गया है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ. 55 पर।)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 159 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

(1) खंड 7(1) की पंक्ति 3 में शब्द "रजिस्टर" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रार" तथा शब्द "स्थिति" के स्थान पर शब्द "स्थित" कर दिया गया है।

(2) खंड 21 की उपान्तिक टिप्पणी में शब्द "ऋणी" के स्थान पर शब्द "साहूकार" कर दिया गया है।

(3) खंड 23 (1) की पंक्ति 2 में शब्द "दोषसिद्ध पर" के स्थान पर शब्द "दोष सिद्धि पर" कर दिये गये हैं।

नत्थी "ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ 61 पर।)

द्वारा—अधीक्षक, कारागार, आजमगढ़

सेवा में;

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषय:—अनुच्छेद 190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली की धारा 208/1 के अधीन आवेदन-पत्र ।

श्रीमन्,

मैं आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च, 1976 से निरुद्ध हूं और इस समय जनपद कारागार आजमगढ़ में हूं। वर्ष 1976 के चालू सत्र के सभी उपवेशनों में निरुद्धि के कारण अनुपस्थित रहूंगा। इसमें मेरी विवशता है। (***) इच्छा होते हुये भी उपस्थित नहीं हो सकता।

अतएव विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

भवदीय,
शिव प्रसाद;
सदस्य, विधान सभा (उ० प्र०)
मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ ।

दिनांक 12-5-76

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 61 पर ।)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषय:—अनुच्छेद 190/(4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन आवेदन पत्र।

श्रीमन्,

मैं आंसुका (मीसा) के अन्तर्गत दिनांक 17 अगस्त सन् 1975 से निरुद्ध हूं एवं इस समय इटावा कारागार में हूं। 1975 के मेरी निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। अब 1976 के इस चालू सत्र में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहूंगा। इसमें मेरी विवशता है, (**) इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता ।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिए मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

भवदीय,
मुलायम सिंह यादव, एम0एल0ए0।

दिनांक 11-5-76

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ 61 पर।)

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
दिनांक 8—5—76

चन्द्र पाल सिंह;
एम0 एल0 ए0,
मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
द्वारा : अधीक्षक महोदय,
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

विषय:—विधान सभा के उपवेशनों में उपस्थिति से मुक्ति हेतु निवेदन करना।

मान्यवर,

निवेदन है कि मैं राज्य सरकार के आदेशानुसार इस समय मीसा (MISA) के अधीन केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हूं। राज्य विधान सभा का सत्र चालू है। आदरणीय सदन की बैठकों में उपस्थित रहने की पूर्ण इच्छा होने के बाद भी, शासन द्वारा निरुद्ध कर दिए जाने के कारण उपस्थित हो पाना सम्भव नहीं है।

अतएव, निवेदन है कि विधान सभा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सत्र के चालू होने के प्रथम दिन से आगे जब तक कि मैं शासन द्वारा कारागार से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक के लिये विधान सभा की बैठकों में उपस्थित रहने से मुझे मुक्त किया जाय। अपेक्षा है कि विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के उपबन्धों के अधीन आप मुझे उपस्थिति से मुक्त कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

आभारी होऊंगा। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के परिणाम से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें।

आपका विश्वस्त;
चन्द्र पाल सिंह,
सदस्य, विधान सभा,
24 कां0, मुरादाबाद।

वर्तमान पता—चन्द्र पाल सिंह, एम0 एल0 ए0,
मीसा बन्दी,
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ 61 पर।)

केन्द्रीय कारागार,
बरेली।
दिनांक 13-5-76

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा:—अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, बरेली।

विषय:—190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280/1 के अधीन आवेदन-पत्र।

मान्यवर,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 27-11-75 से निरुद्ध हूं और इस समय केन्द्रीय कारागार, बरेली में हूं। इसके कारण मैं 1976 के चालू सत्र के सभी उपवेशनों में अनुपस्थित हो रहा हूं। इसमें मेरी विवशता है। (* * *) इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों के पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

भवदीय,
मु० मसूद खां,
आजमगढ़
केन्द्रीय कारागार, बरेली।
13-5-76।

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर।)

केन्द्रीय कारागार,
बरेली।
दिनांक 13-5-76

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषय:—190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280/1 के अधीन आवेदन-पत्र ।

मान्यवर,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 9-10-75 से निरुद्ध हूं और इस समय केन्द्रीय कारागार, बरेली में हूं। इसके कारण मैं 1976 के चालू सत्र के सभी उपवेशनों में अनुपस्थित हो रहा हूं। इसमें मेरी विवशता है (* * * * *) । इच्छा होते हुये भी उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं ।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

भवदीय,
काली चरण यादव,
एम0 एल0 ए0,
13-5-76

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर।)

मोतीलाल देहलवी,
एम0 एल0 ए0,
राजबन्दी,
जिला जेल बालसुधार विद्यालय (रिफार्मेटरी),
लखनऊ ।

दिनांक 11 मई, 1976

अत्यावश्यक

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

द्वारा:—अधीक्षक महोदय, जिला जेल, लखनऊ ।

विषय:—अनुच्छेद 190(4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन आवेदन-पत्र ।

महोदय जी,

जैसा कि मैं कई बार आपको अवगत करा चुका हूं कि जीप दुर्घटना के कारण मेडिकल कालेज, लखनऊ में निरंतर इलाज जारी रहते, शरीर की दयनीय एवं पूर्ण अशक्त अवस्था में (* * *), गिरफ्तार कर दिनांक 19 जुलाई, 1975 को जिला कारागार, लखनऊ में भेज दिया गया था ।

इस समय भी मैं आंसुका (मीसा) के अन्तर्गत निरुद्ध जिला कारागार, लखनऊ में ही हूं । 1975 की मेरी निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ, उसके सभी उपवेशन में मैं इसी विवशता के कारण अनुपस्थित रहा कारागार से मैं अपनी अनुपस्थित के कारण से व सदन में पुलिस नियंत्रण के साथ बुलाने का आग्रह आपसे करता ही रहा हूं ।

इसी प्रकार अब मैं 1976 के इस चालू सत्र में तथा अन्य सभी भावी उपवेशनों में भी सम्भवत: अनुपस्थित रहूंगा । इसमें मेरी पूर्ण विवशता है, (* * *) इच्छा एवं पूर्ण इरादा होते हुये भी मैं माननीय सदन में उपस्थित नहीं हो सकता ।

अतएव विनम्र निवेदन है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दें, और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

आपका शुभाकांक्षी,
मोतीलाल दहलवी,
एम0 एल0 ए0 ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

प्रेषक;

ओम प्रकाश सिंह,
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
जिला कारागार, मिर्जापुर ।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष;
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

द्वारा;

अधीक्षक;
जिला कारागार, मिर्जापुर ।

8 मई, 1976

विषय:—वर्तमान बजट सत्र के लिये सदन से अवकाश हेतु ।

महोदय,

मैं जिला कारागार, मिर्जापुर में दिनांक 8 जनवरी, 1976 से डी0 आई0 आर0 तथा मीसा के अन्तर्गत बन्द किया गया हूं । जिस कारण से मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ हूं ।

अत:निवेदन है कि मुझे वर्तमान बजट सत्र 1976–77 के लिये अवकाश प्रदान करने की कृपा कर अनुगृहीत करें ।

आपका विश्वसनीय,
ओम प्रकाश सिंह,
विधायक ।

नत्थी 'न'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर।)

मिर्जापुर,
5 अक्टूबर, 1976।

प्रेषक,

ओम प्रकाश सिंह,
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
मीसा बन्दी (राजनैतिक)
केन्द्रीय कारागार, बरेली।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय:—विधान सभा की बैठकों से अवकाश हेतु।

महोदय,

समाचार पत्रों से पता चला है कि विधान सभा की बैठक 1 नवम्बर, 1976 से होने जा रही है।

मैं आजकल बरेली केन्द्रीय कारागार में आंसुका के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया हूं। निरुद्ध रहते हुए जेल के बाहर जाकर विधान सभा की बैठकों में भाग लेना सम्भव नहीं है।

अत: निवेदन है कि 1 नवम्बर, 76 से शुरू हो रहे विधान सभा अधिवेशन (बैठकों) की उपस्थिति से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। विश्वास है मुझे उपरोक्त अवकाश स्वीकृत कर अनुगृहीत करेंगे।

आपका विश्वसनीय,
ओम प्रकाश सिंह।

नत्थी 'प'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर।)

प्रेषक,

सूबेदार प्रसाद,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(जिला कारागार, मिर्जापुर)

सेवा में ;

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा,

अधीक्षक, जिला कारागार, मिर्जापुर।

दिनांक 8 मई, 1976

विषय:—वर्तमान बजट सत्र 1976 के लिये सदन से अवकाश स्वीकृति हेतु।

मान्यवर,

मैं जिला कारागार, मिर्जापुर में दिनांक 24-2-76 से डी0 आई0 आर0 तथा मीसा के अन्तर्गत दिनांक 12-3-76 से निरुद्ध किया गया हूं जिसके कारण मैं सदन (विधान सभा) की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ हूं।

अत: आपसे निवेदन है कि मुझे वर्तमान बजट सत्र के लिये अवकाश प्रदान करने की कृपा कर अनुगृहीत करें।

भवदीय,
सूबेदार प्रसाद, विधायक,
राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर।
राजनैतिक (मीसाबन्दी)
जिला कारागार, मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी [क]

(देखिये पीछे पृष्ठ. 62 पर।)

प्रेषक;

सूबेदार प्रसाद,
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
राजनैतिक मीसा बन्दी,
केन्द्रीय कारागार, बरेली।

सेवा में;

माननीय अध्यक्ष जी;
विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक 6-10-76

विषय:—विधान सभा की बैठकों से अवकाश हेतु।

मान्यवर;

समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है कि विधान सभा की बैठक 1 नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ होने जा रही है। मैं दिनांक 24-2-76 को गिरफ्तार करके आज तक केन्द्रीय कारागार, बरेली में मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया हूं।

यद्यपि मैं चाहता हूं कि विधान सभा सत्र में उपस्थित रहूं। परन्तु निरुद्ध रहते हुये विधानसभा की बैठकों में भाग लेना सम्भव नहीं है। आप विधान सभा उ० प्र० के अध्यक्ष के नाते हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं।

अत: आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि 1 नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ हो रहे विधान सभा अधिवेशन (बैठकों) में उपस्थित न हो सकने के कारण अनुपस्थिति के लिये मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। विश्वास है मुझे अवकाश स्वीकृत कर अनुगृहीत करेंगे।

भवदीय,
सूबेदार प्रसाद, विधायक,
261, राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर)
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ब'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

ओउम्

माननीय,

आदरणीय अध्यक्ष, विधान, सभा
उत्तर प्रदेश ।

श्री वासुदेव सिंह जी,

महोदय,

सेवा में,

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि आपके आदेश संख्या—दिनांक————के संदर्भ में मुझे आपसे निवेदन करना है कि मैं किशन लाल, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश आपको सूचित करता हूं कि चालू विधान सभा सत्र 1975 व 76 में मैं डी0 आई0 आर0 में 14 नवम्बर सन् 1975 को कोतवाली पुलिस पीलीभीत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से अभी तक यानी 20–5–76 तक मैं कारागार में बन्दी हूं। जिससे चालू सत्र में मैं उपस्थित न हो सका।

सूचनार्थ मैं अपनी ओर से एक प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रेषित करता हूं कि अनुपस्थिति को श्रीमान् जी अवकाश मान लें। अति कृपा होगी।

आपका,
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश;
किशन लाल, विधायक,
58-बरखेड़ा पीलीभीत।

दिनांक 20–5–76
स्थान—जिला कारागार, पीलीभीत।

नोट:—22–3–76 से चलने वाले वि0 स0 सत्र में छुट्टी का अवकाश मान लिया जावे। कृपा होगी।

नत्थी 'भ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

द्वारा, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, (नैनी) इलाहाबाद ।

विषय:—अनुच्छेद 190 (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन प्रार्थना–पत्र ।

मान्यवर,

मैं आंसुका (मीसा) के अन्तर्गत दिनांक 29 जुलाई सन् 1975 ई0 से निरुद्ध हूं और इस समय केन्द्रीय कारागार (नैनी), इलाहाबाद में हूं । सन् 1975 के मेरी निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ, उसके भी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। अब 1976 ई0 के इस चालू सत्र में भी, सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहूंगा । इसमें मेरी विवशता है ।

* * *

इच्छा होते हुए भी विधान सभा के उपवेशनों में उपस्थित नहीं हो सकता।

अतएव विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सधन्यवाद ।

भवदीय,

भारत सिंह चौहान,

एम0 एल0 ए0,

राजनैतिक बन्दी (मीसा);

केन्द्रीय कारागार (नैनी);

इलाहाबाद ।

11–5–76

नत्थी 'म'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

जिला कारागार, गोरखपुर ।
दिनांक 9/10–5–76

प्रेषक,

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद,
विधायक/बन्दी, अन्तर्गत मीसा ।
मार्फत :—अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय:—वर्तमान वित्तीय वर्ष 1976–77 के बजट सत्र में अनुपस्थिति पर अवकाश हेतु आवेदन–पत्र ।

मान्यवर,

(* * * * * * * * *)

निवेदन है कि 1976 के बजट सत्र पर (* * *) हुई अनुपस्थिति पर अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे एवं मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।

सधन्यवाद ।

भवन्निष्ठ,
फिरंगी प्रसाद विशारद,
विधायक,
पता—उपरोक्त ।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'य'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

राम जनम राय,
विधायक,
मीसा राजबन्दी ।

जनपद कारागार, गाजीपुर
दिनांक 6-8-76 ।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

विषय:—विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये अनुज्ञा-पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 280 के अनुसार मुझे विधान सभा के वर्ष 1976 के प्रथम सत्र (दिनांक 22 मार्च, 1976 से 16 मई, 1976) के आरम्भ होने की प्रथम तिथि से उस तिथि तक जब तक कि सरकार हमारी निरुद्धि समाप्त कर कारागार से मुक्त न कर दे, की अवधि के लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रार्थी,
राम जनम राय,
6-8-76
मीसा राजबन्दी,
जिला जेल, गाजीपुर ।

नत्थी 'र'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

उन्नाव
दिनांक 13-5-76

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
द्वारा—कारागार अधीक्षक, उन्नाव ।

विषय:—अनुच्छेद 190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन आवेदन-पत्र ।

श्रीमन्,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 2 मार्च, 1976 ई० से निरुद्ध हूं और इस समय उन्नाव जिला कारागार में हूं. इससे पूर्व 26 जून, 1975 से मैं भा० सु० अ० के अन्तर्गत बन्दी था, 1975 के मेरे निरुद्धिकाल में जो विधान सभा का सत्र हुआ, उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा, अब 1976 के इस चालू सत्र में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहूंगा। इसमें मेरी विवशता है ।

(* * * * * * * * * * * * * * * *) इच्छा होते हुये भी उपस्थित नहीं हो सकता हूं ।

अतएव, विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाये ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
शिवपाल सिंह,
सदस्य, विधान सभा, उन्नाव,
जिला कारागार, उन्नाव ।

नत्थी 'ल'

(देखिये पृष्ठ 36 पर।)

सेवा में;

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय:—अनुच्छेद 190 (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन आवेदन-पत्र ।

श्रीमान्,

मैं "आंसुका" (मीसा) के अन्तर्गत दिनांक 3-2-76 से निरुद्ध हूं और इस समय आदर्श कारागार, लखनऊ में हूं। इससे पूर्व मैं "आंसुका" में 26-6-75 से 2-2-76 तक जिला कारागार, पीलीभीत में निरुद्ध था। (* * *) 1975 के मेरे निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ तथा 1976 के बजट सत्र के सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। अब 1976 के शरद सत्र जो 1-11-76 से शुरू होने जा रहा है, में भी मैं अनुपस्थित रहूंगा। इसमें मेरी विवशता है। (* * *) इच्छा होते हुये भी उपस्थित नहीं हो सकता। अतएव निवेदन है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिये मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाये ।

भवदीय,
धीरेन्द्र सहाय,
आदर्श कारागार,
लखनऊ ।

नोट—यह पत्र 27-10-76 को प्राप्त हुआ।

नत्थी "ब"

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

सेवा में;

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उ० प्र०।

विषय:—अनुच्छेद 190(4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा 280(1) के अधीन आवेदन-पत्र।

महोदय,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 20-7-75 से निरुद्ध हूं और इस समय जिला मथुरा कारागार में हूं। 1975 में मेरी निरुद्ध काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ उसके सभी उपवेशनों मे मैं अनुपस्थित रहा। सन् 1976 के बजट में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहा। इसमें मेरी विवशता थी। (* * *) इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता।

अतएव विनम्र प्रार्थना है कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद से जितने दिन भी विधान सभा की बैठकें हुई हों, उन सबके लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

भवदीय,
राधा चरण सिंह,
सदस्य, विधान सभा,
(मथुरा)

दिनांक 26-6-76

नत्थी 'श'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

सेवा में;

माननीय अध्यक्ष जी,
विधान सभा,
उ० प्र० (लखनऊ) ।

विषय:—सदन में अनुपस्थिति अवधि के अवकाश हेतु ।

मान्यवर;

सविनय निवेदन है कि 10 जुलाई, 75 को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार होकर इस कारागार में लाया गया । दिनांक 23–8–76 को जमानत स्वीकृत होने पर जेल में ही जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा आंसुका आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध कर दिया गया। तब से आज तक इस कारागार में निरुद्ध हूं ।

(* * *)

अत: प्रार्थना है कि जुलाई से लेकर अब तक सदन में मेरी अनुपस्थिति की अवधि का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय,
राम प्रकाश, त्रिपाठी,
सदस्य, विधान सभा,
उ० प्र० (लखनऊ) ।
मीसा बन्दी
केन्द्रीय कारागार,
(फतेहगढ़)
जिला—फर्रुखाबाद ।

दिनांक 20–5–76

नत्थी 'ष'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
दिनांक 9–5–76

बाबू सिंह यादव,
एम0 एल0 ए0,
(अलीगढ़) ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
द्वारा—अधीक्षक महोदय,
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

विषय:—विधान सभा के उपवेशनों में उपस्थिति से मुक्ति हेतु उचित कार्यवाही के लिये निवेदन करना ।

महोदय,

निवेदन है कि इस समय मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में मीसा (MISA) के अन्तर्गत निरुद्ध हूं। राज्य विधान सभा का सत्र चालू है। उसके उपवेशनो में उपस्थित रहने की पूर्ण इच्छा होने के बाद भी मीसा के अधीन निरुद्धि के कारण उपस्थित हो पाना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है ।

अतएव, प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र आहूत किये जाने की प्रथम तिथि से आगे जब तक कि मैं कारागार से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक के लिये आदरणीय सदन में उपस्थिति से मुक्त करने की कृपा करें। इसके लिये विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली के अधीन जो भी कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वह प्रार्थनीय है ।

आशावान हूं कि कार्यवाही के परिणाम से मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जायगी। त्वरित कार्यवाही के लिये आभारी होऊंगा ।

साभिवादन,

आपका विश्वस्त,
बाबू सिंह यादव, एम0 एल0 ए0,
अलीगढ़ ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

नई तन्हाई,
जिला कारागार,
अलीगढ़ ।

श्रीमान अध्यक्ष,
विधान सभा , उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेशानुसार मुझे मीसा में 28 जुलाई, 75 से ही अलीगढ़ कारागार में नजरबन्द किया हुआ है और इसी कारण 28 जुलाई, 75 से 9 अगस्त, 75 तक होने वाले विधान सभा के अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सका ।

(* * *)

कृपया विधान सभा (* * *) की उक्त बैठकों से मेरी अनुपस्थिति को मुक्त (Condone) किया जाय । (* * *)

भविष्य में भी जब तक मैं मीसा में नजरबन्द हूं विधान सभा अधिवेशन (* * *) में अनुपस्थिति के लिये क्षमा किया जाय (* * * *) ।

भवदीय,
बाबू सिंह यादव,
एम0 एल0 ए0,
मीसा जिला कारागार, अलीगढ़।

नत्थी 'ह'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर।)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश

विषय—अनुच्छेद 190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की धारा 280/1 के अधीन आवेदन-पत्र ।

महोदय,

मैं मीसा एवं डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत दिनांक 26–7–75 से निरुद्ध हूं और इस समय मथुरा कारागार में हूं। 1975 में मेरी निरुद्धिकाल में जो विधान सभा (* * *) का सत्र हुआ उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। सन् 1976 के बजट सत्र में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहा। इसमें मेरी विवशता थी। (* * *) इच्छा होते हुये भी उपस्थित नहीं हो सकता।

अतएव, विनम्र प्रार्थना है कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद से जितने दिन भी विधान सभा की बैठकें हुई हों उन सबके लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

भवदीय,
चन्दन सिंह,
सदस्य, विधान सभा,
मथुरा ।

दिनांक 29–6–76

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर।)

फतेहगढ़, केन्द्रीय कारागार
20-5-1976

प्रेषक

गजाधर प्रसाद आर्य,
सदस्य, विधान सभा।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

विषय:—अवकाश प्रदान किये जाने हेतु।

मान्यवर,

निवेदन है कि मुझे पुलिस बहराइच ने दिनांक 6-7-1975 ई0 को भा0 सु0 के अन्तर्गत बन्दी बनाया और जब जिला एवं सत्र न्यायालय, बहराइच द्वारा दिनांक 15-11-75 ई0 को जमानत स्वीकार कर ली गयी तो जिलाधिकारी, बहराइच ने मुझे आं0 सु0 का0 के अन्तर्गत निरुद्ध कर लिया।

(* * * *)

अस्तु प्रार्थना है कि उक्त कारणवश सदन में मेरी जो अनुपस्थिति अब तक हुई है, उन दिनों का अवकाश प्रदान करने की असीम कृपा की जावे।

(* * * *)

भवदीय,
गजाधर प्रसाद आर्य।

नत्थी 'खख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर ।)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

मान्यवर,

ज्ञात हो कि पुलिस थाना कोतवाली, बहराइच ने दिनांक 6–7–1975 ई0 को मुझे बन्दी बनाकर भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत चालान कर जिला जेल, बहराइच भेज दिया और जमानत पर बाहर निकलने से पूर्व ही जिलाधिकारी, बहराइच ने अपने आदेश दिनांक 15–11–1975 ई0 द्वारा मुझे आं0 सु0 का0 के अन्तर्गत निरुद्ध कर दिया, जिसकी पुष्टि राज्य सरकार ने समय–समय पर किया। परिणामस्वरूप मैं इस समय इस कारागार में निरुद्ध हूं ।

राज्य सरकार द्वारा बन्दी बनाये जाने तथा आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के कारण, बन्दी बनाये जाने के उपरान्त विधान सभा के किसी भी अधिवेशन में भाग लेना मेरे लिये सम्भव न हो पाया।

विधान सभा के पिछले अधिवेशन के अवसर पर अवकाश प्रदान किये जाने हेतु आपकी सेवा में अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित भी किया है।

1–11–1976 ई0 से विधान सभा का शरद्कालीन अधिवेशन, प्रारम्भ होने की सूचना महामहिम राज्यपाल की घोषणा द्वारा मुझे कल प्राप्त हुई है ।

अस्तु, आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे मेरे बन्दी बनाये जाने के उपरान्त से निरुद्धि काल तक के लिये विधान सभा से अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाये । बहुत अनुगृहीत होऊंगा ।

विनीत,
गजाधर प्रसाद आर्य,
सदस्य, विधान सभा (चर्दा),
जिला बहराइच,
(मीसा बन्दी)
केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।

दि0 16–10–1976

नत्थी 'मग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 64 पर ।)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

विषय:—अनुच्छेद 190/4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा 280/1 के अधीन आवेदन-पत्र ।

महोदय,

मैं मीसा के अन्तर्गत दिनांक 21 जुलाई, 75 से निरुद्ध हूं और इस समय केन्द्रीय कारागार, आगरा में हूं। 1975 में मेरी निरुद्धिकाल में जो विधान सभा का सत्र हुआ, उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। सन् 1976 के बजट सत्र में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहा। इसमें मेरी विवशता थी। (* * *) इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता ।

अतएव, विनम्र प्रार्थना है कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद से जितने दिन भी विधान सभा की बैठकें हुई हों, उन सबके लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय और उपस्थिति से मुझे मुक्त करने अथवा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

भवदीय,

दिनांक 29-6-76

राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़),
सदस्य, विधान सभा ।

नत्थी 'घघ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 64 पर।)

प्रेषक,

मुल्तान सिंह,
सदस्य, विधान सभा,
(उत्तर प्रदेश)।

टूण्डला,
आगरा,
दिनांक 2-8-76

सेवा में,

सचिव महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषय:—विधान सभा सत्र एवं समितियों की बैठक से अनुपस्थिति के कारण वेतन एवं प्रतिकर भत्ते से कटौती।

महोदय,

निवेदन है कि मैं विगत 21 जुलाई, 1975 से मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध हूं। निरुद्धि के कारण विधान सभा (* * * *) के बैठक में भाग नहीं ले सकता हूं।

(* * * *)

अब इस पत्र द्वारा आपसे प्रार्थना है कि 21 जुलाई, 1975 से बाद की मेरी समस्त अनुपस्थिति को मीसा निरुद्धि के कारण खत्म कर दिया जावे जैसा कि कई अन्य सदस्यगणों के लिये किया गया है।

(* * * *)

इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से कृपया मुझे भी सूचित करने की कृपा करें।

सम्मान भाव से।

भवदीय,
मुल्तान सिंह,
विधायक,
दयालबाग (आगरा)।

प्रतिलिपि

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 66 पर।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

(जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश कोष्ठकों [ ] में हैं और बढ़ाये गये अंश अधोरेखांकित हैं।)

उत्तर प्रदेश में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम, कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा।

2—यह अधिनियम—

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर,

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 [की धारा 38-ज] के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो,

(ग) नागर क्षेत्रों में स्थित वृक्षों पर,

(घ) राजकीय उद्यान में या सरकार की भूमि पर स्थित वृक्षों पर, लागू न होगा :

परिभाषाएं

3—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(एक) "रिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू-खंड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों ;

(दो) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिये दिया गया है ;

(तीन) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(चार) "प्रभागीय वन अधिकारी" का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है।

(पांच) सजातीय पद सहित " वृक्ष के निपातन" का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छांटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुंचाने से है ;

(छः) "राजकीय उद्यान" का तात्पर्य फल, फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिये प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-खंड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है ;

(सात) "खाता" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उसके लिए दिया गया है ;

(आठ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया ह ;

(नौ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(दस) "वृक्ष" का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊंचाई पर पांच सेन्टीमोटर से कम नहीं है और ऊंचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है और क्रमशः पद "इमारती लकड़ी वाले वृक्ष" और "फलवाले वृक्ष" का तात्पर्य क्रमशः ,अनसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है ;

(ग्यारह) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगर-महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास अधिकारी की सीमा में सम्मिलित हो ;

(बारह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 म परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, शब्द और पद के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं ।

वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्ध

4—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति—

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा ;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिलकुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न किसी वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा ।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा

5—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा दे देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होंगी ;

परन्तु यह [और] भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तत्कालिक कार्यवाही की जा सकती है, जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो ।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा

6—(1) धारा 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसी रीति से दिया जायगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो विहित किये जाएं ।

(2) सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय वन, बाग या सार्वजनिक भू-गृहादि में उगे हुए किसी वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर देगा ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) में अनुमत समय के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहता है तो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी गयी समझी जायगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे रूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो विहित की जाएं, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुन: आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है ।

वृक्षारोपण का दायित्व

7—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गयी है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिये बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को [वृक्षारोपण करने] वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है ।

रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण

8—(1) जहां परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राज स्व-अधिकारी, या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिये, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायगी और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायगी जो विहित की जाय।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर संबद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन

9—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति में वसूल कर सकता है।

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये शास्ति।

10—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी वृक्ष को काटता है, या हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे [कठोर] कारावास का, जो [एक वर्ष] छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो [पांच हजार रुपये] पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों, दण्ड दिया जायगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

11—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध को किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

इमारती लकड़ी का समपहरण

12—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपरकणों को सरकार के प्रति समपहृत किये जाने का आदेश दे सकता है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाय।

बिना वारन्ट के गिरफ्तार करन की शक्ति

13—(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इन्सपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध [इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित होने की युक्ति-युक्त शंका हो] यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है :

परन्तु जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी और जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इन्सपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानों वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना अनावश्यक विलम्ब किये, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिये, बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

अभिग्रहण करने की शक्ति

14—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष की लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ीवाहक या पशु भी यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्नपद के किसी वन अधिकारी या सब-इन्सपेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी

या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिगृहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, यह विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के इस निमित्त अधीन रहते हुए विहित रीति से किया जायगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस ब्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति

15—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध (युक्तियुक्त शंका) यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में स्थित वृक्ष से

* * *

भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो [पांच] एक हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह [शंका] विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

अधिनियम क उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायगी

16—प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक उद्यान निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में हैं।

शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा

17—इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

अधिकारी लोक सेवक होंगे

18—इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे ।

धनराशि के भुगतान के लिये आदेश का निष्पादन

19—कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी ।

कार्यवाहियों पर रोक

20—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

छूट

21—ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे

22—इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।

वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति

23—(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

24—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है ।

अनुसूची एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

क्रम-संख्या	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2	3
1	देवदार	.. सीड्स दिओदारा
2	चीड़	.. पाइनस राक्सवरगाई
3	केल	.. पाइनस एक्सलसा
4	राय	.. पाइसिया मोरिंडा
5	मौरिन्डा ..	.. एबीज पिनडरु
6	अखरोट ..	.. जगलेंस रिजिया
7	पपरी/सन्सदू/चिकड़ी ..	.. बोक्सस सिमपैरविरेन्स
8	चमखरिक ..	.. करपिनस विमीनिया
9	बांज	.. क्यूरकस इनकाना
10	मौरू	.. क्यूरकस डाइलट
11	खरशू ..	.. क्यूरकस सैमीकरपीफोलिया
12	साल	.. सौरिया रौबेसटा
13	शीशम	.. डत्वर्जिया सिस्सो
14	सागौन ..	.. टेक्टोना ग्रेन्डिस
15	खैर	.. ऐकेशिया कैटैशू
16	सेमल	.. सलमेलिया मलवेरिका
17	कांजू	.. होलोपटेलिया इन्टेग्रिफलिया
18	गटेल ..	.. ट्रेबिया नूडीफ्लोरा
19	सिरिस	.. एल्विज्जिया स्पेसिज
20	सेन/आसना ..	.. टर्मीनलिया टौमेनटौसा
21	बहेड़ा	.. टर्मीनलिया बैलिरिका
22	हर्र	.. टर्मीनलिया चेबुला
23	तून	.. सैड्रेला तूना
24	हल्दू	.. ऐडीना कार्डिफोलिया
25	आम	.. मैंगीफेरा इंडिका
26	जामुन	.. सिजिजियम समिनि
27	नीम	.. अजैडिरेक्टा इंडिका
28	बकैन	.. मैलिया एजेडरेक
29	महुआ	.. मधुका लैटिफोलिया
30	अर्जुन	.. टर्मीनिलिया अरजुन
31	चिरौंजी ..	.. बुचनैनिया लैटिफोलिया
32	चन्दन	.. सन्टालम एलबम
33	इमली	.. टमारिनडस इंडिका
34	युक्लिप्टस ..	.. यूकिलिपटिस स्पेसिज
35	तेन्दू	.. डैसपेरस टोमेनटोसा

1	2	3
36	धाऊ/बकली ..	.. एनोजैसस लेटिफोलिया
37	करधई ..	.. एनोजैसस पैनडुला
38	सलई	.. बौसवेलिया सेरेटा
39	ढाक/पलास/(केवल मिर्जापुर, बनारस, बांदा और झांसी जिलों के लिये)	ब्यूटिया मोनसपरना

अनुसूची दो

(फल वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

1	सेव	.. प्यूरस मेलस
2	नाशपाती ..	.. प्यूरस कम्यूनिस
3	आलूबुखारा ..	.. पूनस कम्पुनिस
4	आड़ू ..	.. पूनस परसिको
5	खुबानी ..	.. पूनस एरमैनाइका
6	लीची	.. नैफेलियम लिची
7	आम	.. मैंगीफेरा इंडिका
8	अमरूद ..	.. पैसीडियम गाऊवा
9	अनार	.. पुलिका ग्रेनेटम
10	शरीफा	.. एैनोना स्कयूमौसा
11	सन्तरा, नारंगी, नीबू, मुसम्मी, माल्टा	.. सभी तरह के सिटरस।

अनुसूची तीन

(ईंधन वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष

उद्देश्य और कारण

पारिस्थितिक सन्तुलन रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने और भूमि के परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये हरित आवरण के अनुरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि राज्य में वृक्ष गिराने तथा उनके पुनः आरोपण को विनियमित किया जाय। इस विषय पर कोई व्यापक विधायन नहीं है, और वर्तमान अधिनियमिति को अर्थात् 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट (यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 6, 1949 ई0) प्रभावकारी नहीं पाया गया है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मंत्री।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976, में किये गये ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन–पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।

उक्त विधेयक के निम्नलिखित खंडों में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है :—

खण्ड	विधायन अधिकार जिसका प्रतिनिधान प्रस्तावित है।
3(दस)	इसके प्रतिबन्धात्मक खंड में राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार करने का अधिकार दिया जा रहा है।
6(1)	इस उपखंड में राज्य सरकार को वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र देने की नीति तथा उसमें दिये जाने वाले ब्योरे विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
6(5)	इस उपखंड में राज्य सरकार को उक्त अनुज्ञा का रूप तथा इसकी शर्तों को विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
8(2)	इस उपखंड में राज्य सरकार को रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में दी जाने वाली नोटिस का प्रपत्र तथा वह रीति जिससे वह तामील की जायगी, विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
9(2)	इस उपखंड में राज्य सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा वृक्षारोपण में व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की लागत ऐसे व्यक्ति से वसूल करने की रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
12(2)	इस उपखंड में राज्य सरकार को समपहृत इमारती लकड़ी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण करने की रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
14(2)	इस उपखंड में राज्य सरकार को अभिगृहीत इमारती लकड़ी इत्यादि के निस्तारण की रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है।
24	इस खंड में राज्य सरकार को नियम बनाने की सामान्य शक्ति दी जा रही है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मंत्री।

नत्थी 'चच'

(देखिये पीछे पृष्ठ 66 पर ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिक्त क्षेत्रों या किन्हीं अन्य क्षेत्रों के व्यापक विकास से सम्बन्धित विषयों और इस प्रयोजन के लिये निगमित निकायों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और इस अधिनियम की भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "कृषि विकास" का तात्पर्य किसी कृषि भूमि का विकास करने या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जाने वाले कार्य से है और इसमें जलोत्सारण, भूमिगत जल विकास और भू-संरक्षण सम्मिलित है ;

(ख) "कृषि उत्पादन" में कृषि उत्पादन, औद्योनिकी, मत्स्य पालन, वन, विज्ञान, रेशम, कृषि उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन, शूकर पालन और कुक्कुट पालन सम्मिलित हैं और ऐसे अन्य प्रकार के उत्पादन भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार उनका सहायक या अनुषंगिक अधिसूचित करें ;

(ग) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्र विकास प्राधिकारी से है ;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकारी के अध्यक्ष से है ;

(ङ) किसी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में "सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे सिंचाई के प्रयोजनों के लिये सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिक्त किया जा सके और जिसकी सीमायें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं ;

(च) "निर्माण-कार्य की लागत" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा अनुमानित सभी लागत, परिव्यय और व्यय से है, जिसे प्राधिकारी को निर्माण-कार्य के निष्पादन पर, या सम्बन्ध में करना पड़े, और इसमें यथाविहित कोई अन्य परिव्यय या फीस भी सम्मिलित है और इसमें ऐसे सभी व्यय भी सम्मिलित हैं, जो प्राधिकारी द्वारा उसकी वसूली के लिये किये जायं ;

(छ) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा 18 के अधीन स्थापित जिला समिति से है ;

(ज) "अपात्र व्यक्ति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो सामान्य भूमि विकास ऋण के लिये पात्र न हो, और निम्नलिखित किसी श्रेणी का हो :—

(एक) किसान जिसका कोई विधिमान्य हक नहीं हो ;

(दो) अवैध अधिभोगी ;

(तीन) अवयस्क ;

(चार) क्षेत्रपति जो संस्थागत श्रोतों की ऐसी भारी ऋण-ग्रस्तता के कारण जिन्हें अग्रतर पूंजी विनियोग के लिये धन प्राप्त करने के पूर्व चुकता करना है, संस्थागत वित्त प्राप्त करने में असमर्थ है ;

(पांच) ग्रामीण शिल्पी; या

(छः) कृषि श्रमिक ;

(झ) "भूमि विकास" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी निर्माण-कार्य से है, अर्थात् :—

(एक) जलमार्गों का निर्माण, नवीकरण, पुनःरूपांकन, पुनः संरेखन और चिनाई करना ;

(दो) भूमि को समतल करना और अनुकूल बनाना जिसमें खेत की सीमाओं का पुनः संरेखन भी सम्मिलित है ;

(तीन) खेतों में कुरिया, कुल्या और चक सड़कों को खोदना ;

(चार) खेतों में कुरिया, कुल्या और चक सड़कों की व्यवस्था करना ;

(पांच) अभियंत्रिक, जैविक और रसायनिक उपायों का उपयोग करके जिसके अन्तर्गत अपक्षालन भी है, भूमि का सुधार करना ;

(छः) कन्टर बांध और नाला बांध ;

(सात) वृक्ष, पौधा, झाड़ी और घास उगाना ;

(आठ) स्थायी और अस्थायी चारागाह, प्रक्षेत्र वन-विज्ञान और वाणिज्यिक वन रोपण का विकास ;

(नौ) ऐसे अन्य निर्माण-कार्यों जो भूमि या जमीन या जल प्रवाह क्षमता के विकास के लिये और भूमि और जल के श्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये आवश्यक या आनुषांगिक हो ; और

(दस) किसी पूर्ववर्ती निर्माण-कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण ;

(ञ) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका भूमि पर वास्तविक कब्जा हो, चाहे वह स्वामी या काश्तकार या शिकमी काश्तकार या भोग बन्धकी या लाइसेंसधारी के रूप में हो या अन्य प्रकार से हो, और जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके भूमि विकास से लाभान्वित होने की सम्भावना हो, और तदनुसार पद "जोत" का अर्थ लगाया जायगा ।

(ट) "सामान्य ऋण" का तात्पर्य किसी बैंक या किसी वित्त पोषण संस्था द्वारा किसी क्षेत्रपति को भूमि बन्धक रखने या किसी अन्य प्रतिभूति के प्रति दिये गये ऋण से है ;

(ठ) "कुलाबा का सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विशिष्ट कुलाबा का सिचाई के प्रयोजनों के लिये उपयोग होता हो ;

(ड) "योजना" के तात्पर्य धारा 14 के अधीन प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योजना से है;

(ढ) "परियोजना" का तात्पर्य भूमि विकास की किसी परियोजना या स्कीम से है ;

(ण) "परियोजना प्रशासक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्ति किया हो ;

(त) "परियोजना निदेशक" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है और इसमें ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्राधिकारी परियोजना निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत करे ;

(थ) "निर्माण–कार्य की अनुपातिक लागत" का तात्पर्य क्षेत्रपति से उसकी जोत पर या उसके लाभ के लिये किये जाने वाले निर्माण–कार्य के अनुपात में वसूल की जाने वाली निर्माण कार्य की लागत से है ;

(द) "अधिकार अभिलेख" के वही अर्थ होगा जैसा यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में है ;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य प्राधिकारी के सचिव से है ;

(न) "छोटा किसान" "सीमांत किसान" "कृषि श्रमिक" और "ग्राम शिल्पी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा इस रूप में परिभाषित व्यक्तियों से है ;

(प) "विशेष ऋण" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को दिये गये ऋण से है ;

(फ) "निर्माण–कार्य" में इस अधिनियम के अधीन किसी परियोजना के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले भूमि विकास से सम्बन्धित कोई निर्माण–कार्य भी सम्मिलित है ;

सिक्त क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना

3—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये जिसे अधिसूचित किया जाय, क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना कर सकती है :

परन्तु किसी सिचाई परियोजना के प्रत्येक सिक्त क्षेत्र के लिये एक पृथक क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी की अधिकारिता को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये जिन्हें अधिसूचित किया जाय, सिक्त क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर बढ़ा सकती है।

(2) क्षेत्र विकास प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा, और सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा ।

(3) प्राधिकारी का प्रधान कार्यालय उस स्थान पर होगा जो उसकी स्थापना की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायगा ।

प्राधिकारी का गठन

4—(1) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे—

(क) परियोजना प्रशासक जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ;

(ग) राज्य सरकार के पांच से अनधिक अधिकारी ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उसका एक प्रतिनिधि ;

(ङ) बैंकों और वित्तपोषण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य ;

(च) कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला एक सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(छ) संगत क्षेत्र के क्षेत्रपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार से अनधिक सदस्य, जिनमें से दो उस क्षेत्र के निर्बल वर्गों में से और अन्य दो उस क्षेत्र के छोटे किसानों में से नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

(2) परियोजना प्रशासक अपर, संयुक्त या उपरियोजना प्रशासकों में से किसी एक को परियोजना का सचिव नाम निर्दिष्ट करेगा ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न प्राधिकारी का कोई सदस्य तीन वर्ष के लिये पदासीन होगा जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसकी पदावधि पहले समाप्त न कर दे ।

समितियों आदि का गठन

5—(1) प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी प्रयोजन या किन्हीं प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिये, स्थायी या तदर्थ समितियों का गठन कर सकता है जिसमें या तो पूर्णरूप से प्राधिकारी के सदस्य पूर्णरूप से अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के कुछ सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति या समितियों के अशासकीय सदस्यों के निबन्धन और शर्तें वही होंगी जिन्हें अधिसूचित किया जाय ।

(3) समिति या समितियां ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो उन्हें प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जायं ।

बैठक

6—(1) प्राधिकारी की बैठक की प्रक्रिया, जिसमें बैठक के लिये गणपूर्ति भी सम्मिलित है, वही होगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय ।

(2) प्राधिकारी किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी की बैठक में उपस्थित होने के लिये किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति प्राधिकारी की किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

अंश पूंजी और अंशधारी

7—(1) प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी दस करोड़ रुपए होगी, जो दस-दस हजार रुपए के दस हजार अंशों में विभाजित होगी जिनमें से दस-दस हजार रुपए के दो हजार पूर्ण रूप से संदत्त अंश पहली बार निर्गत किये जायेंगे, और शेष अंश राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, जब कभी प्राधिकारी आवश्यक समझे, निर्गत किये जा सकते हैं।

(2) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार प्रथम बार निर्गत की जाने वाली अंश पूंजी में, ऐसे अनुपात में जो उनके द्वारा परस्पर अवधारित किया जाय अंशदान करेगी ।

(3) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुपात में, जो परस्पर अवधारित किया जाय, अंशपूंजी के अनुवर्ती निर्गम में अंशदान कर सकती है ।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकती है जैसी राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

कर्मचारी की नियुक्ति

8—(1) प्राधिकारी अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, नियुक्ति और उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा ।

(2) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियन्त्रण सचिव में निहित होगा ।

प्राधिकारी के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

9—प्राधिकारी की बैठकों की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायगी और प्राधिकारी के सभी आदेश और अन्य लिखतें प्राधिकारी के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणिकृत किये जायेंगे ।

अनौपचारिकता या रिक्ति के कारण, कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

10—प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल—

(क) प्राधिकारी या उसकी किसी समिति में कोई सिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता होने ; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने ;

के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी ।

प्राधिकारी के कृत्य

11—प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(1) अपने प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर अधिक्षेत्र के एकीकृत क्षेत्र और कृषि विकास के लिए योजना बनाना ;

(2) प्रत्येक कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को एक यूनिट मानना और दक्षतापूर्ण खेती के हित में उसका स्थल रूपरेखीय और जल विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकता के अनुसार विकास करना ;

(3) भूमि, जलस्रोतों कृषि उत्पादन का और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जो ऐसी योजनाओं को बनाने के लिये आवश्यक हो ;

(4) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए ऐसी योजनायें प्रस्तुत करना जिसमें उनका क्षेत्रवार और कार्यवार विभाजन दिखाया गया हो;

(5) राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करने के पश्चात् उन्हें कार्यान्वित करना ;

(6) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो विहित किये जायं या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं ।

प्राधिकारी की शक्ति

12—प्राधिकारी की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात् :—

(1) भूमि, जलस्रोतों और कृषि उत्पादन का और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जिन्हें प्राधिकारी योजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक समझें ;

(2) योजना को बनाने में, जिसमें उसके बनाने के लिए सर्वेक्षण भी सम्मिलित है, राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय या निगमित निकाय से सहायता की अपेक्षा करना ; और

ऐसे सर्वेक्षण या ऐसी योजना बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय–निगमित निकाय या किसी व्यक्ति विशेष से अभिलेखों और दस्तावेजों की मांग करना ;

(3) अनुमोदित योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है—

(क) सिंचाई प्रणाली का निर्माण, सुधार अनुरक्षण या परिचालन ;

(ख) मुख्य और सहायक जलोत्सारण प्रणाली का विकास और अनुरक्षण ;

(ग) किसानों द्वारा खेत की जल कुल्या और खेत की नाली का दक्ष अनुरक्षण सुनिश्चित करना ;

(घ) स्वयं अपने या अन्य अभिकरणों के माध्यम से भूमि विकास के लिये उपाय करना ;

(ङ) जल सम्भरण के, जिसमें ओसराबन्दी भी सम्मिलित है, वितरण और विनियमन के समुपयुक्त प्रणाली को लागू करना ;

(च) भूमिगत जल स्रोतों का विकास और नियंत्रण और भूमिगत जल के नियंत्रण और सिंचाई के पानी की वृद्धि, दोनों ही के लिए सतही सिंचाई के साथ-साथ उसका संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना ;

(छ) फसलों के उपयुक्त आवर्तन का चयन, प्रारम्भ और प्रवर्तन ;

(ज) विभिन्न फसलों के लिये भूमि का स्थान सीमन और विकेन्द्रीकरण ;

(झ) सभी निर्दिष्ट सामग्रियों और सेवाओं का सम्भरण सुनिश्चित करना ;

(ञ) सिक्त क्षेत्रों में क्षेत्र पतियों, कृषि श्रमिकों, ग्राम शिल्पियों के लिये सामान्य ऋण की व्यवस्था करना, और उन्हें विशेष ऋण देना और उसे वसूल करना;

(ट) विपणन, प्रसंस्करण और स्टोर करने की सुविधाओं का विकास करना ;

(ठ) पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, प्रक्षेत्र वन विज्ञान, मत्स्य पालन और औद्यानिकी के क्षेत्र में सहायक कार्यकलापों का विकास करना ;

(ड) कृषि सहकारिता और संस्थाओं का संगठन करना ;

(ढ) सड़कों का निर्माण करना;

(ण) एकीकृत क्षेत्र विकास के लिये ग्राम विकास केन्द्रों की प्रोन्नति और स्थापना करना ;

(त) कृषि प्रसार सेवा जिसमें कृषकों, शिल्पियों को प्रशिक्षण देना, प्रायोगिक केन्द्रों पर क्षेत्र सम्बन्धी अनुसन्धान और कृषक सेवा समितियां भी सम्मिलित हैं ;

(थ) छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्राम शिल्पियों की प्रोन्नति और विकास करना ;

(4) ऐसी जंगम और स्थावर सम्पत्ति अर्जित करना और रखना जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी परिसीमा के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर देना उसका विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरण करना;

(5) खुले बाजार में ब्याज वाले बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र और अन्य प्रतिभूति जारी करके धन उधार लेना ;

(6) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी बैंक या वित्त पोषण संस्था से और राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी निगमित निकाय से या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से धन उधार लेना और निक्षेप स्वीकार करना ;

(7) ऐसी फीस, देय और अन्य परिव्यय का उद्ग्रहण करना जिन्हें सिंचाई के पानी और विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने की लागत को वसूल करने के लिये आवश्यक समझा जाय ;

(8) किसी अन्य के साथ या अन्य का अपवर्जन करके कृषि उपज, बीज, उर्वरक, नाशिकीट औषधि या किसी कुटीर उद्योग के विपणन प्रसंस्करण या स्टोर करने के कार्यकलाप करना;

(9) ऐसे अन्य कार्य करना जिनका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्था की जाय ;

(10) यथाविहित कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हो ।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति

13—राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये बन्धपत्रों और ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियों और प्राधिकारी द्वारा लिये गये ऋण और निक्षेप के मूलधन के प्रतिदान और उस पर ब्याज और आनुषंगिक परिव्यय के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है ।

योजना

14—(1) प्रत्येक योजना यथा विहित रीति से और प्रपत्र में प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी और उसमें ऐसे अन्य विवरण के साथ-साथ, जो विहित किय जायं निम्नलिखित व्योरे होंगे—

(एक) योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ;

(दो) निष्पादित किया जाने वाला या किये जाने वाली निर्माण-कार्य ;

(तीन) योजना का क्षेत्र वार और निर्माण-कार्य दोनों के अनुसार प्रावस्था भाजन ;

(चार) योजना में और उसकी प्रत्येक प्रावस्था में अन्तर्ग्रस्त लागत;

(पांच) विभाग या अन्य अभिकरण जो इस समय ऐसा निर्माण-कार्य कर रहे हैं ;

(छः) सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के कर्मचारिवर्ग या ऐसा अन्य कर्मचारिवर्ग, जिनकी सेवाओं की प्राधिकारी को योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यकता होगी ;

(सात) लाभार्थियों पर उद्ग्रहणीय परिव्यय या देय ; और

(आठ) धारा 27 के अधीन उद्ग्रहणीय समुन्नति फीस।

(2) प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में पृथक भूमि विकास परियोजनाएं और योजनाएं तैयार कर सकता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी योजना में किसी अन्य वर्तमान योजना, परियोजना या स्कीम को सम्मिलित कर सकता है।

योजना का अनुमोदन

15—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी उपान्तर सहित या उपान्तर रहित योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर सकती है।

अधिसूचना का परिणाम

16—धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर दिये जाने पर (जो उसके अनुमोदित रूप में अनुमोदित योजना कही जायगी) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) राज्य सरकार अनुमोदित योजना के प्रवर्तन क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी सांविधिक निकाय या किसी निगमित निकाय से प्राधिकारी के निदेशों का पालन करने की अपेक्षा कर सकती है, और

तदुपरान्त ऐसा निकाय अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसा निदेशों का पालन करेगा ;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सांविधिक निकाय या किसी निगम द्वारा कृषि विकास के सम्बन्ध में तैयार की गयी सभी, विकास योजनाओं की सूचना प्राधिकारी को दी जायेगी और उन्हें प्राधिकारी के अनुमोदन से और ऐसे उपान्तरों या परिवर्तनों के, यदि कोई हो, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सुझाव दिया जाय, अधीन रहते हुए और ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा दिये जायं, निष्पादित किया जायगा ।

(ग) यह समझा जायगा कि प्राधिकारी को अनुमोदित योजना को कार्यान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने जिसमें समुन्नति फीस निर्माण–कार्य की लागत और अन्य परिव्यय का उदग्रहण, और विशेषत: किसी क्षेत्रपति को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में निदेश देना भी सम्मिलित है, की शक्ति प्राप्त है, अर्थात्––

(एक) रीति जिसके अनुसार खेती की जाय ;

(दो) फसलें जो उगाई जायं और ऐसी फसलों का आवर्तन ;

(तीन) कोई अन्य कृषि उत्पादन करने की रीति ;

(चार) कृषि उत्पादन के लिए विभिन्न निविष्ट सामग्री का जैसे बीज, नाशिकीट औषधि खाद, उर्वरक, मछली चारा, कुक्कुट आहार और ऐसी अन्य मदों का, जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाय, उपयोग और प्रयोग ;

(पांच) सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी ले जाने के लिये खेत जलकुल्या की व्यवस्था ;

(छः) जलोत्सारण की व्यवस्था ;

(सात) नलकूप, पम्प और सिंचाई के अन्य स्रोतों की स्थिति;

(आठ) भूमि पर बाड़ लगाना और हटाना ;

(नौ) चारागाहों की व्यवस्था ;

(दस) विनियमों द्वारा यथाव्यवस्थित समय के भीतर और रीति से विवरणियां प्रस्तुत करना जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सही और यथार्थ विवरण होगा, अर्थात्:––

(क) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिस पर उसके द्वारा खेती की गई हो, ऐसी भूमि का वर्गीकरण, उसमें उसका हित और ऐसी भूमि पर भार, यदि कोई हो ;

(ख) उसके द्वारा पैदा किये गये कृषि उत्पादन का प्रकार और उसका परिमाण ;

(ग) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय ; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य विषय जिनकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय ।

(घ) राज्य सरकार अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन का सामयिक पुनर्वलोकन करेगी ।

भूमि विकास

17––(1) प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों से अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट भूमि विकास करने की अपेक्षा करेगा या स्वविवेक से उनकी ओर से ऐसा कार्य करेंगा और लाभार्थियों से निर्माणकार्य की आनुपातिक लागत वसूल करेगा ।

(2) जहां प्राधिकारी स्वयं उपधारा (1) में यथाव्यवस्थित भूमि विकास करना चाहे वहां इस प्रकार किये गये भूमि विकास को उन क्षेत्रपतियों की जिनके लाभ के लिये वह आशयित है, सहमति से किया गया समझा जायगा ।

(3) प्रत्येक क्षेत्रपति से उद्ग्रहणीय निर्माण–कार्य की आनुपातिक लागत, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाय, उस क्षेत्रपति की भूमि पर प्रभार होगी ।

(4) वास्तविक योजना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से परियोजना निदेशक को खेत की सीमा का पुन: संरेखण करने और कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में, या किसी अन्य परियोजना क्षेत्र में क्षेत्रपतियों द्वारा धृत भूमि के क्षेत्रफल में आनुपातिक कमी करने की शक्ति होगी ।

(5) जोत में इस प्रकार किया गया संरेखण और परिवर्तन प्रभावी होगा भले ही किसी अन्य अधिनियमिति में उसके सम्बन्ध में कोई असंगत बात दी हो, और अधिकार अभिलेख में सम्यक नामान्तरण कर दिया जायगा।

जिला समिति

18—(1) प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला समिति स्थापित करेगा ।

(2) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे::—

(क) कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
(ख) परियोजना निदेशक	पदेन सचिव
(ग) पांच से अनधिक ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें ।	सदस्य

जिला समिति की बैठक

19—जिला समिति की बैठक ऐसी रीति से होगी और ऐसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय ।

जिला समिति के कृत्य और कर्त्तव्य

20—जिला समिति ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपी जाय ।

परियोजना के निदेशक के कृत्य

21—किसी विनियम के उपबन्धों या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के अधीन रहते हुए, परियोजना निदेशक भूमि विकास परियोजना या परियोजनाओं या किसी अन्य परियोजना को, जिसे प्राधिकारी अनुमोदित योजना के अन्तर्गत सौंपे, कार्यान्वित करनें का समग्र रूप से और तात्कालिक प्रभारी होगा ।

चक सभा

22—(1) किसी कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में समस्त क्षेत्रपति चक सभी बनायेंगे जो—कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के लिये चक सभा के नाम से निगमित निकाय होगी ।

(2) ऐसी चक सभा कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के भूमि–विकास के लिये निर्मित समस्त निर्माणकार्य की स्वामी होगी ।

चक समिति

23—चकसभा ऐसी रीति से जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय, अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित करेगी जो चक समिति के सदस्य होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष और एक सचिव एवं कोषाध्यक्ष होगा ।

चक समिति के कृत्य

24—(1) चक समिति विनियमों में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चक समिति कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में कुलाबा प्रणाली के अनुरक्षण, ओसार बन्दी किये जाने और भूमि विकास के वास्तविक निर्माण–कार्य के कार्यान्वयन और फसलों के आवर्तन के लिये उत्तरदायी होगी ।

सम्पत्ति, संविदा, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण

25—प्राधिकारी की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा ।

प्राधिकारी की निधि

26—(1) प्राधिकारी की अपनी निधि होगी जो "परियोजना निधि" कही जायगी, और वह स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि से भिन्न सभी प्राप्त धनराशि जमा की जायगी ।

(2) प्राधिकारी की एक और निधि होगी जो "ऋणि निधि" कही जायगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसी अन्य निधि बना सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

समुन्नति फीस

27—(1) योजना बनाते समय प्राधिकारी यह घोषणा कर सकता है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में योजना के निष्पादन से अनुरचना में सुधार और स्थायीकरण या सिंचाई सुविधाओं या संचार साधनों और अन्य सेवाओं में सुधार किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रपतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलने वाले लाभ के बदले में क्षेत्रपतियों द्वारा धृतभूमि क्षेत्र पर समुन्नति फीस उद्ग्रहणीय होंगी ।

(2) समुन्नति फीस यथाविहित रीति से निर्धारित की जायगी।

प्राधिकारी को अनुदान और वित्तीय सहायता

28—(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन करने के पश्चात् समय-समय पर, प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान और वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है ।

(2) राज्य सरकार अनुमोदित योजना में सम्मिलित किसी प्रयोजन के लिये किसी बोर्ड या अन्य निकाय या व्यक्ति विशेष को कोई वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण प्राधिकारी के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

प्राधिकारी को ऋण

29—राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और प्राधिकारी सहमत हों, ऋण दे सकती है ।

प्राधिकारी को उधार लेने की शक्ति

30—(1) प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्टाक-पत्र या बन्ध-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी और उसका ऐसी रीति से मोचन किया जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(2) प्राधिकारी ऐसी उधार ली गयी धनराशि का कोई भाग किसी अन्य निकाय को अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्ह प्राधिकारी अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

अवक्षयण संचित

31—प्राधिकारी एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये यथाविहित सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक व्यवस्था करेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

32—(1) प्राधिकारी वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र या अनुपूरक विवरण-पत्र और उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगा और उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकता है और उन्हें राज्य सरकार

को ऐसी रीति से, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक तक, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा :

परन्तु उस वित्तीय वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में ऐसा वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसा पूर्वानुमोदन प्राप्त न होने की दशा में, प्राधिकारी सभी लेखों में उतनी राशि तक को जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित राशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी राशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान और वित्तीय सहायता में से व्यय की गयी कोई धनराशि सम्मिलित न होगी ।

(2) प्राधिकारी ऐसी उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बही रखवायेगा और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से पक्का चिट्ठा तैयार करायेगा जैसी विनियमों द्वारा अपेक्षित हो ।

अधिभार

33--(1) प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की किसी धनराशि या सम्पत्ति को हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के देनदार होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कोई राशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(4) प्राधिकारी को, उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट किसी राशि को ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकारी द्वारा पारिश्रमिक के मद्धे या अन्य प्रकार से देय किसी धनराशि में से कटौती करने से निषिद्ध न करेगी ।

उद्ग्रहणीय परिव्यय

34--प्राधिकारी सिंचाई जल कुल्याओं के अनुरक्षण और मरम्मत के लिये, जहां ऐसी जल कुल्याओं का अनुरक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाय, लाभार्थियों से परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है ।

भूमि विकास की लागत और निर्माण-कार्य की लागत की वसूली

35--(1) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाय और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन भी रहते हुए, प्राधिकारी भूमि विकास की लागत और किसी निर्माण-कार्य की लागत की वसूली के लिये उस व्यक्ति से, जो ऐसी भूमि विकास और निर्माण-कार्य से लाभान्वित हुआ है, ऐसी किस्तों में और ऐसी अवधि के दौरान जैसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है ।

(2) भूमि विकास और निर्माण-कार्य की लागत की वसूली ऐसे अनुपात में की जायगी जैसा प्राधिकारी उस निर्माण-कार्य से प्रत्येक लाभार्थी की भूमि को हुये लाभ या सम्भावित लाभ को ध्यान में रखते हुये नियत करे ।

सेवा के लिये फीस

36--प्राधिकारी किसी व्यक्ति के निमित्त की गयी सेवा के लिये ऐसी फीस ले सकता है जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय ।

फीस, लागत या अन्य धनराशि की वसूली

37--इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को किसी विशेष ऋण समुन्नति फीस परिव्यय, अन्य फीस, निर्माण-कार्य की लागत, शास्ति या क्षतिपूर्ति के मद्धे देय कोई धनराशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

लागत की वसूली के प्रति अधिकार और दायित्व का अन्तरण

38--(1) जब किसी व्यक्ति से किसी निर्माण-कार्य की लागत क प्रति कोई परिव्यय धारा 35 के अधीन वसूल किया जाना हो तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, क्षेत्रपतियों से लागत या लागत के भाग की वसूली के लिये प्राधिकारी के समस्त अधिकार और दायित्व, यदि प्राधिकारी ऐसा निदेश दे, ऐसे क्षेत्रपतियों के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथापरिभाषित भूमि विकास बैंक को जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये (जिसमें प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति देने के सम्बन्ध में कोई शर्त भी सम्मिलित है), जैसा प्राधिकारी, राज्य सरकार और ऐसे बैंक के बीच सहमत हो, अन्तरित हो जायेंगे ।

(2) जहां प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन निदेश दे, वहां यह समझा जायगा कि प्रत्येक सम्बद्ध क्षेत्रपति सहकारी समिति, अर्थात् सम्बद्ध विकास बैंक का सदस्य हो गया है, और तदनुसार समिति, में एक अंश के मूल्य के बराबर राशि निर्माण-कार्य की लागत में जोड़ दी जायगी और उसके साथ वसूल की जा सकेगी ।

(3) ऐसी सहमति होने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक भू-स्वामी विकास बैंक के समक्ष अपनी भूमि से सम्बन्धित समस्त ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य को, जैसा बैंक अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

(4) प्राधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के ऐसे अन्तरण पर, विकास बैंक प्राधिकारी को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो करार के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किये गये दायित्व के बराबर होगा, और प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों को ऐसे अन्तरण की सूचना देगा, और तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाने वाली राशि विकास बैंक द्वारा वसूल की जायगी मानों वह ऐसे बैंक द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया ऋण था ।

(5) अधिकारों और दायित्वों का अन्तरण और तदनुसार उसके सम्बन्ध में किया गया भुगतान भू-स्वामी को अपने दायित्वों का प्राधिकारी को भुगतान करने को केवल उस सीमा तक उन्मोचित कर देगा जिस सीमा तक विकास बैंक द्वारा दायित्व स्वीकार किया गया है ।

अपराध और शास्ति

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

39—कोई व्यक्ति—

(क) योजना तैयार करने के लिये किसी भूमि का सर्वेक्षण करने में प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझकर बाधा नहीं पहुंचायेगा ;

(ख) किसी निर्माण-कार्य को निशानबन्दी के प्रयोजनार्थ भूमि पर स्थापित किसी स्तम्भ, खम्भा या रोक को जानबूझकर न हटायेगा और न क्षति पहुंचायेगा, और न इस प्रयोजनार्थ लगाये गये चिन्ह को विरूपित करेगा या नष्ट करेगा ;

(ग) अनुज्ञा देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक किसी जल कुल्या को न तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा और न खोलेगा ;

(घ) जानबूझकर किसी कुल्या के जल प्रवाह में न बाधा डालेगा, न उसे अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल प्राप्त करेगा ;

(ङ) प्राधिकारी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में बाधा नहीं डालेगा ;

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों की अवज्ञा नहीं करेगा।

प्राधिकारी के सदस्य, अधिकारी और सेवक लोक-सेवक होंगे

40—प्राधिकारी के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक, चाहे वह प्राधिकारी या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हों या उसकेद्वारा नियुक्त किये गये हों, जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिये तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक–सेवक समझे जायेंगे ।

अधिनियम संख्या 45, 1860

अपराधों का संज्ञान

41—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः मास के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

सामान्य शास्ति

42—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अग्रतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे, पचास रुपये तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

43—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसकेकार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता करती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उनकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दण्डनीय होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ; और

(ख) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है।

प्रवेश करने की शक्ति।

44—प्राधिकारी का कोई अधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किसी की सहायता से या बिना सहायता के किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है:—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने ;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने ;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतह, सीमा और रेखा को चिन्हांकित करने ; या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।

45—(1) जहां कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकारी के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो या जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता या दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 की उपधारा (2) और (3) और धारा 43, 48, 56, 58 और 59 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

अपराधों का शमन।

46—(1) प्राधिकारी का अध्यक्ष या सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका है तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराधों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों आदि के कर्त्तव्य।

47—राज्य सरकार के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का जिनकी जानकारी में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाय या किये जाने का प्रयास किया जाय, यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी के अधिकारियों को यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने या किये जाने का प्रयास करने की तुरन्त सूचना दे और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करें।

नीति के प्रश्नों पर प्राधिकारी को निदेश।

48—(1) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में प्राधिकारी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्गदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकारी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े; विवरणियां और अन्य सूचना।

49—(1) प्राधिकारी, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य-कलापों का विवरण दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में उन कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की सम्भावना हो, विवरण होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(2) प्राधिकारी राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े और विवरणियां और प्राधिकारी के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों या प्राधिकारी के नियन्त्रण में किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

राज्य सरकार के विभागों और अन्य सांविधिक निकायों का सहायता करने का कर्त्तव्य।

50—(1) राज्य सरकार के समस्त विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित अन्य सांविधिक निकाय प्राधिकारी को ऐसी मदद और सहायता देंगे और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेखों, मानचित्रों, नक्शों और अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपेक्षा करे, निरीक्षण और जांच करने (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने) के लिए उपलब्ध करायेंगे।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जिसके अधीन कोई सांविधिक निकाय गठित किया जाय, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकने के लिये आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

प्रतिकर का भुगतान करने की सामान्य शक्ति।

51—किसी ऐसे मामले में, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः न की गयी हो, प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकारी में निहित किसी शक्ति के प्रयोग से क्षति पहुंचे, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकती है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण।

52—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्राधिकारी या प्राधिकारी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या राज्य सरकार या प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित हो।

नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति।

53—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम

54--(1) प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों।

(2) विशेषत : और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान, जब और जहां पर ऐसी बैठक की जाय, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन और उसमें गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) प्राधिकारी के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) प्राधिकारी की सम्पत्ति का प्रबन्धक ;

(घ) प्राधिकारी की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन ;

(ङ) वह सीमा जिस तक प्राधिकारी का अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या कोई अन्य अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक और अनावर्तक व्यय करने के लिए सक्षम होगा ;

(च) प्राधिकारी द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का-चिट्ठा तैयार किया जाना ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों को, जिसके अन्तर्गत योजना का तैयार किया जाना भी है, कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ज) प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

(3) प्राधिकारी द्वारा कोई विनियम न बनाए जाने तक कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तित या विखण्डित कर सकता है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

55--राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी विनियमों द्वारा, योजना बनाने की शक्ति के सिवाय अपनी किसी शक्ति को प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

अन्य अधिनियमितियों के अधीन प्राधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदत्त की जा सकती हैं।

56--जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में कोई शक्ति किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य निकाय को सौंपी जाय, वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वह शक्ति प्राधिकारी को या अधिसूचना के विनिर्दिष्ट उसके किसी अधिकारी को प्रदत्त की गई समझी जायगी।

कठिनाइयों को दूर करना।

57—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषतः प्राधिकारी को राज्य सरकार के अन्य विभागों या प्राधिकारियों या निकायों से कृत्यों का संक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझे ;

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मन्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

निरसन और अपवाद।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32, 1976

58—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध सिंचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए और ऐसी परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए देश में सिक्त क्षेत्र योजनायें आरम्भ की गई हैं। सिक्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करना और सम्भागीय योजना के माध्यम से समन्वित विकास करना भी है।

2—किन्तु, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये परियोजना प्रशासक आवश्यक विधिक शक्ति से सम्पन्न नहीं थे।

3—इस कठिनाई का निराकरण करने और सिक्त क्षेत्र योजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबन्ध करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि सिक्त क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक विधिक शक्ति से सम्पन्न क्षेत्र विकास प्राधिकारी के नाम से एक सांविधिक प्राधिकारी को सृजन किया जाय। अतएव, यह आवश्यक समझा गया था कि प्रत्येक ऐसे सिक्त क्षेत्र के लिये, जिसके मुख्य कृत्यों में से सिक्त क्षत्र में कृषि उत्पादन की उन्नति करना और ऐसे क्षेत्र का एकीकृत विकास करना हो, ऐसे प्राधिकारी का गठन किया जाय।

4— चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त प्रयोजन के लिये व्यवस्था करना आवश्यक था अतएव राज्यपाल ने 4 अक्तूबर, 1976 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया।

5—तद्नुसार उक्त [अध्यादेश, को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'छछ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 67 पर ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (ञ—1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ञ—2) 'निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या पदयुक्त किसी अधिकारी से है।"

नई धारा 22—क और 22—ख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

कतिपय अधिकारियों की शक्ति

"22—क (1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक; जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर किये गये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध, के लिये कर सकता है।

कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्त्तव्य

22—ख—पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी निरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघनों की, जो उसकी जानकारी में आयें, तुरन्त सूचना देने और निरीक्षक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसे सहायता देने के लिये बाध्य होगा।"

उद्देश्य और कारण

चीनी फैक्टरियों और खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों में उपयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 अधिनियमित किया गया है। राज्य सरकार को विभिन्न गन्ना क्रय केन्द्रों पर कम तौलने की शिकायतें मिलती रही हैं। यह समीचीन समझा गया कि उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षकों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने के लिये विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जाय और सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों के लिये निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों की रिपोर्ट करना और जब अपेक्षित हो, उन्हें सहायता देना आवश्यक कर दिया जाय।

2--तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करने के लिये यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'जज'

(देखिये पीछे पृष्ठ. 68 पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 32 में, उपधारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक बोर्ड की निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों" के स्थान पर शब्द "प्रवर्तनीय होंगे" रख दिये जायेंगे। — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1960 की धारा 32 का संशोधन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का संशोधन इस दृष्टि से करने की प्रस्थापना है कि बोर्ड के लिये और अच्छी तरह से कार्य कर सकने की व्यवस्था की जाय और उसे खादी तथा ग्राम योजनाओं के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता मिलती रहना सुनिश्चित हो जाय। बोर्ड की खादी तथा ग्राम उद्योग योजनाओं का पूर्णतः वित्त पोषण खादी आयोग करता है। खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की इच्छानुसार अधिनियम में यह विशष उपबन्ध बनाने की प्रस्थापना है कि बोर्ड के विघटन (यदि कोई हो) की दशा में उसकी परिसम्पत्तियां तथा दायित्वों को राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

मोहसिना किदवई,
लघु उद्योग मंत्री।

नत्थी "झझ"

देखिये पीछे पृष्ठ 68 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959; यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916; संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914; उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973; उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 और संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्त प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह धारा और अध्याय 8 तुरन्त प्रवृत्त होगा, धारा 6 और 21, दिनांक 21 जून, 1976 से प्रवृत्त समझी जायगी, अध्याय 2 से 6 के शेष उपबन्ध दिनांक 15 सितम्बर, 1976 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और अध्याय 7 दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (17) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

'(17–क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 5–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है,"।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(खख) नगर प्रमुख;"।

नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

स्थानीय निकाय निदेशक

"5–क(1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, महापालिका के कार्यकलापों के संबंध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निबंन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।"

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(1) उप धारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण नगर या उसका भाग आता हो।"

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद या विशिष्ट सदस्य महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, एक महिला को सभासद नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य सख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा 8-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 11-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थातः—

नगर प्रमुख का निर्वाचन

"11-क—(1) नगर प्रमुख नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा।

(2) कोई वहिर्गामी नगर प्रमुख, धारा 15-क के साथ पठित धारा 16 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) सभासद के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथ निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्ध नगर प्रमुख के निर्वाचन के संबध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचित में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख तथा सभासद् दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या सभासद या विशिष्ट सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में नगर प्रमुख निर्वाचित हो जाए तो वह नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के दिनांक स, यथास्थिति, सभासद या विशिष्ट सदस्य नहीं रह जायगा।"

धारा 12 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "नगर प्रमुख तथा" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) उप नगर प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किया जाएगा।";

(ग) उपधारा (2) निकाल दी जाएगी;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "नगर प्रमुख तथा", निकाल दिये जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (5) में, शब्द "नगर प्रमुख तथा" निकाल दिए जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "नगर प्रमुख" निकाल दिये जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द तथा अंक "धारा 12 में" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "यथास्थिति, धारा 11-क या धारा 12 में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की पदावधि महापालिका के कार्य-काल के साथ समाप्त होगी । "

नई धारा 15-क का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"15-क—नगर प्रमुख में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव पर नगर प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव । धारा 16 के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों सहित लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) उपधारा (7) निकाल दी गई समझी जायगी ; और

(ख) उप नगर प्रमुख और नगर प्रमुख के प्रति किन्हीं निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा कि ये क्रमश: नगर प्रमुख और जिला जज के प्रति निर्देश हैं । "

धारा 16 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "बारह महीने" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष " रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "आधे से" के स्थान पर शब्द "दो-तिहाई से" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (15) में, शब्द "आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत" के स्थान पर शब्द "दो-तिहाई बहुमत" रख दिये जायेंगे ; और

(घ) उपधारा (16) में, शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द दो वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

धारा 39 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सभासद या सभासदों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा । "

धारा 51 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) के खंड (क) में, शब्द "उपनगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख" रख दिया जायगा ।

धारा 92 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर प्रमुख की यह राय हो कि किसी विषय पर जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान

के प्रस्ताव भी हैं, महापालिका या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय महापालिका के हित के विरुद्ध है, तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो यथास्थिति, महापालिका या समिति के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है) जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो वह महापालिका या ऐसी समिति का निर्णय हो:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानो वे, यथास्थिति, महापालिका या ऐसी समिति के निर्णय हों।"

धारा 117 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (5) में, शब्द "जब कभी इसमें आगे स्पष्टत: ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के, तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टत: ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए", रख दिये जायेंगे।

नई धारा 140-क का बढ़ाया जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 140 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"140-क—राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 84, धारा 534, धारा 535, धारा 537, धारा 538 या धारा 539 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके संबंध में किसी नगर महापालिका या नगर प्रमुख या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ महापालिका निधि से कोई व्यय, निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

कतिपय मुकदमों पर महापालिका निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन।

अध्याय 3

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 2 का संशोधन

19—यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(5-क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 31-ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।"

धारा 9 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"9—धारा 10 में उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा—

बोर्ड का गठन—

(क) अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) ;

(ख) निर्वाचित सदस्य जो 10 से कम और 40 से अधिक नहीं होंगे जिन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण म्युनिसिपैलिटी की सीमा या उसका भाग आता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा 10-कक का संशोधन

21—मूल अधिनियम, की धारा 10—कक को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी; और

(1) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रखा जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मैजिस्ट्रेट हो वहां वह राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्तव्य को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को (जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है) प्रतिनिहित कर सकता है, और तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खंड (ख) के अनुसार दिया जायेगा।" ;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :

"(2) जहां तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या किसी आकस्मिक रिक्ति होन के कारण बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या की आधी से कम हो जाय, वहां बोर्ड उस दिनांक से, जब बोर्ड के तत्समय सदस्यों की संख्या इस प्रकार कम हो जाय या इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, विघटित समझा जायगा।

(3) जहां कोई बोर्ड उपधारा (2) के अधीन विघटित समझा जाय, वहां ऐसे विघटन के दिनांक से जिला मजिस्ट्रेट, विधि के हेतु, उसका प्रशासक समझा जायगा और तदुपरान्त उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम होंगे।"

धारा 11 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 11 में, खंड (सी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक जिला मजिस्ट्रेट हो, वहां वह राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति, कृत्य या कर्त्तव्य को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को (जिसे यहां आगे प्रभारी अधिकारी कहा गया है) प्रतिनिहित कर सकता है और तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी का वेतन और भत्ता खंड (ख) के अनुसार दिये जायेंगे ।"

धारा 12-बी का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 12-बी में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा ।"

धारा 31 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 31 में, खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, जब तक बोर्ड का अतिक्रमण बना रहे, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों केलिये बोर्ड समझा जायगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा, और तद्नुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ; और" ।

धारा 31-ए का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 31-ए में खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे जब तक बोर्ड का पुनर्गठन न हो जाय, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन यथाशक्य करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिये बोर्ड समझा जायगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रशासक कहलायेगा और तद्नुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

नई धारा 31-ख का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 31-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

स्थानीय निकाय निदेशक

"31-ख—(1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी ।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्तत: समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का (जो धारा 30 के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में

अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।"

धारा 40 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(क) उपधारा (1) में खंड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ज) वह सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य दुराचरण का दोषी है, चाहे वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया हो ;";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) राज्य सरकार, बोर्ड से किसी सदस्य को हटा सकती है जिसने, उसकी राय में, बोर्ड के वर्तमान या अंतिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य होते हुए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या किसी समिति के सभापति, या सदस्य, या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान-बूझकर इतना उल्लंघन किया है, या बोर्ड की निधि या सम्पत्ति को इतनी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह सदस्य बने रहने के लिये अयोग्य हो गया है।"

धारा 43 का प्रतिस्थापन

28—मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष का निर्वाचन

"43—(1) अध्यक्ष, म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा।

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) सदस्य के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या बोर्ड का सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, तो वह, धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायगा।"

धारा 44-ए का प्रतिस्थापन

29—मूल अधिनियम की धारा 44—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"44—क—यदि मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाय तो तत्पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायगा :

अध्यक्ष का उपनिर्वाचन

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के पद में, चाहे वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् हुई आकस्मिक रिक्ति की दशा में, उसकी पूर्ति बोर्ड के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किये गये निर्वाचन द्वारा की जायगी, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त-मत-पत्र द्वारा होगा।"

धारा 46 का प्रतिस्थापन

30—मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"46—(1) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का पदावधि, बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि के शेष भाग के लिये होगी।"

धारा 48 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 48 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, उपखंड (vii) और (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(vii) बोर्ड के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, या किसी समिति के सभापति या सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कार्य करते हुये अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान-बूझ कर इतना उल्लंघन किया है, या बोर्ड की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह अध्यक्ष बने रहने के अयोग्य हो जाता है ; या

(viii) चाहे अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में, या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया है।"।

धारा 54 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 54 में, —

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन

रहते हुए, किसी प्रकार के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसीडेंट) की पदावधि बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।"

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थिति, बोर्ड के सम्यक् गठन के दिनांक से, जैसा कि धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाय, या रिक्ति के दिनांक से, तीन मास के भीतर, पूरा किया जायगा।"

धारा 54–ए का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 54–ए में, उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(1) जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इन्कार करता है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है, या धारा 44–क के अर्थान्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, और इस अधिनियम के अनुसार कोई उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है, या कोई उपाध्यक्ष अन्यथा कार्य करने के लिये नहीं है, वहां अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कृत्य करने के योग्य न हो जाय, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायगा और ऐसा अधिकारी प्रशासक कहलायेगा, और तद्नुसार धारा 10–कक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(2) धारा 54 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये बैठक बोर्ड के कार्यालय में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक को और समय पर होगी। बैठक और उसके लिये नियत दिनांक और समय की नोटिस बैठक के लिये निश्चित दिनांक से पूरे सात दिन पूर्व बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को उनके निवास स्थान पर भेजी जायगी। ऐसी नोटिस की एक प्रति ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायगी जिसका निदेश जिला मजिस्ट्रेट दे, और ऐसे प्रकाशन पर यह समझा जायगा कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस मिल गयी है।"

धारा 81 का प्रतिस्थापन

34—मूल अधिनियम की धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"81—(1) बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक बोर्ड के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन के होने के दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से, जब ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक अपने

पद पर न रह जाय, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा।

(2) इस प्रकार आरोपित अधिभार की राशि इस प्रकार वसूल की जायगी मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो और कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त राशि देय है, उसे बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, दुर्व्यय या दुरुप्रयोजन में सम्मिलित राशि की वसूली ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(4) जहां अधिभार की कार्यवाही न की जाय, वहां बोर्ड विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से या उसके द्वारा निदेश दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर के लिये वाद संस्थित कर सकता है।"

धारा 87–क का संशोधन

35––मूल अधिनियम की धारा 87–क में,––

(क) उपधार (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"(2) बोर्ड के अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, मय उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस में हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा यक्तिगत रूप । एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दिया जायेगा।";

(ख) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"(12) प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जायगा जब वह बोर्ड के कुल सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो।"

(ग) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"(13) यदि प्रस्ताव यथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय, या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण, जो तत्समय बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के दो–तिहाई से कम न होगी, न हो सके तो उसी अध्यक्ष में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा जब तक कि बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।";

(घ) उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"(14) इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा।"

धारा 92 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायंगे, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां अध्यक्ष [जो धारा 43 के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व थी, या धारा 44-क के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष न हो] की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान के प्रस्ताव भी हैं) बोर्ड की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय बोर्ड के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो बोर्ड के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है) जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो वह बोर्ड का निर्णय हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे; और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानो वे बोर्ड के निर्णय हों।"

नयी धारा 120-क का बढ़ाया जाना।

कतिपय मुकदमों पर नगरपालिका निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन।

37—मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"120-क—राज्य सरकार द्वारा धारा 30, धारा 34, धारा 40 या धारा 48 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है उसके संबंध में बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से कोई व्यय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

धारा 333 का संशोधन

38—मूल अधिनियम की धारा 333 में, प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 10-कक के उपबन्ध, ऐसे अधिकारी पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे जैसे वे प्रशासक पर लागू होते हैं।"

धारा 338 का संशोधन

39—मूल अधिनियम की धारा 338 म उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक महिला को नोटीफाइड एरिया कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।"

अध्याय 4

संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 5 का संशोधन

40—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो तो राज्य सरकार इस प्रकार की अधिसूचना द्वारा एक महिला को कमेटी का सदस्य नियुक्त कर सकती है; और तदुपरान्त कमेटी की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।"

धारा 8-क का संशोधन

41—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) यदि सभापति (चेयरमैन) के देहान्त हो जाने, हटाये जाने या त्याग-पत्र देने के कारण कोई रिक्ति होती है, या उनका निर्वाचन इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो सभापति का निर्वाचन ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस सभापति के पद की अवधि रिक्ति होने के एक वर्ष के भीतर सामान्य घटना-क्रम में समाप्त हो गई होती, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन अगले निर्वाचन तक न भरा जाय।"

नयी धारा 23-क का बढ़ाया जाना

42—मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कतिपय मुकदमों पर नगर निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन

"23-क—राज्य सरकार द्वारा धारा 7-क या धारा 36 के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके संबंध में टाउन एरिया कमेटी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगर निधि से कोई व्यय जिला मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित और संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 41 का संशोधन

43—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 में, उपधारा (3) में, शब्द "प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "प्राधिकरण अथवा सभापति (चेयरमैन)" रख दिये जायेंगे।

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1958 की धारा 2 का संशोधन

44—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में—

(1) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) 'भवन' का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में है ; " ;

(2) इस अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में खंड (एफ) में शब्द "रेगूलेशन्स" के लिए शब्द "रूल्स" रख दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

45—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, शब्द, अक्षर, तथा अंक "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178 से 186 तक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "यूनाइटेड प्रांविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178, 179, 180, 180-ए, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

46—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, खंड (क) में शब्द "सचिव, स्वायत्त शासन, या" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

47—मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायें" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों और जिन्हें वह निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या एकाधिक के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, जारी कर सकती है " रख दिये जायेंगे।

नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना

48—मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"5-क—(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र का महायोजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित हो तो वह ऐसी योजना या तो नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, तैयार करा सकती है।

विनियमित क्षेत्र के लिये महायोजना

(2) प्रत्येक ऐसी योजना तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुरूप होंगी।

(3) महायोजना का पुनरीक्षण प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर किया जायगा, और यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उसका पुनरीक्षण इसके पूर्व भी किया जा सकता है।"

धारा 6 का संशोधन

49—मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जायगा।

धारा 7 का संशोधन

50—मूल अधिनियम की धारा 7 म,

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा या तो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायं, अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा।

(2-क) एकमात्र वे कारण जिन पर अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकता ह, निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य के स्थल के उपयोग से अथवा स्थल नक्शे, भूमि-नक्शे, उत्सेध, सेक्शन या विनिर्दिष्टियों में समाविष्ट किसी ब्योरे से किसी विधि या इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होगा ;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे नहीं दिए गए हैं अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ;

(ग) नियमों या विनियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई सूचना या लेख्य यथाविधि प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(घ) प्रस्तावित भवन से किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, अतिक्रमण होगा ;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल सड़क से लगा हुआ नहीं है, और उस भवन में ऐसी सड़क से, उस स्थल से सम्बद्ध किसी ऐसे मार्ग या रास्ते द्वारा जो बारह फीट से कम चौड़ा न हो, पहुंचने का कोई साधन नहीं है ;

(च) निर्माण-कार्य का स्थल ऐसे क्षेत्र का भाग है, जिसका विन्यास नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है ;

(छ) प्रस्तावित भवन का उपयोग या नक्शा महायोजना के अनुरूप नहीं है।

(2-ख) यदि प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरें न दिए गए हों अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो नियत प्राधिकारी उसे अस्वीकार करने के बजाय, प्रार्थी को उसे संगत नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनाए जाने के लिए लौटा सकता है ;

(2-ग) विशेषतया, और उपधारा (2) म दिए गए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, नियत प्राधिकारी, किसी भूमि क्षेत्र को कालोनी के रूप में विकसित करने के लिए धारा 6 के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित सभी या कोई शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात्—

(क) प्रार्थी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे अभिकरण के माध्यम से जो निर्दिष्ट किया जाय, नियत मानकों के अनसार ऐसे क्षेत्र का विकास और उसमें सुख-सुविधाओं

की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा तथा तदर्थ ऐसे प्राधिकारी या अन्य अभिकरण से अनुबन्ध करेगा अथवा उसे पर्याप्त प्रतिभूति देगा, अथवा स्वयं ऐसा विकास और ऐसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने का वचन देगा और राज्यपाल के पक्ष में, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित तदर्थ बन्धपत्र, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार निष्पादित करेगा ;

(ख) प्रार्थी राज्य सरकार या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं के लिए अलग रखी जाने वाली भूमि या तो बिना मूल्य के या ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जाये, अन्तरित करेगा ।

(2-घ) उपधारा (2-ग) के अधीन प्रार्थी द्वारा निष्पादित किसी बन्धपत्र के सम्बन्ध में दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 445, 446, 447 और 449 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे लागू होंगे मानों मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के स्थान पर नियत प्राधिकारी के प्रति अभिदेश और सेशन्स न्यायाधीश के प्रति अभिदेश के स्थान पर नियन्त्रक प्राधिकारी के प्रति अभिदेश रख दिए गए हों।" ;

(2) उपधारा (4) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जायगा ।

धारा 8 का संशोधन

51—मूल अधिनियम की धारा 8 में, खंड (ग) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम" रख दिए जायेंगे।

धारा 8-ख का निकाला जाना

52—मूल अधिनियम की धारा 8-ख निकाल दी जायगी ।

धारा 9 का संशोधन

53—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में —

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों" रख दिए जायेंगे ; और

(2) शब्द "ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो" के पश्चात् शब्द "या किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने या किसी निर्माण-कार्य को निष्पादित करने से रोकने के लिए धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का उल्लंघन करके" रख दिए जायेंगे ।

धारा 10 का संशोधन

54—मूल अधिनियम की धारा 10 की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और —

(1) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम" रख दिए जायेंगे ;

(ख) शब्द "किसी ऐसे अभियोजन (Proseoution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" रख दिए जायेंगे ;

(ग) शब्द "स्वयं" के पश्चात शब्द "सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे यह उचित समझे," रख दिए जायेंगे ;

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी ऐसे निर्माण-कार्य का निष्पादन जो कि धारा 6 में अभिनिर्दिष्ट है, अवैध रूप से प्रारम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या निष्पादन का निदेश देने वाले या उसे करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल रोक दे, और उसके ऐसा न करने पर ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के किए जाने को या निष्पादन को रुकवा सकता है और उसके लिए ऐसे युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 12 का संशोधन

55—मूल अधिनियम की धारा 12 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन निविष्ट किए जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात्, ऐसी शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत अपराध के लिए संधान स्वरूप धनराशि का भुगतान भी हो सकता है) जैसा, यथास्थिति, वह या नियन्त्रक प्राधिकारी उचित समझे अभिसंधान कर सकता है, और नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, अभिसंधान करेगा।"

धारा 14 का निकाला जाना

56—मूल अधिनियम की धारा 14 निकाल दी जायगी।

धारा 15-क का प्रतिस्थापन

57—मूल अधिनियम की धारा 15-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"15-क—(1) राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा की वैधता अथवा उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे :

राज्य सरकार का पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो नियन्त्रक प्राधिकारी के सभापति से निम्न न होगा, प्रतिनिहित कर सकती है।"

नई धारा 16-क का बढ़ाया जाना

58—मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"16-क—(1) किसी नगर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है) की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या नियन्त्रक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी समस्त फीस और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि सम्बद्ध नगर महापालिका की निधि में जमा की जायगी।

स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में फीस आदि का जमा किया जाना

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों का प्रसार, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा-परिभाषित किसी म्युनिसिपैलिटी पर ऐसे दिनांक से जैसा वह निदेश दे, कर सकती है, और तद्परान्त उस उपधारा में नगर के प्रति अभिदेशों का उस म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो उनके अन्तर्गत उक्त म्युनिसिपैलिटी के लिए अभिदेश भी हो।

(3) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध किसी नगर पर लागू न रहेंगे, और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे नगर पर लागू न रह जायेंगे और इसी प्रकार उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति को बिखंडित कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध सम्बद्ध म्युनिसिपैलिटी पर लागू न रह जायेंगे।

(4) प्रत्येक नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड, जिस पर तत्समय उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, जब नियत प्राधिकारी या नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाय, उसे ऐसे कर्मचारिवर्ग उपलब्ध करेगा जो, यथास्थिति, नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर उस प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हों।"

धारा 17 का संशोधन

59—मूल अधिनियम की धारा 17 में, शब्द "किसी अन्य विधि" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

60—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जायगा ;

(2) उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जायगा।

नई धारा 20 का बढ़ाया जाना

61—मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"20—इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और, जब तक

विधान मन्डल के समक्ष विनियमों का रखा जाना

कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

62—मूल अधिनियम की धारा 19 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गए सभी विनियम और मूल अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 19 या धारा 5 के अधीन बनाए गए क्रमश: नियमों तथा विनियमों के रूप में प्रभावी होंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा परिवर्द्धित, संशोधित या विखंडित न कर दिए जायं।

अध्याय 7

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938 की धारा 2 का संशोधन

63—संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, परन्तुक निकाल दिया जायगा।

धारा 4 में परन्तुक का बढ़ाया जाना

64—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खंड (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:

"परन्तु इलाहाबाद और हरिद्वार में लगने वाले कुम्भ मेला और अर्ध कुम्भ मेला के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रत्येक ऐसे मेला के प्रभारी अधिकारी में निहित होंगे :

परन्तु यह भी कि ऐसा प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रभारी अधिकारी के रूप में उक्त कोई अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो धारा 5 के अधीन अधिकार न हो, ऐसे कुम्भ मेला या अर्ध कुम्भ मेला के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर प्रभारी अधिकारी या उप प्रभारी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।"

धारा 11 का संशोधन

65—मूल अधिनियम की धारा 11 में, शब्द और अंक "100 रुपये" और "25 रुपए" के स्थान पर क्रमश: शब्द "एक हजार रुपये" और "एक सौ रुपये" रख दिए जायेंगे।

नयी धारा 16 का बढ़ाया जाना

66—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :

कतिपय प्रयोजनों के लिए मेला क्षेत्र में उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959 का लागू होना

"16—राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 296, 298, 299 और 300 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति को, विज्ञप्ति द्वारा, मेला के प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर सकती है, और ऐसी विज्ञप्ति जारी हो जाने पर इन धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्र पर इस प्रकार लागू होंगे मानों मेला क्षेत्र "नगर" का एक भाग है और

प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित "मुख्य नगराधिकारी" है और मानों धारा 8 के अधीन प्रभारी अधिकारी के किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन है।"

अध्याय 8

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1976, संख्या 28, 1976 और संख्या 31, 1976।

67—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 और उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी।

उद्देश्य और कारण

नगरमहापालिका, लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी के प्रशासकों का कार्यकाल 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाला था। यह लोक-हित में समझा गया कि इनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8-क का संशोधन किया जाय।

2—यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में ऐसी आकस्मिकता के लिए, जिसमें बोर्ड के अधिकांश सदस्य पद त्याग दें, कोई व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति के लिए और अन्य विषयों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 10-ए/ए का संशोधन किया जाय।

3—चूंकि उपर्युक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल ने 21 जून, 1976 को उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया था।

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 विधान सभा में पुर: स्थापित किया गया था और यह विधेयक उक्त सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था। प्रवर समिति ने अपनी सिफारिशें 12 मई, 1976 को सदन के समक्ष रखी। विधेयक के उपबन्धों को मोटे तौर से प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार तुरन्त प्रवृत्त करने की दृष्टि से राज्यपाल ने 15 सितम्बर, 1976 को उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया था।

5—मेला क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में अतिक्रमणों को कारगर ढंग से हटाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह समीचीन समझा गया कि मेला के प्रभारी अधिकारी को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के अधीन मुख्य नगर अधिकारी की शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में लगने वाला कुम्भ मेले और अर्ध कुम्भ मेले के सम्बन्ध में भी यह आवश्यक समझा गया कि संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति ऐसे प्रत्येक मेला के प्रभारी अधिकारी को प्रदान करने की व्यवस्था की जाय ताकि वे इन मेला क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण कार्यवाही कर सकें। चूंकि इलाहाबाद का प्रसिद्ध कुम्भ मेला जनवरी, 1977 में हो रहा है और तुरन्त अपेक्षित व्यवस्था करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल ने संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 का संशोधन करने के लिए 4 अक्तूबर, 1976 को उत्तर प्रदेश मेला (संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया।

6—तद्नुसार यह विधेयक उपर्युक्त तीनों अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

नत्थी 'ङ' ङ.'

(देखिए पीछे पृष्ठ 68 पर।)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में——

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,
माध्यस्थम् अधिनियम, 1940,
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872,
बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887,
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887,
सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, और
हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956,

का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1——(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक मे प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

अध्याय 2

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 5, 1908 की धारा 35-क का संशोधन

2——सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 35-क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात :——

"(1-क) उपधारा (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित अपील पर भी लागू होंगे जब कि अपील न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि की जाय और विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रतिकारात्मक खर्चा न प्रदान किया जाय या अपर्याप्त प्रदान किया जाय।"

धारा 47 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1954

3——मूल अधिनियम की धारा 47 में, उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा बढ़ाया गया स्पष्टीकरण-ii निकाल दिया जायगा।

प्रथम अनुसूची, आदेश 2, का संशोधन

4—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची (जिसे आगे इस अध्याय में प्रथम अनुसूची कहा गया है), में आदेश 2 में, नियम 2 में –

(क) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-1 के रूप में संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण—2 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"स्पष्टीकरण–2—इस नियम के प्रयोजनार्थ, प्रतिवादी को भाटक पर दी गई स्थावर सम्पत्ति से उसकी बेदखली का दावा और उस सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए भाटक या प्रतिकर हेतु उसके द्वारा देय धन का दावा सुभिन्न वाद हेतुकों के सम्बन्ध में दावा समझा जायगा।"

(ख) दृष्टान्त के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टान्त रख दिया जायगा, अर्थात् –

"दृष्टान्त—'क' स्थावर सम्पत्ति 'ख' को वार्षिक भाटक पर उठाता है। सन् 1905, 1906 और 1907 इन सब पूरे वर्षों का भाटक शोध्य है और दिया नहीं गया है, और 'क' सन् 1908 में 'ख' के विरुद्ध केवल सन् 1906 के लिए देय भाटक का दावा करता है, इसके पूर्व ही किरायेदारी को समाप्त कर दिया जाता है। 'क' तदन्तर 'ख' के विरुद्ध बेदखली का वाद ला सकता है किन्तु सन् 1905 या 1907 के लिए देय भाटक का नहीं"।

आदेश 4-क का बढ़ाया जाना

5—प्रथम अनुसूची में, आदेश 4 के पश्चात् निम्नलिखित आदेश बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् —

"आदेश 4-क

मामलों का समेकन

1—वादों और कार्यवाहियों का समेकन—जब एक ही न्यायालय में दो या अधिक वाद या कार्यवाहियां लम्बित हो, और न्यायालय की राय हो कि न्याय के हित में यह समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त विचारण का निदेश दे सकता है जिसके पश्चात् समस्त ऐसे वादों और कार्यवाहियों का विनिश्चय समस्त या किन्हीं ऐसे वादों या कार्यवाहियों के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है।"

आदेश 6 का संशोधन

6—प्रथम अनुसूची में, आदेश 6 में, नियम 15 में, उपनियम (1) में, शब्द "उसके पादभाग में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"संहिता की धारा 139 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिलाए गए शपथ पर,"।

आदेश 15 का शोधन

7—प्रथम अनुसूची में आदेश 15 में, वर्तमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायगा, अर्थात् —

"5—स्वीकृत भाटक आदि निक्षेप न करने पर प्रतिवादी का प्रतिरक्षा प्रतिवाद वहिष्कृत किया जाना —

(1) किसी पट्टेदार के विरुद्ध उसके पट्टा के पर्यवसान के पश्चात् पट्टाकर्ता के द्वारा बेदखली के और उपयोग और अधिभोग के लिए उससे भाटक (किराया) या प्रतिकर के प्रत्युद्धरण के वाद में प्रतिवादी वाद की पहली सुनवाई पर या उसके पूर्व सम्पूर्ण

राशि, जिसे वह स्वीकार करे कि उसके द्वारा देय है, उस पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित जमा करेगा और चाहे वह किसी राशि का देय होना स्वीकार करे या नहीं, वह वाद के प्रचलन काल में आद्यन्त प्रतिमास देय राशि को उसके देय होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर नियमित रूप से जमा करेगा और सम्पूर्ण राशि, जिसे वह स्वीकार करें कि देय है, या जैसा ऊपर कहा गया है, मासिक राशि के जमा करने में किसी व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय उसके प्रतिरक्षा प्रतिवाद को उपनियम (2) के अधीन रहते हुए बहिष्कृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—1—पद "पहली सुनवायी" का अभिप्राय समन में लिखित कथन फाइल करने के लिए या सुनवाई के लिए उल्लिखित तारीख से है या यदि ऐसी तारीख एक से अधिक उल्लिखित है तो उल्लिखित तारीखों में अन्तिम से है।

स्पष्टीकरण—2—पद "सम्पूर्ण राशि जिसे वह स्वीकार करे कि उसके द्वारा देय है" का अभिप्राय सम्पूर्ण सकल राशि से है, चाहे वह भाटक (किराया) हो या उपयोग और अधिभोग के लिए प्रतिकर हो, जिसकी गणना भाटक (किराया) के स्वीकारोक्त दर पर बकाया की स्वीकारोक्त अवधि के लिए सिवाय उन करों के, यदि कोई हों, जो भवन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी को पट्टाकर्ता के हिसाब में दिए गए हों, और उस राशि के, यदि कोई हो, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 30 के अधीन न्यायालय में जमा की गई हो, कोई अन्य कटौती किए बिना की जाएगी।" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972

स्पष्टीकरण—3—पद "प्रतिमास देय राशि" का अभिप्राय भाटक (किराया) के स्वीकारोक्त दर पर प्रतिमास देय राशि से है, चाहे वह भाटक (किराया) हो या उपयोग या अधिभोग के लिए प्रतिकर हो, जिसमें से उस भवन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी को पट्टाकर्ता के हिसाब में दिए गए करों के, यदि कोई हों, सिवाय कोई अन्य कटौती न की गई हो।

(2) प्रतिरक्षा को बहिष्कृत करने के लिए आदेश देने के पूर्व न्यायालय प्रतिवादी द्वारा उस विषय में दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है; यदि वह अभ्यावेदन पहली सुनवाई में या, यथास्थिति उपधारा (1) में निर्दिष्ट सप्ताह के अवसान के दस दिनों के भीतर दिया जाय।

(3) इस नियम के अधीन जमा की गई रकम को वादी किसी समय निकाल सकता है :

परन्तु यह कि ऐसी निकासी से जमा की गई रकम के सही होने के बारे में वादी की किसी आपत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा :

परन्तु यह और कि यदि जमाकर्ता का यह दावा है कि जमा की गई राशि से किसी धनराशि की कटौती किसी हिसाब में होनी चाहिए, तो न्यायालय वादी से इसके पूर्व कि उसे वह राशि निकालने दिया जाय, प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा।

आदेश 16 का संशोधन

8—प्रथम अनुसूची में, आदेश 16 में,—

(क) नियम 2 में,

(i) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जहां किसी सरकारी सेवक को समन करने के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार सरकार हो, वहां उसके लिए न्यायालय में कोई ऐसा भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।";

(ii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया उपनियम (4) निकाल दिया जायगा और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा बढ़ाए गए उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात् —

"(4-क) साक्षी सरकारी सेवक के भत्ते आदि का खर्चे के रूप में विनिर्धारण—किसी सरकारी सेवक को जो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हो, देय कोई यात्रा और दैनिक भत्ता और वेतन ऐसे साक्षी द्वारा राशि के प्रमाणित किए जाने पर खर्चे के रूप में विनिर्धारित होगा।

स्पष्टीकरण—1—यात्रा और दैनिक भत्ता सम्बन्धित सरकारी सेवक पर लागू ऐसे भत्ते को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण—2—सरकारी सेवक का दैनिक भत्ता और वेतन न्यायालय द्वारा अपेक्षित उसकी उपस्थिति के दिनों से समानुपातिक होगा।"

(ख) नियम 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जहां साक्षी कोई सरकारी सेवक हो जिसे सरकार के पक्षकार के रूप में अनुरोध पर समन द्वारा बुलया गया हो।"

आदेश 19 का संशोधन

9—प्रथम अनुसूची में आदेश 19 में, नियम 1 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात् —

"परन्तु यदि न्यायालय को किसी पक्षकार के अनुरोध पर या अन्यथा और ऐसा शपथ-पत्र फाइल करने के पूर्व या पश्चात् यह प्रतीत हो कि प्रतिपरीक्षा के लिए ऐसे साक्षी को पेश करना आवश्यक है और उसे उपस्थित कराया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे साक्षी को उपस्थित होने के लिए आदेश देगा, तत्पश्चात् साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा की जा सकती है।"

आदेश 21 का संशोधन

10—प्रथम अनुसूची में, आदेश 21 में, इलाहाबाद उच्च-न्यायालय द्वारा बढ़ाए गए नियम 104, नियम 105 और नियम 106 को क्रमश: नियम 106-क, नियम 106-ख और नियम 106-ग के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा।

आदेश 27 का संशोधन

11—प्रथम अनुसूची में, आदेश 27 में,—

(क) शीर्षक में, शब्द "पदीय हैसियत में लोक आफिसरों" के पश्चात् शब्द "या सांविधिक प्राधिकारियों आदि" बढ़ा दिए जायेंगे,

(ख) इलाहाबाद उच्च-न्यायालय द्वारा बढ़ाए गए नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"10—सांविधिक प्राधिकारियों के द्वारा या विरुद्ध वाद—

(1) किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित कोई प्राधिकारी या

निगम समय-समय पर किसी जिले में एक स्थायी काउन्सेल नियुक्त कर सकेगा, जिसे उस प्राधिकारी का निगम प्लीडर कहा जायगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना जिला न्यायाधीश को दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त निगम प्लीडर उस जिले में नियोजक प्राधिकार या निगम के विरुद्ध आदेशिका प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसका अभिकर्ता होगा किन्तु वह वकालतनामा या उपसंजाति का ज्ञापन प्रस्तुत किए बिना कोई कार्य या अभिवचन नहीं करेगा।"

आदेश 29 का संशोधन

12—प्रथम अनुसूची में, आदेश 29 में, नियम 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"(कक) उसके निगम प्लीडर पर की जा सकेगी, यदि कोई उस जिले में, जहां समन जारी करने वाला न्यायालय अवस्थित हो, नियुक्त किया गया है और नियुक्ति आदेश 27 के नियम 10 के अधीन जिला-न्यायाधीश को अधिसूचित की गयी है ; अथवा"।

आदेश 39 का संशोधन

13—प्रथम अनुसूची में, आदेश 39 में —

(क) नियम 2 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"परन्तु ऐसा कोई व्यादेश,—

(क) जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 और धारा 41 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कोई शाश्वत व्यादेश अनुदत्त न किया जा सके, या

(ख) किसी कर्मचारी के जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी भी है, स्थानान्तरण, उस के निलम्बन, उसकी पदावनति, उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति, उसकी पदच्युति, उसके हटाने या अन्य प्रकार से उसकी सेवा समाप्ति या उससे कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए, अथवा

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लम्बित या आशयित किसी अनुशासनिक कार्यवाही को या किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रभाव को रोकने के लिए, अथवा

(घ) किसी शिक्षा संस्था, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी है, या किसी सोसाइटी के आन्तरिक प्रबन्ध या कार्यकलाप को प्रभावित करने के लिए, अथवा

(ङ) किसी निर्वाचन को अवरुद्ध करने के लिए, अथवा

(च) सरकार द्वारा किए जाने के लिए आशयित किसी नीलाम को या किए गए किसी नीलाम के प्रभाव को अवरुद्ध करने के लिए, अथवा

(छ) जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय तब तक भू-राजस्व की भांति वसूल करने योग्य किसी देय की वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए, अथवा

(ज) ऐसे किसी मामले में, जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कोई निर्देश अर्पित किया जा सकता हो,

अनुदत्त नहीं किया जायगा और इन उपबन्धों का उल्लंघन करके अनुदत्त व्यादेश के लिए कोई आदेश शून्य होगा।"

(ख) नियम 4 में—

(i) शब्द "उस न्यायालय द्वारा" के पूर्व शब्द "या स्वप्रेरणा से कारण अभिलिखित करके" बढ़ा दिए जायेंगे :—

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा; अर्थात् :—

"परन्तु यदि वाद के किसी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि ऐसा पक्षकार जिसके पक्ष में व्यादेश का आदेश है, न्यायालय की प्रक्रिया में विलम्ब कर रहा है या उसका अन्यथा दुरुपयोग कर रहा है है तो वह व्यादेश के आदेश को अपास्त कर देगा।"

आदेश 45 का संशोधन

14—प्रथम अनुसूची में, आदेश 45 में, नियम 2 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहता है वह नियम 3 के उपनियम (1) में अनुध्यात प्रमाण-पत्र के लिए उस न्यायालय में, जिसकी डिक्री का परिवाद करना है, न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाने के तुरन्त पूर्व या पश्चात् मौखिक रूप से आवेदन कर सकता है, और न्यायालय या तो प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकता है या इन्कार कर सकता है या आवेदक को उपनियम (1) की अपेक्षानुसार याचिका फाइल करने का निदेश दे सकता है :

परन्तु यदि मौखिक आवेदन ग्रहण और नामन्जूर किया जाता है तो उपनियम (1) के अधीन कोई लिखित याचिका नहीं दी जा सकेगी।"

अध्याय 3

माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का संशोधन

अधिनियम संख्या 10, 1940 की धारा 4 का संशोधन

15—माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 को पुन : संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी और इस प्रकार पुन : संख्यांकित उपधारा (1 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् —

"(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जहां कोई नियुक्त मध्यस्थ उपेक्षा करता है या कार्य करने से इन्कार करता है, या कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति द्वारा रिक्ति की पूर्ति की जायगी।

(3) यदि उपर्युक्त अभिहित व्यक्ति माध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार द्वारा उस पर सूचना तामील किए जाने के पश्चात् एक मास के अन्दर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति या उपधारा (2) के अधीन रिक्ति की पूर्ति नहीं करता है तो पक्षकार संयुक्त रूप से, यथास्थिति, मध्यस्थ नियुक्त कर सकते है या रिक्ति की पूर्ति कर सकते हैं।"

धारा 8 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "और, यथास्थिति, पक्षकार या मध्यस्थ उस रिक्ति की पूर्ति न करे" के स्थान पर शब्द "और, यथास्थिति, पक्षकार या मध्यस्थ उस रिक्ति की पूर्ति न करे, या अभिहित व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, उस रिक्ति की पूर्ति न करे" रख दिए जायेंगे।

17—मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "पन्द्रह पूर्ण दिनों" के स्थान पर, शब्द "एक मास या जहां वह पक्षकार सरकार है, वहां तीन मास" रख दिए जायेंगे,

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "धारा 8 और इस धारा के अर्थ में" के स्थान पर, शब्द "धारा 4 की उपधारा (2), धारा 8 और इस धारा के अर्थ में" रख दिए जायेंगे।

18—मूल अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन

(क) वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्—

"निर्देश के लिए न्यायालय को आवेदन";

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "करार न्यायालय में फाइल किया जाए" के स्थान पर, शब्द "करार के अनुसार निर्देश किया जाए" रख दिए जायेंगे;

(क) उपधारा (3) में, शब्द "करार फाइल क्यों न किया जाए" के स्थान पर, शब्द "करार के अनुसार निर्देश क्यों न किया जाए" रख दिए जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में,—

(i) शब्द "करार के फाइल किए जाने का आदेश देगा और" निकाल दिए जायेंगे,

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—जहां माध्यस्थम् करार में यह व्यवस्था हो कि निर्देश किसी व्यक्ति को नामत: या पदाभिधानत: किया जायगा, वहां यह तथ्य कि इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाला मध्यस्थ या अधिनिर्णायक किसी पक्षकार का कर्मचारी है या उससे अन्यथा सम्बन्धित है इसके लिए कारण नहीं समझा जायगा कि उस मामले का निर्देश इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाले मध्यस्थ या अधिनिर्णायक को न किया जाय।"

19—मूल अधिनियम की धारा 34 में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् — धार 34 का संशोधन

"स्पष्टीकरण—1—जहां यह व्यवस्था हो कि निर्देश किसी व्यक्ति को नामत: या पदाभिधानत: किया जायगा, वहां यह तथ्य कि इस प्रकार नाम या पदाभिधान वाला मध्यस्थ या अधिनिर्णायक किसी पक्षकार का कर्मचारी है या उससे अन्यथा सम्बन्धित है स्वत: इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं समझा जायगा कि माध्यस्थम् करार के अनुसार उस मामले का निर्देश न किया जाय।

स्पष्टीकरण—2—लिखित कथन को फाइल करने के निमित्त समय के लिए केवल आवेदन देना या व्यादेश, रिसीवर की नियुक्ति या इसी प्रकार के कार्य के लिए अन्तर्वर्ती आवेदन का केवल प्रतिवाद करना कार्यवाहियों में कोई कदम उठाना नहीं होगा।"

20—मूल अधिनियम की धारा 37 में, जहां कहीं भी शब्द और संख्या "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" आए हों, उनके स्थान पर शब्द और संख्या "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिए जायेंगे। धारा 37 का संशोधन

अधिनियम संख्या 36, 1963

धारा 38 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 38 में, शब्द "मांगी गई फीसों" के स्थान पर जहां वे दूसरी बार आए हैं, निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात् —

"उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गये किसी नियम के अनुसार अवधारित फीसों, और किसी ऐसे नियम के होने पर, या जहां ऐसे नियम लागू न होते हों, वहां मांगी गई फीसों"।

धारा 39 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (1) में वर्तमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् —

—"(iv) धारा 20 के अधीन निर्देश करे या निर्देश करने से इन्कार करे,"

धारा 44 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 44 में, खण्ड (क) के पश्चात् पर निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"(कक) मध्यस्थ या अधिनिर्णायक को संदेय फीस और अन्य खर्चे,"।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

24—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) पैरा 2 में, शब्द "अपनी क्रमिक नियुक्तियों की सबसे पश्चात् की तारीख से अधिक से अधिक एक मास के अन्दर" के स्थान पर शब्द "अपनी क्रमिक नियुक्तियों की सबसे पश्चात् की तारीख के एक मास के अन्दर या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों और ऐसी सहमति के अभाव में जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिए जायेंगे ;

(ख) पैरा 3 में, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जो न्यायालय अनुज्ञात करे" के स्थान पर शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों,और ऐसी सहमति के अभाव में, जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिए जायेंगे;

(ग) पैरा 5 में, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जो न्यायालय अनुज्ञात करें" के स्थान पर, शब्द "या उस विस्तारित समय के अन्दर जैसा निर्देश के पक्षकार सहमत हों, और ऐसी सहमति के अभाव में, जो न्यायालय अनुज्ञात करे" रख दिए जायेंगे।

(घ) पैरा 7 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"7-क—जहां और जहां तक पंचाटधन के संदाय के लिए हो वहां मध्यस्थ या अधिनिर्णायक पंचाट में अधिनिर्णीत मूलराशि पर माध्यस्थम् के प्रारम्भ होने की तारीख से जैसा कि धारा 37 की उपधारा (3) में परिभाषित है, अधिनिर्णय की तारीख तक ऐसी मूल राशि पर इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिए अधिनिर्णीत किसी ब्याज के अतिरिक्त ऐसी दर पर, जिसे मध्यस्थ या अधिनिर्णायक संदत्त किए जाने के लिए युक्तियुक्त समझे, ब्याज का और ऐसी मूल राशि पर अधिनिर्णय की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्ववर्ती तारीख तक जैसा कि मध्यस्थ या अधिनिर्णायक उचित समझे, किन्तु जो किसी भी दशा में पंचाट में दी गई डिक्री की तारीख के पश्चात् न होगी, ऐसी दर पर जो प्रतिवर्ष छ : प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा कि मध्यस्थ या अधिनिर्णायक युक्तियुक्त समझे, अग्रतर ब्याज का आदेश दे सकते हैं।"

अध्याय 4

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1872 की धारा 5 का संशोधन

25—भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, प्रथम पैरा के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—जहां किसी प्रस्थापना की संसूचना में यह शर्त हो कि ऐसी संसूचना के उत्तर में की गयी किसी प्रस्थापना को विनिर्दिष्ट समय के लिए विचाराधीन रखा जायगा और तदुपरान्त जब ऐसी शर्त को स्वीकार करते हुए कोई प्रस्थापना की जाय तब ऐसी प्रस्थापना का ऐसे समय के भीतर प्रतिसंहरण नहीं किया जायगा।"

धारा 55 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 55 में, तृतीय पैरा में, शब्द "जब तक कि उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो" के स्थान पर शब्द "जहां उसने ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के अधिकार को अधित्यजित कर दिया हो" रख दिए जायेंगे।

अध्याय 5

बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स 1887 ऐक्ट का संशोधन

ऐक्ट संख्या 12, 1887 की धारा 19 का संशोधन

27—बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"19—(1) यथा पूर्वोक्त के सिवाय और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुंसिफ की अधिकारिता का विस्तार ऐसे ही सभी वादों पर होगा जिनका मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक न हो।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें नामित किसी मुंसिफ के बारे में यह निदेश दे सकती है कि उसकी अधिकारिता का विस्तार दस हजार रुपए से अनधिक मूल्य के ऐसे ही सभी वादों पर होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित कर सकती है।"

धारा 25 का संशोधन

28—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "एक हजार रुपए" और शब्द "पांच सौ रुपए" के स्थान पर क्रमशः शब्द "दो हजार रुपए" और "एक हजार रुपए" रख दिए जायेंगे;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1972

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार के वादों के सम्बन्ध में इस उपधारा में दो हजार रुपए और एक हजार रुपए के निर्देश का अर्थ क्रमशः पांच हजार रुपए और दो हजार रुपए लगाया जायगा।"

अध्याय 6

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1887 की धारा 15 का संशोधन।

29—प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपए" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) और उसके परन्तुक में जहां कहीं भी शब्द "दो हजार रुपए" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपए" रख दिए जायेंगे।

अध्याय 7

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का संशोधन

अधिनियम संख्या 4, 1882 की धारा 54 का संशोधन

30—सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में,—

(क) द्वितीय पैरा में, शब्द "एक सौ रुपए और उससे अधिक मूल्य की" निकाल दिए जायेंगे ;

(ख) तृतीय और चतुर्थ पैरा निकाल दिए जायेंगे ;

(ग) अन्तिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायगा अर्थात् —

"ऐसी संविदा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा की जा सकती है।"

धारा 107 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 107 में,—

(क) द्वितीय पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्थावर सम्पत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिदान सहित मौखिक या लिखित करार द्वारा किए जा सकेंगे।"

(ख) तृतीय पैरा और परन्तुक निकाल दिए जायेंगे।

अध्याय 8

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16, 1908 की धारा 17 का संशोधन।

32—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (ख) में, शब्द "एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का" निकाल दिए जायेंगे ;

(ii) खण्ड (ङ) में, शब्द "एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का" निकाल दिए जायेंगे ;

(iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अपेक्षानुसार रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कोई अन्य लिखत '';

(iv) परन्तुक निकाल दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (v) में, प्रारम्भ में आये हुए शब्द "किसी ऐसी दस्तावेज को" के पहले शब्द "विक्रय के लिये संविदा से

भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे, और शब्द "एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का" निकाल दिये जायेंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है" के पश्चात् शब्द "और अपत्य का दत्तकग्रहण अभिलिखित करने केलिये जो लिखत पहली जनवरी, 1977 के पश्चात् निष्पादित की गई है" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 18 का संशोधन।

33--मूल अधिनियम की धारा 18 में खण्ड (क), (ख) और (गग) निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 49 का संशोधन

अधिनियम संख्या 4, 1882

34—मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) प्रथम पैरा में, शब्द "या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882" के पश्चात् शब्द "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) न कोई शक्ति प्रदत्त करेगी न कोई अधिकार या सम्बन्ध सृजित करेगी, और न" ;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले" के पश्चात् शब्द "या ऐसे अधिकार या सम्बन्ध को सृजित करने वाले", बढ़ा दिये जायेंगे ;

(घ) परन्तुक में, शब्द "स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, 1877 के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के बाद में संविदा के साक्ष्य के तौर पर या" निकाल दिये जायेंगे ।

अध्याय 9

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का संशोधन

अधिनियम संख्या 78, 1956 की धारा 16 का संशोधन

35—हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में, धारा 16 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) जनवरी, 1977 के प्रथम दिवस को या उसके पश्चात् किसी दत्तक की दशा में उत्तर प्रदेश में कोई भी न्यायालय अपत्य को दत्तक देने और लेने के सबूत में ऐसी दस्तावेज के सिवाय जिसमें दत्तक अभिलिखित हो और जो अपत्य को दत्तक देने वाले व्यक्ति या लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी दस्तावेज की द्वितीयक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अधिकथित परिस्थितियों में और रीति से ग्राह्य होगी ।"

अधिनियम संख्या 1, 1872

अध्याय 10

संक्रमणकालीन उपबन्ध

लम्बित सिविल मामलों का निस्तारण।

36—इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित किसी सिविल-वाद या कार्यवाही का जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू होता है, निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

अधिनियम संख्या 10, 1940 की धारा 20 के अधीन लम्बित आवेदनों का निपटारा

37—इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 20 के अधीन लम्बित आवेदनों का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

अधिनियम संख्या 10, 1940 में समय विस्तारण का प्रभाव।

38—जहां इस अधिनियम द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्धों में किसी संशोधन के आधार पर उक्त अधिनियम में विहित अवधि में विस्तार कर दिया गया हो, और उक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त न हुई हो, वहां ऐसी अवधि के अन्दर किया जाने वाला कार्य इस प्रकार विस्तारित अवधि के अन्दर किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण

सिविल वादों के निस्तारण में अनुचित विलम्ब और सारहीन मुकदमेबाजी से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति आमतौर से समाज के, और विशेष रूप से निर्धन वर्गों के हितों के लिये अहितकर है। यह प्रस्ताव है कि सिविल वादों के शीघ्र निस्तारण और विलम्बकारी युक्तियों को रोकने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के विभिन्न उपबन्धों का संशोधन किया जाय ।

2—माध्यस्थम् के उपाय को और अधिक प्रभावोत्पादक और लोकप्रिय बनाने के दृष्टिकोण से माध्यस्थम् अधिनियम, 1904 के कतिपय उपबन्धों का संशोधन किया जा रहा है ।

3—यह वांछनीय समझा गया है कि जब किसी ऐसी अभ्यर्थना के, जिसमें विचारोविमर्श के लिये कोई अवधि नियत हो, प्रत्युत्तर में कोई प्रस्ताव किया जाय तो इस प्रकार किया गया प्रस्ताव उस अवधि में प्रतिसंहरणीय नहीं होगा। फिर जहां किसी पक्षकार द्वारा नियत समय के पश्चात् किसी संविदा का सम्पादन करना स्वीकार किया जाता है वहां यह वांछनीय है कि ऐसी विलम्ब के कारण हुई हानि के लिये प्रतिकर का दावा करने के सम्बन्ध में ऐसे स्वीकर्ता के अधिकार का समपहरण नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि विशिष्ट रूप से उसका अधित्याग न किया जाय। तदनुसार, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

4—बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 में उपयुक्त संशोधन द्वारा मुन्सिफों और लघुवाद न्यायालयों के न्यायाधीशों की अर्थ सम्बन्धी अधिकारिता बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

5—किसी अपत्य के दत्तक-ग्रहण विलेख, सौ रुपये से कम मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के विक्रय विलेख और स्थावर सम्पत्ति को बेचने के किसी करार को सम्प्रति अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत कराने की अपेक्षा नहीं की जाती है। किसी अधिकारवान अन्तरिती या वसीयतदार की सम्पत्ति को हड़पने की दृष्टि से मौखिक साक्ष्य में अन्तर्ग्रस्त सांयोगिक बातों का लाभ उठाकर इस प्रकार के पुराने दिनांक के कल्पित विलेख तैयार किये जाते हैं और इसके विपरीत इन श्रेणियों के वास्तविक संव्यवहारों पर आपत्ति की जाती है। दत्तक ग्रहण विलेख, स्थावर सम्पत्ति बेचने के समस्त करार और मूल्य या प्रतिफल का विचार किये बिना स्थावर सम्पत्ति के समस्त अन्तरण का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाने के लिये सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 और हिन्दू दत्तक तथा भरणपोषण अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

प्रभु नारायण सिंह,
न्याय मंत्री ।

जत्मी "ट्ट"

(देखिये पीछे पृष्ठ. 68 पर)

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण विधेयक, 1976

सिर पर मैला ढोने और घर की सफाई करने के लिये बालकों को रखने का प्रतिषेध करने और उस से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और लागू होना

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह निम्नलिखित में लागू होगा ।

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित प्रत्येक नगर ;

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी ;

(ग) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन गठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया ; और

(घ) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया ।

घर का मैला साफ करने या ढोने का प्रतिषेध

2—(1) कोई व्यक्ति अपने सिर पर किसी पात्र में न तो मैला ढोयेगा, न तो मैला ढोने के लिये रखा जायगा और न उससे इस प्रकार मैला ढोने की अपेक्षा की जायेगी ।

(2) किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से अधिक न हो, कोई व्यक्ति घर का मैला साफ करने के लिये नहीं रखेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये पद "घर का मैला साफ करने" का तात्पर्य गलीज, कचरा मैला या अन्य घृणित वस्तु भवन में या भवन से सम्बन्धित संडास, शौचालय, मूत्रालय, मल-कूप से या ऐसी वस्तु के लिये अन्य सामान्य पात्र से हटाने से होगा ।

शास्तियां

3—(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माना से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रुपये से कम और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत के, संज्ञान नहीं करेगा ।

उद्देश्य और कारण

सफाई मजदूरों द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा मानवता के लिये अपमानजनक है, और इस प्रथा को विधि द्वारा प्रतिषिद्ध करना अपेक्षित है। यह भी प्रस्ताव है कि सफाई मजदूरी के कार्य के लिये अवयस्कों को सेवायोजित करने का प्रतिषेध किया जाय।

तद्नसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
स्वायत्त शासन मंत्री।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—एल० 216 वि० सभा (494)—1976—840।